



फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

Ferro Scrap Nigam Limited

(A Government of India Undertaking)

36 वीं वार्षिक प्रतिवेदन **2014-2015**
th Annual Report

विषयसूची

Contents

* निदेशक मण्डल	02	* Board of Directors	02
* अध्यक्षीय संबोधन	04	* Chairman's Statement	04
* निदेशक का प्रतिवेदन	09	* Directors' Report	09
* लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन	30	* Auditors' Report	31
* भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	58	* Comments of Comptroller and Auditor General of India (CAG)	59
* सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रपत्र-एम-आर-3	60-62	* Secretarial Audit Report Form No: MR-3	61-63
* वार्षिक प्रतिवेदन के उद्धरण प्ररूप सं एमजीटी-9	64-82	* Extract of Annual Return Form No: MGT-9	65-83
कार्पोरेट गवर्नेंस पर प्रतिवेदन	90	Report on Corporate Governance	91
* तुलन पत्र	112	* Balance Sheet	113
* लाभ व हानि विवरण	114	* Statement of Profit and Loss	115
* नगद प्रवाह विवरणी	116	* Cash Flow Statement	117
* वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ	118-160	* Notes to the Financial Statements	119-161



निदेशक मण्डल

श्री एस. के. त्रिपाठी-अध्यक्ष
अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक (08.02.2015 तक)
श्री राजीव भट्टाचार्य -प्रबंध निदेशक (09.02.2015 से)
श्री बी. बी. सिंह
श्री के. एस. समरेन्द्रनाथ (22/12/2014 तक)
श्री डी. बी. सिंह (22/12/2014 से)

BOARD OF DIRECTORS

Shri S. K. Tripathi - Chairman
Additional Charge of Managing Director (Up to 08.02.2015)
Shri Rajib Bhattacharya Managing Director (w.e.f. 09.02.2015)
Shri B. B. Singh
Shri K. S. Samarendranath (up to 22.12.2014)
Shri D. B. Singh (w.e.f. 22.12.2014)

कम्पनी सचिव

श्री आदित्य प्रकाश शर्मा

लेखापरीक्षक

अग्रवाल एवं पंसारी

सनदी लेखापाल

Company Secretary

Shri Aditya Prakash Sharma

Auditors

M/s Agarwal & Pansari

Chartered Accountants

सचिवीय लेखा परीक्षक

सौमायो ज्योति सील

Secretarial Auditor

Saumayo Jyoti Seal

आंतरिक लेखा परिक्षक

मेसर्स अवतार एन्ड कम्पनी-चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
मेसर्स अशोक कुमार शर्मा एन्ड एसोसियेशन-चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
मेसर्स एच.एन.प्रधान एन्ड कम्पनी-चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

Internal Auditors

M/s.Awatar & Co-Chartered Accountants
M/s.Ashok Kumar Sharma & Associates-Chartered Accountants
M/s.H.N.Pradhan & Co-Chartered Accountants

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक

बैंक ऑफ इंडिया

इंडियन बैंक

आंध्रा बैंक

बैंक ऑफ बड़ौदा

पंजाब नेशनल बैंक

यूको बैंक

कार्पोरेशन बैंक

Bankers

State Bank of India

Bank of India

Indian Bank

Andhra Bank

Bank of Baroda

Punjab National Bank

UCO Bank

Corporation Bank

पंजीकृत कार्यालय

एफ. एस. एन. एल. भवन,

इक्विपमेन्ट चौक,

सेन्ट्रल एवेन्यू, पोस्ट बॉक्स नं. 37

भिलाई (छ.ग.)

फोन: (0788) 222-2474/2475

फैक्स: (0788) 222-0423/3884

Registered Office :

F.S.N.L. Bhawan,

Equipment Chowk, Central Avenue,

Post Box No. 37,

Bhilai (C. G.)

Phone : (0788) 222-2474/2475

Fax : (0788) 222-0423/3884

E-mail : fsnl_co@rediffmail.com
Visit us at : //www.fsnl.nic.in

CIN : U27102CT1989GOI005468



दृष्टि

कम्पनी की संकल्पना है कि वह अपने ग्राहकों को उत्तम सेवायें प्रदान करते हुये उसके प्रचालन का सम स्तरीय विस्तार एवं वृद्धि प्रदान कर कम्पनी को वर्तमान कार्य व्यापार में प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है।

Vision

The Company has a vision to increase its operational horizon by expanding the existing business to provide better services to its customer and to make the company competitive.

ध्येय

कम्पनी का उद्देश्य 'अपशिष्ट से पूंजी का निर्माण'।

Mission

The Mission of the Company is to generate "Wealth from Waste"

उद्देश्य

कम्पनी का उद्देश्य है इस्पात उद्योग के अपशिष्ट पदार्थों के क्षेत्र में पुर्नश्चक्रण प्रबंधन का नेतृत्व करना।

Objectives

The Company's objective is to remain a market leader in the field of waste recycle management in the steel industry.



अध्यक्षीय संबोधन

महानुभाव,

फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड की ओर से आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे आपको यह बताते हुए हर्ष है कि आपकी कंपनी द्वारा प्रारम्भ से अब तक पहली बार वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ₹15.49 करोड़ का संचालनीय लाभ अर्जित किया जा सका है। हमारी कुछ विशिष्ट उपलब्धियों को मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा।

मौजूदा परिदृश्य

आपकी कंपनी का निष्पादन एवं विकास सीधे तौर पर इस्पात उद्योग की संवृद्धि एवं विस्तारण पर निर्भर करता है। वृहत अधिक्षमता की वजह से इस्पात जगत की कंपनियां दिक्कतों का सामना कर रही हैं। चीन, जापान, कोरिया आदि देशों से, जिनके साथ भारत का मुक्त व्यापार अनुबंध कायम है, बड़े पैमाने में सस्ते इस्पात का अंतःप्रवाह घरेलू इस्पात जगत की दिक्कतों को बढ़ा रहा है। चीन की मुद्रा 'यूआन' के हाल का अवमूल्यन, स्थिति को, खासकर इस्पात जगत में और मुश्किलें पैदा करेगा। यदि घरेलू खपत की मंदी अधिक समय तक बनी रहेगी तो घरेलू इस्पात उद्योग के निष्पादन पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा।

आपके कंपनी का यह दृढ़ विश्वास है कि भले ही इस्पात जगत की वर्तमान स्थिति चुनौतीपूर्ण है, हमारे माननीय प्रधान मंत्री द्वारा जारी 'भारत में निर्माण करें' की अवधारणा भारतीय लोक उद्यमों को बल प्रदान करेगा एवं परस्पर विश्वास एवं सहयोग से निकट भविष्य में लोक उद्यम अपनी प्रभावी प्रतिष्ठा कायम करने में कामयाब होगा। आपकी कंपनी अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के लोक उद्यमों के साथ भी कार्य करते हुए अपने क्षितिज की अभिवृद्धि के लिए तैयार है।

भावी योजनाएं

इस्पात संयंत्रों के प्रक्षेपित क्षमता विकास गतिविधियों के अनुसार स्क्रेप की आवश्यकता बढ़ सकती है, जिसे आपकी

CHAIRMAN'S STATEMENT

GENTLEMEN,

My heartiest greetings to you on behalf of Ferro Scrap Nigam Limited. It is my pleasure to share with you that your company could earn Operating Profit of ₹ 15.49 crore during the financial year 2014-15 for the first time since inception. I would like to share some of our significant achievements with you.

THE PRESENT SCENARIO

The performance and progress of your company is directly depends upon the growth and expansion of steel industry. Steel sector companies are already facing problems on account of huge overcapacity. The massive influx of cheap steel from countries with whom India has free trade agreement viz., China, Japan, Korea are adding woes to the domestic steel industry. The recent devaluation of the Chinese Currency Yuan is going to worsen the situation especially for steel sector. If the slow-down in the domestic consumption continues for a long time, it will have an adverse impact on the performance of the domestic steel industry.

Your Company firmly believes that though the present situation of steel sector is challenging one, the vision of 'Make in India' launched by our Hon'ble Prime Minister will strengthen the Indian PSUs and with mutual trust and cooperation, the PSU fraternity will become a force to reckon with in the near future. Your company is fully poised to work with PSUs in other sectors and expand its horizons.

FUTURE PLANS

In line with the projected capacity expansion activities of the steel plants, the requirement of scrap is expected to



कंपनी एक सुअवसर के रूप में देखती है, और आने वाले वर्षों में इस्पात संयंत्रों में ऐसे अतिरिक्त कार्यों को संपन्न करने के लिए तैयार है।

चरणबद्ध क्रम में वर्तमान उपस्करों की बेड़ा में अनुवृद्धि/परिवर्तन/प्रतिस्थापन आदि के जरिए इनकी दुरुस्ती/पुनर्निर्माण तथा अतिरिक्त प्रक्रमण सुविधा आदि की योजना आपकी कंपनी द्वारा तैयार की जा रही है ताकि लागत में कमी एवं उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ कुशलता में भी संवर्धन हो सके।

आपकी कंपनी के द्वारा खदानों (कोल, अयस्क आदि) में ओवरबर्डन रिमूवल, एयर इण्डिया में स्क्रेप प्रबंधन, सेलम इस्पात संयंत्र में जंगरोधी इस्पात स्लैग से जंगरोधी स्क्रेप निष्कासन आदि क्षेत्रों में व्यवसाय प्राप्ति की संभावनाएं तलाश रहा है।

2014-2015 के दौरान निष्पादन विशिष्टताएं

आपकी कंपनी द्वारा 23.07 लाख टन स्क्रेप संप्रेषण तथा 59.75 लाख टन रेकार्ड स्लैग हैंडलिंग सम्पादित किया गया। करेंट एराइज़ल तथा पुराने डम्प से स्क्रेप की प्राप्ति में कमी के बावजूद भौतिकीय निष्पादन प्राप्त कर लिया गया।

स्क्रेप एवं स्लैग रिकवरी एवं प्रक्रमण के जरिए विभागीय उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में 10.15% की वृद्धि हुई है।

गत वर्ष की तुलना में एचएसडी उपभोग में 6% एवं ल्यूब्रिकेंट उपभोग में 23.2% की कमी हुई है। गत वित्त वर्ष की तुलना में विद्युत उपभोग में 26.67% की कमी हुई है।

2014-2015 के दौरान वित्तीय विशिष्टताएं

गत वर्ष के ₹237.88 करोड़ के सकल आय की तुलना में कंपनी का सकल आय ₹275.78 करोड़ रहा। इस तरह सकल राजस्व में ₹37.90 करोड़ की बढ़ोतरी हुई, जो गत वर्ष की तुलना में 15.93% अधिक है। वर्ष में कंपनी का कर-पूर्व लाभ ₹25.36

Increase, your company looks up to this as an opportunity and it is fully geared up to take up these additional jobs of the Steel Plants in the years ahead.

Your Company is executing out its plan to revamp / replace the existing fleet of equipment under Addition / Modification / Replacement in a phased manner and also building up additional processing facilities to achieve cost reduction and increase productivity as well as efficiency.

Your Company is also exploring the possibilities for acquiring the business in areas viz., Overburden removal at Mines (Coal, Ore etc.,) Scrap Management at Air India, Recovery of stainless steel scrap from stainless steel slag at Salem Steel Plant.

PERFORMANCE HIGHLIGHTS DURING 2014-2015

Your Company has achieved a dispatch of 23.07 lakh tones of scrap and a record slag handling of 59.75 lakh tones. The physical performance has been achieved despite reduction in input of scrap from current arisals and also from old dumps.

There has been an increase of 10.15% over previous year in departmental production in recovery & processing of scrap and slag.

There has been a reduction of 6% in HSD consumption and 23.2% in Lubricant consumption over previous year. There has been a reduction of 26.67% in Electricity consumption over last financial year.

FINANCIAL HIGHLIGHTS DURING 2014-2015

The gross income of the company was ₹ 275.78 Cr as compared to the previous year's gross income of ₹ 237.88 Cr. Thus the gross revenue has increased by ₹ 37.90 Cr which is 15.93% more over the previous year.



करोड़ रहा, जबकि गत वर्ष का कर-पूर्व लाभ ₹12.43 करोड़ था, और इस तरह 104% की वृद्धि हुई। कंपनी की लाभप्रदता में ₹12.94 करोड़ की वृद्धि हुई जो (1)लागत नियंत्रण उपाय (2)उत्पादन में वृद्धि एवं (3) उत्पादकता में समग्र वृद्धि की परिणती है।

₹3.42 करोड़ का लाभांश घोषित हुआ, जो प्रदत्त पूंजी का 171% है तथा गत वर्ष घोषित लाभांश से 103.57% अधिक है। गत वर्ष की तुलना में शुद्ध संपत्ति में ₹ 12.90 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है जो 8.82% का इजाफा दर्शाती है। गत वर्ष की तुलना में प्रति अंश अर्जन में 102.96% की वृद्धि हुई है।

कियाकलापों का विविधीकरण/विस्तारीकरण

आपकी कंपनी द्वारा निजी क्षेत्र एवं लोक इस्पात संयंत्रों में अपने स्क्रेप प्रकमण, स्लैग हालेज एवं अन्य स्टील मिल सेवाओं में विकास का निरंतर प्रयास जारी है।

इसी प्रयत्न में सफलता हासिल करते हुए आपकी कंपनी द्वारा सेल, व्हीआईएसएल-भद्रावती में एक नई इकाई चालू की गई है जहां जनवरी 2015 से उत्पादन शुरू हुआ।

यह भी बताना आवश्यक है कि आपकी कंपनी द्वारा अपने कियाकलापों के तहत आईएसपी-बर्नपुर, आरएसपी-राउरकेला एवं आरआईएनएल-विशाखापट्टणम में ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग पिट मैनेजमेंट जैसे अतिरिक्त कार्यों को भी शामिल किया गया है।

कार्पोरेट गवर्नेंस एवं अन्य नीतियां

कार्पोरेट गवर्नेंस के संबंध में लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में एवं कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार 'लेखा परीक्षण समिति', 'पारिश्रमिक समिति' तथा 'निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निगरानी समिति' जैसी निदेशक स्तर की समितियों आपकी कंपनी में संचालित हैं।

आपकी कंपनी द्वारा शिक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छ भारत अभियान एवं स्वच्छ विद्यालय अभियान के क्षेत्र में विभिन्न

The company's profit before tax (PBT) during the year was ₹ 25.36 Cr whereas the previous year's PBT was ₹ 12.43 Cr. which is 104% more. The profitability of the company has shown improvement of ₹12.94 Cr. and is attributable to (i) cost cutting measures (ii) increase in production and (iii) overall increase in productivity.

The dividend declared was ₹ 3.42 Cr which is 171% of paid up capital and 103.57% more than the last year's dividend. Net worth of the company also increased by ₹ 12.90 Cr over previous year which shows 8.82% increase. Earnings Per Share increased by 102.96% over previous year.

DIVERSIFICATION/EXPANSION OF ACTIVITIES

Your Company is continuously exploring the possibility to expand its activities in private sector and Public Sector steel plants for scrap recovery, slag handling and other steel mills services.

In this endeavor your company opened up a new unit at SAIL, VISL, Bhadravati and commenced operations from January 2015.

It is also important to convey that your company has added additional jobs like blast furnace, slag pit Management etc. at ISP, Burnpur, RSP, Rourkela and RINL, VSP, Vizag

CORPORATE GOVERNANCE & OTHER POLICIES

In compliance with DPE Guidelines on Corporate Governance and the provisions of the Companies Act, 2013, Board level committees viz. Audit Committee, Remuneration Committee & CSR Monitoring Committee are operational in your company.

Your company is undertaking various activities in the areas of Education, Environment Protection, Swatchh



कार्य करते हुए समाज के लिए अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जा रहा है।

आपकी कंपनी में 'सीटी धमनी' नीति पूरी तरह से संचालित है। आपके संस्थान में कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक अपराधों से संरक्षित करने हेतु लैंगिक अपराध निरोधक समिति गठित की गई है, जो समय-समय पर क्रियाकलापों का पुनर्विलोकन करती है।

कृतज्ञता

समाप्त करने से पहले, मैं इस अवसर पर निदेशक मंडल के विचार-विमर्शों में अपना बहुमूल्य योगदान देने हेतु मैं निदेशक मंडल के मेरे साथियों के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ।

मैं कंपनी को अपना निरंतर समर्थन प्रदान करने हेतु हमारे धारक कंपनी एमएसटीसी लिमिटेड को धन्यवाद देना चाहूंगा। हम भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय, रेल मंत्रालय, स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया, आरआईएनएल, नीलाचल इस्पात एवं बीएचईएल के भी आभारी हैं जिन्होंने कंपनी को निरंतर समर्थन एवं बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया।

मुझे विश्वास है कि लागत नियंत्रण तथा दक्षता संवर्धन जैसे पहलुओं पर निरंतर प्रयास के जरिए तथा निपुण, अनुभवी एवं समर्पित मानव संसाधन के बल पर आपके कंपनी का वित्तीय निष्पादन अगले वर्ष बढ़ जाएगा।

अंत में, मैं कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वर्ष के दौरान उनके निष्ठापूर्ण प्रयासों के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं कार्यस्थल पर सौहार्दपूर्ण माहौल एवं औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए सभी श्रमिक संगठनों के सहयोग की सराहना अभिलेख में दर्ज कराना चाहूंगा। मैं राज्य सरकारों के प्रति भी उनके मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु अपना धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। मैं राज्य सरकारों के प्रति भी उनके मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु अपना धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। मुझे आशा है कि आने वाले वर्ष में भी हमें उनका सहयोग निरंतर प्राप्त होता रहेगा।

Bharat Abhiyan & Swatchh Vidyalaya Abhiyan and discharging its corporate social responsibilities to the society.

Whistle Blower Policy is fully operational in your company. To prevent sexual harassment of women at work place in your organization, a duly constituted Committee for prevention of sexual harassment at work place is operational which reviews the working from time to time.

ACKNOWLEDGEMENT

Before I conclude, I would like to take this opportunity to express my sincere gratitude to my colleagues on the Board for their valuable contribution to the deliberations of the Board.

I would like to express my sincere thanks to our holding company, MSTC LTD for their continued support to the Company. We are also grateful to the Ministry of Steel, Government of India, Ministry of Railway, SAIL, RINL, Neelachal Ispat and BHEL for their continued support and valuable assistance to the Company.

I am confident that with continuous focused efforts in areas of cost control and efficiency improvement and with skilled, experienced, and committed human resource, your company's financial performance would improve in the next year also.

Last, but not the least, I would like to thank the officers and employees of the Company for their sincere efforts put in during the year. I would also like to place on record my sincerest appreciation of the co-operation extended by all Unions for maintaining excellent and cordial working atmosphere and industrial relations. I also wish to put on record, my sincere thanks to State Governments for the guidance and co-operation extended by them. I hope that we shall continue to have their support in the coming year also.



अब मैं दिनांक 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक का प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण को, वैधानिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन एवं भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ अंगीकार हेतु अग्रसारित करता हूँ।

I, now move the Director's Report as well as the audited Balance Sheet and the statement of Profit & Loss Account and Cash Flow statement for the year ended 31st March 2015 alongwith the report of the Statutory Auditors and the comments of the Comptroller & Auditor General of India thereon for adoption.

स्थान: भिलाई
दिनांक 6 अक्टूबर 2015

एस.के.त्रिपाठी
अध्यक्ष

Place: Bhilai
Date: 6th October, 2015

S.K.TRIPATHI
Chairman



निदेशक प्रतिवेदन

DIRECTORS' REPORT

प्रति,
सदस्यवृन्द,

To,
The Members of

फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड
महानुभाव,

**FERRO SCRAP NIGAM LIMITED
GENTLEMEN**

आपके निदेशकगण को दिनांक 31/03/2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 36 वीं वार्षिक प्रतिवेदन के साथ-साथ लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन तथा नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को प्रस्तुत करते हुए हर्ष है साथ ही साथ प्रबंधन विचार विमर्श तथा विश्लेषण को प्रतिवेदन में समावेशित कर लिया गया है।

Your Directors take pleasure in presenting the 36TH Annual Report together with the audited financial statements for the year ended 31-03-2015 along with the comments of the Comptroller and Auditor General of India. The Management Discussion and Analysis has also been incorporated into this report.

विशिष्ट निष्पादित घटक:-

भौतिकीय -

कंपनी ने पुनः अपने निष्पादन में दीर्घकालीन अनुबंधों जैसी बाधाओं आर.डब्ल्यू.एफ बंगलुरु के नवीयन न होने के कारण भी मर्यादित सफलता प्राप्त की है। एफ.एस.एन.एल ने 23.07 लाख टन स्क्रेप का प्रेषण तथा 59.75 टन स्लैग की दुलाई करने में सफलता दर्ज की है। भौतिकीय निष्पादन के सुनिश्चित वर्तमान बिंदुओं के साथ-साथ पुराने ढेरों से स्क्रेप के निविष्टि में कमी दर्ज की है। स्क्रेप एवं स्लैग से संबंधित उपलब्धियों की संभावनायें वर्तमान गतिविधियों/क्रियाकलापों के संवर्धन से संबंधित कार्यों को आई.एस.पी.बर्नपुर, आर.एस.पी.राउरकेला तथा आर.आई.एन.एल.व्ही.एस.पी.विशाखापटणम् आदि में ब्लास्ट फर्नेस से संबंधित पिट प्रबंधन जैसे अतिरिक्त कार्यों को जोड़ा गया है। ऐसी उपलब्धियों उत्कृष्ट कार्य शैली एवं संस्कृति, सहयोगात्मक भाव, कठोर परिश्रम तथा समस्त कर्मचारियों समर्पण, ग्राहकों से प्राप्त सहयोग एवं मदद के कारण यह कार्य अपनी संभाव्यता को प्राप्त किया है।


एक नई इकाई का प्रचालन जनवरी, 2015 से सेल, व्ही.आई.एस.एल. भद्रावती में हमारे द्वारा किया गया है।

इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में तकनीकी उन्नयन/आधुनिकीकरण के फलस्वरूप इस्पात निर्माण की स्थिति में वर्तमान में इस्पात संयंत्रों में स्क्रेप की मात्रा में कमी आई है। परिणामतः स्क्रेप एवं स्लैग की उपलब्धता क्रमागत कम पाया गया है। लाभ एवं विकास में अत्याधिक वृद्धि पाने के लिये एफ.एस.एन.एल ने अपनी गतिविधियों/क्रियाकलापों

PERFORMANCE HIGHLIGHTS

PHYSICAL :

The Company has once again performed exceedingly well, despite obstacles like nonrenewal of long-term agreement at RWF, Bengaluru. FSNL achieved a dispatch of 23.07 lakh tones of scrap and a record slag



handling of 59.75 lakh tonnes. The physical performance has been achieved despite reduction in input of scrap from current arisals and also from old dumps. This achievement of scrap and slag was possible by augmenting the present activities and adding additional jobs like blast furnace, slag pit Management etc. at ISP, Burnpur, RSP, Rourkela and RINL, VSP, Vizag. Such

achievements have been possible due to the excellent work culture, team spirit, hard work and dedication of all the employees as well as co-operation and support received from customers.

We have also opened a new unit at SAIL, VISL, Bhadravati and commenced operations from January 2015.

The Technological upgradation/ modernization in steel making has resulted in to reduction of scrap arisals in steel plants and as a result the availability of scrap from slag has gradually reduced. To improve the growth and profitability, FSNL already increased its activities at




में वृद्धि दर्ज करते हुए कुछ इस्पात संयंत्रों में भावी संभावनाओं के तहत नूतन गवेषणात्मक कार्यों के सुनिश्चित करते हुए विद्यमान संयंत्रों में परिशीलन योग्य वृद्धि देना होगा।

यथासंभव तकनीकी की आत्मसात्करण के तहत एफ.एस.एन.एल.ने स्लैग ग्राइन्डिंग प्लांट का स्थापना राउरकेला स्टील प्लांट में किया है, जो आर.एस.पी. की आवश्यकताओं में गुणवत्तायुक्त संवृद्धि प्रदान करते हुए 0-5 एम एम के स्लैग खंडों का उपयोग सिन्टर प्लांट में किया जाता है, यद्यपि विगत 3 वर्षों से हमारे द्वारा तकनीकी ज्ञान का आयात नहीं किया गया है।

some steel plants and is exploring further opportunity to secure new jobs and increasing volume in the existing steel plants.

As far as technology absorption is concerned, FSNL has set up slag Grinding Plant at Rourkela Steel Plant by which the enhanced requirement of RSP from 0-5mm slag fraction for use in their sinter plant is being fulfilled. However we have not imported any technology during past 3 years.

Financial Performance (₹ in Crore)



वित्तीय घटक:-

(₹ लाख में)

विवरण	2014-15	2013-14
कुल राजस्व	27,578.38	23,787.67
लाभ (कर भुगतान के पूर्व)	2,536.40	1,242.83
लाभ (कर भुगतान के बाद)	1,709.52	842.28
अग्रणीत शेष-विगत वर्ष	0.78	0.58
उपलब्ध लाभ का विनियोजन	1,710.30	842.86
विनियोजन-	-	-
अंतरिम साम्य लाभांश	300.00	0
प्रस्तावित अंतिम साम्य लाभांश	41.90	168.45
साम्य लाभांश पर कर	68.52	28.63
सामान्य आरक्षित निधि	1,299.00	645.00
अगले वित्तीय अग्रणीत लेखा वर्ष में	0.88	0.78

FINANCIAL HIGHLIGHTS:

(₹ in lacs)

Particulars	2014-2015	2013-2014
Total Revenue	27,578.38	23,787.67
Profit Before Tax	2,536.40	1,242.83
Profit After Tax (PAT)	1,709.52	842.28
Balance brought forward from Previous year	0.78	0.58
Profit available for Appropriations	1710.30	842.86
Appropriations:	-	-
Interim Equity Dividend	300.00	0
Proposed Final Equity Dividend	41.90	168.45
Tax on Equity Dividends	68.52	28.63
General Reserve	1,299.00	645.00
Surplus carried to the next year's Account	0.88	0.78



कंपनी का कुल उपार्जन ₹27,578.38 लाख सेवा शुल्क ₹ 26,410.45 लाख गत वर्ष की राशि ₹ 23,787.67 लाख तथा ₹ 22,414.43 लाख को क्रमशः तुलना करते हुए सम्मिलित किया गया है। कंपनी का सकल सीमांत तथा लाभ कर वर्षान्त में कर अदायगी के पूर्व ₹3,625.53 लाख तथा ₹2,536.40 लाख तुलनात्मक वर्ष के तहत ₹ 2,652.79 लाख रूपये एवं ₹1,242.83 लाख क्रमशः था।

कंपनी की लाभ देयता में ₹1,293.57 लाख रूपयों का सुधार हुआ है तथा यह (i)लागत व्यय की कटौती के परिणाम, (ii) उत्पादन में वृद्धि तथा (iii)उत्पादकता में समग्र वृद्धि के कारण है।

सामान्य आरक्षितियों-

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुवर्ती धारा 123 के तहत 1,299.00 लाख रूपये लाभ एवं हानि खाते में से सामान्य आरक्षित खाते में अंतरित किया जाना प्रस्तावित है तथा 0.88 लाख रूपयों को अधिशेष तुलन-पत्र में अग्रमित किया जाना है।

लाभांश-

निदेशक मंडल के प्रस्ताव क्रमांक 1 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार ₹ 300.00 लाख का अंतरिम लाभांश का भुगतान वित्तीय वर्ष 2014-15 में किया गया है तथा अंतिम लाभांश का भुगतान वित्तीय वर्ष में ₹ 41.90 लाख का किया जाना प्रस्तावित है।

उर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण एवं विदेशी मुद्रा उपार्जन एवं बर्हिगामी व्यय-

कंपनी अधिनियम की सूचनार्थ अनुवर्ती धारा 134(3)(एम)2013 के पठित नियम 8, कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियमों के तहत उर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण एवं विदेशी मुद्रा उपार्जन एवं बर्हिगामी व्यय का विवरण अनुलग्नक-1 में प्रतिवेदन के भाग रूप में संलग्न किया गया है।

1. प्रौद्योगिकी अवशोषण एवं नवीयन :- प्रौद्योगिकी अवशोषण से संबंधित विवरण :-

धात्विक स्क्रेप की पुनः प्राप्ति तथा प्रकरण के लिये फेरो स्क्रेप निगम (एफ.एस.एन.एल.) को दो प्रकार के उपस्करों की अपेक्षा है-यथा प्रोसेसिंग प्लान्ट (प्रकरण प्लान्ट) एवं मटेरियल हैंडलिंग उपकरण यथा उत्खनक (एक्सकावेटर) डम्पर्स, पे-लोडर्स, तथा डोजर्स आदि मूल उपकरण निर्माताओं (ओ.ई.एम.एस.) द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं, तथा समस्त प्रसंस्करणित संयंत्र/इकाईयों जैसे कि मेनेटिक सपरेटर

The gross income of the company was ₹27,578.38 lakhs including service charges of ₹ 26,410.45 lakhs as compared to the previous year's figure of ₹ 23,787.67 lakhs and ₹ 22,414.43 lakhs respectively. The company's gross margin and the profit before tax during the year was ₹3,625.53 lakhs and ₹2,536.40 lakhs as compared to the previous year's figure of ₹2,652.79 lakhs and ₹ 1,242.83 lakhs respectively.

The profitability of the company has shown improvement of ₹1,293.57 lakhs and is attributable to (i) cost cutting measures (ii) increase in production and (iii) overall increase in productivity.


GENERAL RESERVES:

Pursuant to Section 123 of the Companies Act, 2013, an amount of ₹1,299.00 lakhs is proposed to be transferred to General Reserve from Profit & Loss Account leaving a balance of ₹ 0.88 lakhs to be carried forward to the Balance Sheet.

DIVIDEND:

Pursuant to Board Resolution No: 1 dated. 20.03.2015 an amount of ₹ 300.00 lakhs has been paid as interim dividend for the financial year 2014-2015. The final dividend proposed for the financial year is ₹ 41.90 lakhs.

Total Income (₹ in Crore)



CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNING & OUTGO

The information pursuant to Section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013 read with rule 8 of the companies (Accounts) Rules, 2014 in respect of Conservation of Energy, Technology Absorption, and Foreign Exchange Earnings and Outgo are given in the Annexure-I forming part of this report.

1. Technology Absorption and Innovation: Particulars with respect to Absorption of Technology

For Recovery and Processing of metallic scrap, FSNL requires two types of equipments namely Processing Plants & Material Handling Equipments. Material Handling Equipments such as Excavators, Dumpers, Pay-loaders, and Dozers etc. are procured from OEMs and all the Processing Plants/Units such as Magnetic Separators,



स्लैग प्रोसेसिंग एवं ग्राइन्डिंग संयंत्रों, एफई इनरिचमेन्ट प्लान्ट का अभिकल्पन संविरचन स्थापना एवं संस्थापन स्वयमेव फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है।

(अ) स्लैग ग्राइन्डिंग संयंत्र इकाई क्रमांक एसजी-4025 की संविरचन एवं संस्थापन का कार्य राउरकेला इकाई में पूरा कर लिया गया है।

2. अनुसंधान एवं विकासात्मक गतिविधियों:-

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिये जारी किया गया कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 3(9) 2010-डी.पी.ई.(एमओयू) दिनांक 23.09.2011 के अनुसार अनुसंधान एवं विकास को कार्यान्वित किया गया है।

प्रायोगिक संयंत्र का संस्थापन से अनुसंधान एवं विकास के तहत 10 मिलीमीटर से कम आकार के स्क्रैप फाइन्स का एफ ई इनरिचमेन्ट की परियोजना का कार्य पूरा कर लिया गया है, इसी प्रकार प्रायोगिक संयंत्र का इस्तेमाल कर परीक्षण किया गया तथा नमूनों को भावी परीक्षण हेतु दुर्गापुर इस्पात संयंत्र-सेल की प्रयोगशाला में प्रेषित किया गया है।

इस्पात संयंत्रों के मध्य अनुबंधों की स्थिति

1. सेल संयंत्रों:-

- क) राउरकेला इस्पात संयंत्र: 31.03.2016.
- ख) इस्को इस्पात संयंत्र बर्नपुर: 31.03.2016.
- ग) भिलाई इस्पात संयंत्र: 31.03.2016.
- ज) बोकारो इस्पात संयंत्र: 31.03.2016.
- ड़) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र: 31.03.2016.

2. आर.आई.एन.एल.विशाखापटणम् इस्पात संयंत्र विशाखापटणम् :-

अनुबंध 31.10.2014 तक वैध था जिसे 31.10.2017 तक विस्तारित किया गया है।

3. नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, डुबुरी :-

अनुबंध 12.05.2018 तक वैध है।

4. भेल, हरिद्वार:- अनुबंध 31.07.2016 तक वैध है।

5. रॉल व्हील फैक्ट्री, बैंगलुरु:- अनुबंध 05.09.2015 तक वैध है।

6. व्ही.आई.एस.पी., भद्रावती:- अनुबंध 03.11.2017 तक वैध है।

कार्मिक :-

31.03.2015 को कंपनी में 957 श्रमशक्ति बल पदस्थ था जिनमें से क्रमशः 145 कार्यपालक तथा 812 गैर- कार्यपालक का संख्यात्मक बल था, 31 मार्च 2015 की स्थिति में समग्र कर्मचारियों से क्रमशः 19.33% अनुसूचित जाति, 11.70% अनुसूचित जनजाति तथा 13.06 % पिछड़े वर्ग समुदायों का प्रतिनिधित्व रहा है। नई भर्तियों में अजा/अजजा/अपिव एवं शारीरिक विकलांग श्रेणी के व्यक्तियों के लिये रिक्रियों के आरक्षण के बारे में समय-समय पर जारी राष्ट्रपति महोदय के स्पष्ट निर्देशों का अक्षरशः परिपालन फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाता है।

Slag Processing & Grinding Plants, Fe-enrichment Plants etc. are being designed, fabricated, erected and installed by FSNL in-house.

A. Fabrication and Installation job of Slag Grinding Plant Unit No.SG-4025 at Rourkela Unit Completed.

2. Research & Development activities:-

DPE guidelines on Research & Development for CPSEs issued vide office memorandum no.3(9)2010 –DPE (MoU) dated 23-9-2011 has been implemented.

Installation of Pilot plant for Research & Development project for “Fe enrichment of Scrap Fines below 10 mm size” is completed. The Pilot Plant for the same was commissioned, tests were carried out and for further testing samples sent to DSP-SAIL LAB.

STATUS OF AGREEMENT WITH STEEL PLANTS :

1. SAIL Plants

- a) Rourkela Steel Plant.: 31.03.2016.
- b) IISCO Steel Plant-Burnpur.: 31.03.2016.
- c) Bhilai Steel Plant.: 31.03.2016.
- d) Bokaro Steel Plant.: 31.03.2016.
- e) Durgapur Steel Plant: 31.03.2016.

2. RINL, Visakhapatnam Steel Plant, Visakhapatnam:-

Agreement was valid upto 31.10.2014, which is extended upto 31.10.2017.

3. Neelachal Ispat Nigam Limited, Duburi:-

Agreement is valid upto 12.05.2018.

4. BHEL, Haridwar:- Agreement is valid upto 31.07.2016.

5. Rail Wheel Factory, Bengaluru:- Agreement is valid upto 05.09.2015.

6. VISP, Bhadravati: Agreement is valid upto 03.11.2017

PERSONNEL :-

The total strength of manpower in the company as on 31/03/2015 was 957, comprising of 145 Executives and 812 Non-executives. The overall representation of employees belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe & OBC communities as on 31st March 2015 was 19.33%, 11.70% & 13.06%, respectively. The Presidential directives issued from time to time with regard to reservation of vacancies for SC/ST/OBC & Physically challenged personnel in Recruitments, are strictly adhered to by FSNL.



31.03.2015 की स्थिति में सकल कर्मचारी बल 957 में से क्रमशः 939 पुरुष एवं 18 महिला कर्मचारी थे।

Out of the total strength of 957 employees as on 31.03.2015, the strength of Male & Female employees was 939 & 18, respectively.

1.अजा/अजजा/पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं शारीरिक विकलांग श्रेणी के कर्मियों की स्थिति 31 मार्च 2015 को इस प्रकार थी:-

1.The position of SC/ST/OBC, Minority & Physically challenged employees in various groups, as on 31st March 2015 were as follows:-

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या		अजा		अजा प्रतिशत में		अजजा		अजजा प्रतिशत में		अपिब		अपिब प्रतिशत में		अल्पसंख्यक		शारीरिक रूप से विकलांग		
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	
अ.	143	2	13	0	8.96	2	0	1.38	20	0	13.79	9	0	0	0				
ब.	610	05	109	0	17.72	58	0	9.43	66	0	10.73	60	1	1	0				
स.	182	11	57	03	31.08	51	1	26.94	39	0	20.21	19	2	0	0				
द.सफाई कर्मचारी को छोड़कर	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0				
द.सफाई कर्मचारी को सम्मिलित करते हुये	3	0	3	0		0	0		0	0		0	0	0	0				
	939	18	182	03	19.33	111	1	11.70	125	0	13.06	88	3	1	0				

Group	No.of Employees		SC		SC %		ST		ST %		OBC		OBC %		Minority		Physically Handicapped		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
A.	143	2	13	0	8.96	2	0	1.38	20	0	13.79	9	0	0	0				
B.	610	05	109	0	17.72	58	0	9.43	66	0	10.73	60	1	1	0				
C.	182	11	57	03	31.08	51	1	26.94	39	0	20.21	19	2	0	0				
D. Excl. Safai Karmachari	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
D. Includ. Safai Karmachari	3	0	3	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
TOTAL	939	18	182	03	19.33	111	1	11.70	125	0	13.06	88	3	1	0				

भर्तियाँ :-

वर्ष 2014-15 में नयी भर्तियाँ नहीं की गयीं।

RECRUITMENTS:-

No recruitments were made during the year 2014-15.

अल्पसंख्यकों का कल्याण :-

अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्रीय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबंधित समय-समय पर जारी समस्त निर्देशों का अक्षरशः नियम पूर्वक परिपालन कम्पनी द्वारा किया जाता है, 31 मार्च 2015 की स्थिति में कुल 957 कर्मचारी बल में से 91 कर्मचारी अल्पसंख्यक समुदाय के थे तथा फेरो स्कैप निगम लिमिटेड में 31 मार्च 2015 की स्थिति में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रतिशतता 9.51% थी।

WELFARE OF MINORITIES:-

The directives issued from time to time for the welfare of Minorities under Prime Minister's new 15 point programme have been strictly adhered to by the company. As on 31st March 2015, out of 957 employees, the total strength of employees belonging to Minority communities was 91, and the percentage of representation of Minorities in FSNL was 9.51% as on 31st March 2015.

समय-समय पर प्रचलित/प्रस्तुत विविध कल्याणकारी कार्यों के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारियों की हितग्राहित में वृद्धि एवं अनुलाभ कम्पनी द्वारा प्रदान किया जाता है।

Various welfare measures as in vogue / introduced by the company from time to time for the benefit of the employees was duly extended to the employees belonging to Minority communities uniformly.

कमजोर वर्ग का कल्याण :-

कम्पनी के कल्याणकारी उपायों के नियमों को समस्त श्रेणी के कर्मचारियों के लिये व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है। जिसमें अजा/अजजा तथा अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के कर्मियों को भी सम्मिलित करते हुये कर्मचारियों को कल्याणकारी उपायों के माध्यम से पूर्व संतुष्टि प्रदान किये जाने हेतु सुनिश्चित किया गया है।

WELFARE OF WEAKER SECTIONS:-

The rules/welfare measures of the company are widely extended to all categories of employees, including SC/ST/OBC community employees, and entire satisfaction of the employees through such welfare measures is ensured.



मानव संसाधन विकास :-

प्रतिवर्ष की भाँति वर्ष 2014-15 के प्रारंभ में अपनी वार्षिक कार्ययोजना में कार्मिकों (कार्यपालक सहित गैर-कार्यपालक कार्मिकों) बाह्य एवं आंतरिक स्रोतों मूल उपकरण निर्माताओं तथा प्रतिष्ठित विविध आयामी प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदाय किये जाने की व्यवस्था दी गई।

संबद्ध प्राधिकारियों की अनुशंसा के आधार पर कर्मचारियों की वार्षिक दक्षता निरूपण प्रपत्रों में प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का समर्थन करते हुये प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये कर्मचारियों को नामांकित किया गया, आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मुख्य ध्येय था कि कार्मिकों के कौशल एवं ज्ञान में वृद्धि के साथ ही साथ औद्योगिक तकनीकी के क्षेत्र में दिन-प्रतिदिन होने वाले विकास से उन्हें अवगत कराना।

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन :-

सूचना के अधिकार अधिनियम के आज्ञापक व अनिवार्य प्रावधानों के अनुपालन में एफ.एस.एन.एल. ने अपनी निगमन कार्यालय में एक जन-सूचना अधिकारी (पी.आई.ओ.) तथा एक सहायक जन-सूचना अधिकारी तथा अपनी 8 इकाईयों में भी एक-एक सहायक जन-सूचना अधिकारी नियुक्त किया है। प्रबंध निदेशक एफ.एस.एन.एल. प्रथम अपीली प्राधिकारी आर.टी.आई. 2005 के अनुसार मान्य किये गये हैं। कम्पनी ने सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अनुसार अपेक्षित 17 विभिन्न प्रकारों के फरमानों/नियमावलियों/स्वैच्छिकता के नियमों/स्वप्रेरणा के प्रकटीकरण की नियमावलियों के तहत सम्पूर्ण जानकारियों का अनुपालन सहित कम्पनी की वेबसाइट fsnl.nic.in पर जानकारियों को नियमित अद्यतन करते हुये प्रकाशित किया जाता है।

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का सतत् अनुपालन कम्पनी के द्वारा किया जाता है तथा अधिनियमों के तहत चाही गयी जानकारी निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान कुल 25 आवेदन सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दर्ज किये गये थे तथा समस्त 25 आवेदनों पर निर्धारित समयावधि में संतुष्टि पूर्ण निपटान किया गया।

सतर्कता गतिविधियाँ :-

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड का सतर्कता विभाग ने वर्ष भर में अनेकों पहल करते हुए विशिष्ट पहलुओं के आधार पर संगठन को प्रोन्नत, व्यवस्थित एवं सतर्कता व्यवस्था से परिचित कराया।

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड की वर्तमान व्यवस्था के संतुलित एवं विधिवत/सुसंगत प्रचालनीय गतिविधियों के कार्यान्वयन की अनुशंसाओं के साथ मानक कार्य विधि को मंत्रालय में जमा किया गया तथा वैसे ही क्रियान्वित किया जा रहा है। एफ.एस.एन.एल.ने अपनी भर्ती के नीतिओं की समसामयिक पुनर्विलोकन करते हुये आवश्यक अनुशंसाओं हेतु जमा किया है।

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT:-

Like every year, a yearly plan was chalked-out at the beginning of the year 2014-15 for imparting training to all employees (Executives as well as Non-executive employees) through Internal & External sources like OEMs & reputed training institutions.

Based on recommendations of the concerned authorities with regard to the training needs endorsed in the Annual Performance Appraisal forms of the employees, the employees were nominated for undergoing such training programmes with a view to enhance their skill & knowledge as well as to acquaint them with the day-to-day developments in the industrial technologies in the concerned field.

IMPLEMENTATION OF RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005:-

In compliance with the mandatory provisions of the RTI Act, FSNL has appointed an Public Information Officer (PIO) and one Assistant Public Information Officer at Corporate Office and one APIO each at its 8 Units. MD, FSNL is the first appellate authority under the R.T.I Act, 2005. The company has complied the information under 17 different templates/manuals/manuals for voluntary / suo-moto disclosure as required under Section 4(1) (b) of the Act and hosted the same on the company's website "fsnl.nic.in" and the information so published are being regularly updated.

The company is pro-actively complying with the provisions of Right to Information Act, 2005. All information sought under the Act is being furnished within the stipulated time period.

During the financial year 2014-15, a total number of 25 application were received under the RTI Act, 2005 and all 25 applications were duly replied to within the stipulated time frame.

VIGILANCE ACTIVITIES:-

Vigilance Department of FSNL had taken several initiatives during year with specific focus on preventive vigilance and systematic improvement in the organization.

In order to make the present system robust the study of operation activity of FSNL was carried out and recommendations along with SOP was submitted to the Ministry and the same is being implemented. Simultaneously reviewed the Recruitment Policy of FSNL and submitted the necessary recommendations.



सतर्कता विभाग ने एफ.एस.एन.एल. के क्रय-विक्रय नियमावली को अद्यतनता प्रदान करने के लिये अपने हाथों में लिया था। जिसे मंडल ने अपनी क्रियान्वित किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसे क्रियान्वित कर दिया गया है।

वर्ष के दौरान, 3 संरचनात्मक बैठकें मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के मध्य आयोजित की गई। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के साथ समन्वय बैठक भी आयोजित कर सहमति सूची को अंतिम रूप दिया गया, नियमित जाँच के संचालन के तहत रोधात्मक उपायों एवं अधिकारियों के संपत्ति विवरण की संयोगिक संवीक्षा की गई। वर्ष के दौरान 13 शिकायती प्रकरणों की जाँच करने के उपरान्त मंत्रालय/मुख्य सतर्कता आयुक्त को समयानुसार मुख्य सतर्कता अधिकारियों की बैठक में अनुवर्ती कार्रवाई का कार्यवृत्त समय-समय पर मंत्रालय प्रेषित किया गया।

भ्रष्टाचार से संघर्ष-तकनीकी की समर्थक भूमिका की आकर्षक ध्यान देने योग्य विषय वस्तु के साथ दिनांक 27 अक्टूबर 2014 से 1 नवम्बर 2014 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह की अवधि में कर्मचारियों के मध्य निबंध प्रतियोगिता, नारा प्रतियोगिता तथा सतर्कता को कार्यान्वित करने की शपथ लेते हुए कर्मचारियों ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह में भाग लिया।

सुरक्षा:-

सुरक्षा नियमों का अनुपालन व कर्मचारियों के मध्य जागरूकता लाने के उद्देश्य से एफ.एस.एन.एल. की समस्त इकाईयों सहित निगमन कार्यालय में सुरक्षा एवं सुरक्षित कार्य व्यवहार के उद्देश्य से सुरक्षा दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सुरक्षा तथा उससे सहबद्ध विषयों पर वाद-विवाद का आयोजन किया गया। आयोजन को कर्मचारियों के द्वारा हर्ष एवं उमंग के साथ वाद-विवाद में प्रतिभागी विजेताओं को उपयुक्त उपहार भी प्रदान किया गया।

अग्निशमन सेवा विभाग के द्वारा संबंधित इस्पात संयंत्रों तथा प्रतिष्ठित अभिकरणों यथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के माध्यम से कम्पनी के द्वारा कर्मचारियों के हितार्थ सुरक्षित कार्यशैली एवं अग्नि/अग्नि से सुरक्षा एवं बचाव का विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया।

प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता :-

प्रबंधन में कर्मिकों की सहभागिता का होना किसी भी संगठन के सुचारू रूप से संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। एफ.एस.एन.एल. इन सभी को अत्याधिक महत्ता प्रदान करता है। प्रबंधन की समस्त गतिविधियों के कार्यान्वयन में कर्मिकों की इष्टतम भागीदारिता की महत्ता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एफ.एस.एन.एल. ने निगमित स्तर के विभाग प्रमुखों सहित प्रबंधन व

Vigilance department has taken an initiative to update Purchase Manual of FSNL., which has been approved by the board and being implemented.

During the year, 03 structure meetings between CVO and CMD were held. Co-ordination meeting with CBI was also held to finalise the agreed list. Routine checks were conducted as a preventive measure and random scrutiny of the Property Returns of the officers was also carried out. During the year 13 nos. of complaint were investigated and report submitted to Ministry / CVC in stipulated time and necessary follow up action was taken on minutes of the meeting of CVOs held by Ministry time to time.

Vigilance Awareness Week:- 2014 was observed with the theme of "Combating Corruption- Technology as an Enabler" from 27th October, 2014 to 1st November, 2014 During this various activities like Essay competition, Slogan competition, taking pledge by the employees were carried out to create vigilance awareness among the employees.

SAFETY:-

As a measure of creating awareness among the employees about safety & safe working practices, Safety Day celebrations were organized in all the units of FSNL as well as at Corporate Office, comprising of debates on safety & allied matters. The celebration received a good response from the employees with their enthusiastic participation and suitable gifts were given away to the winners of debate competition.

Through the Fire service departments of the concerned Steel Plants as well as the reputed agencies like National Safety Council, the company also organized special training programmes related to prevention of fire/fire hazards and safe working practices for the benefit of the employees.

WORKERS' PARTICIPATION IN MANAGEMENT:-

Since Workers' Participation in Management plays a key role in smooth functioning of any organization, FSNL gives utmost importance to this aspect. In order to ensure optimum participation of workers in all activities carried out by the management, FSNL has constituted a Committee, viz., Joint Forum Committee, consisting of equal number of representatives from Management & the recognized Unions, including Heads of Department



मान्यता प्राप्त संघों के प्रतिनिधियों की समान संख्या में सम्मिलित करते हुये एक संयुक्त मंच समिति का गठन किया है। संयुक्त मंच समिति में प्रबंधन द्वारा नामित तथा संघों के एक प्रतिनिधि को नामित करते हुए क्रमशः संयोजक एवं संयुक्त संयोजक के पद पर स्थापित किया गया है। संयुक्त मंच समिति की नियमित बैठकों का संयोजन चर्चा तथा कर्मचारियों के हित संबंधी मामलों को सुलझाने व यथा संभव आवश्यक समझौतों से संबंधित अनुबंधों/ज्ञापनों को मान्यता प्राप्त संघों एवं प्रबंधन के मध्य व्यवस्थापन सहित हस्ताक्षरित समझौते भी किये जाते हैं।

इस प्रकार आमने-सामने की विविध आयामी प्रबंधन एवं यूनियन के मध्य विस्तार से की गई विस्तारित गहराई तथा उसके समाधान का पर्याप्त एवं सौहार्द्रतापूर्ण वातावरण में समस्याओं की विस्तारित गहराई को श्रेष्ठ एवं पर्याप्त सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में हल किये जाने का सुअवसर प्रदान किया जाता है, एफ.एस.एन.एल. ने श्रमिकों का प्रबंधन में भागीदारिता के नियमित श्रमिकों की सतत् एवं नियमित परिघटना को महत्ता प्रदान की है।

औद्योगिक संबंध :-

संपूर्ण वर्ष के दौरान कम्पनी ने सौहार्द्रपूर्ण एवं मधुर औद्योगिक संबंधों को प्रभावोत्पादक शक्ति प्रदान करते हुए किसी प्रकार का आनुषंगिक घेराव/बंद या हड़ताल की घटना के नहीं होने में सफलता प्राप्ति के फलस्वरूप उत्पादन एवं श्रमशक्ति का क्षय नहीं हुआ है।

राजभाषा नीति :-

समय-समय पर राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में जारी किए गए सभी शासकीय निर्देश का सर्वदा सख्ती के साथ अनुपालन हेतु एफ.एस.एन.एल.कटिबद्ध है।

निरंतर प्रेरणा के साथ कर्मचारियों को हिन्दी में अपने दैनिक कार्यों को करने हेतु हमेशा प्रोत्साहित किया गया। वर्ष 2014-15 में भी प्रत्येक वर्ष की तरह हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन माह सितम्बर 2014 में एफ.एस.एन.एल. की समस्त इकाईयों सहित निगमन कार्यालय में आयोजित किया गया। आयोजित हिन्दी पखवाड़े के अंतर्गत हिन्दी टिप्पण/आलेखन, हिन्दी ज्ञान प्रतियोगिताओं आदि में कर्मचारियों द्वारा उत्सुकता के साथ भाग लिया गया, आयोजित स्पर्धाओं में विजेताओं को योजना के प्रावधानों के अनुरूप नकद पुरस्कार प्रदान किया गया।

at Corporate level. Convener of JFC is nominated from Management's side and a representative of the Unions is nominated as the Jt.Convenor. Regular meetings of the Joint Forum Committee is convened for holding discussions and sorting out the matters of employees' interests across the table. Wherever necessary, Agreements/Memorandum of Settlements are also signed by & between the management & the recognized unions.

Such mutual discussions across the table provide ample opportunities to the Unions as well as to the Management to go into the details of the problems and to find out the best possible solution, in a congenial atmosphere, and thus, the Workers' Participation in Management in FSNL is a regular & continuous phenomenon.

INDUSTRIAL RELATIONS:-

Through out the year a cordial & smooth industrial relationship prevailed in the company with no incident of Gherao/Bandh or Strike etc., resulting in loss of manhour or production.

OFFICIAL LANGUAGE POLICY:-

All directives issued by the Government from time to time with regard to implementation of Official Language Policy are strictly adhered to by FSNL.

With constant motivation, the employees were encouraged to carry out their day-to-day jobs in Hindi. Like previous years, in the year 2014-15 also Hindi Pakhwada (Hindi Fortnight) was organized in the month of September 2014 in all the units of FSNL as well as at Corporate Office. Employees keenly took part in the competitions organized during the Hindi Pakhwada like Hindi Noting/Drafting, Hindi Gyan Pratiyogita etc. Cash awards, as per provisions under the scheme were given away to the winners of such competitions.



कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों (कार्यपालक एवं गैर-कार्यपालकों) को यूनिकोड साफ्टवेयर अभिकल्पों (कम्प्यूटरों) में हिन्दी में कार्यों के उत्पादों के कार्यान्वयन हेतु प्रोत्साहित किया गया है।

इस प्रकार राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के क्षेत्र में एफ.एस.एन.एल. ने उल्लेखनीय प्रदर्शन का परिचय दिया है।

शिकायत निवारण क्रियाविधि की स्थिति :-

(अ) जन शिकायत निवारण-

एफ.एस.एन.एल.में जन शिकायतों के निवारण हेतु एक त्रिस्तरीय जन-शिकायत तंत्र की स्थापना की व्यवस्था दी है।

आयोजन की सहज सुगमता हेतु निगमन कार्यालय एवं विभिन्न इकाईयों के स्वागत पटल में शिकायत पेटी रखी गयी है। प्राप्त शिकायतों के लिये नामांकित अधिकारियों की उपस्थिति में प्रत्येक शुक्रवार को शिकायत पंजी नामक पुस्तक को पृष्ठांकित किया जाता है।

शिकायत के सुचारू रूप से निवारण हेतु आमजन या कर्मचारी जो भी हो, अपनी शिकायत, अधिकारी तदुपरान्त इकाई प्रमुख/निगमन कार्यालय के प्रचालन विभाग के प्रमुख तदुपरान्त निगमन कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक के पास क्रमशः एफ.एस.एन.एल.के तीन चरणों में अपने दृष्टिकोण/विचार रख सकते हैं। प्रत्येक चरण में निर्धारित समय सीमा के अंदर जवाब दिया जाता है। यदि किसी चरण में असंतुष्ट व्यक्ति को उत्तर से संतुष्टि न होने की दशा में वह अपनी अपील प्रबंध निदेशक से कर सकते हैं।

प्रबंध निदेशक द्वारा 3 चरणों में प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा कार्रवाईयों का विश्लेषण करते हुये 15 दिनों के अंदर संबंधित शिकायतकर्ता को उसकी अपील पर अपने निर्णय से अवगत कराते हुए संप्रेषित करेंगे। वर्ष 2014-15 में आमजन शिकायत दर्ज नहीं की गई हैं।

(ब) कर्मचारी वर्ग शिकायत निवारण:-

कर्मचारी वर्ग शिकायत, यदि कोई है तो की स्थिति में सामान्यतः उसे इकाई स्तर पर हल किया जाता है, ऐसी शिकायतों जिसमें निगमन प्रबंधन के हस्तशेष की जरूरत की स्थिति में, संघ एवं प्रबंधन शिकायतों को अपने हाथों में लेकर आमने-सामने बैठकर समस्या का निदान किया जाता है।

इनके अलावा सामान्य कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों जैसे एक इकाई से अन्य इकाई में स्थानान्तरण का अपेक्षित हल

Employees (Executives as well as Non-executives) working in the offices are encouraged to work on Unicode software available on their computers for enhancing the output of jobs carried out in Hindi.

Thus, in the area of implementation of official language policy also FSNL is exhibiting a remarkable performance.

GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM WITH STATUS

(A) PUBLIC GRIEVANCE REDRESSAL

A 3-Tier Grievance Redressal Machinery has been formulated by FSNL for redressal of Public Grievances.

A **Grievance Box** has been kept at the reception counter of the Units/Corporate Office for easy accessibility of these boxes to the Public. The Grievances so received, are endorsed in a register called **Grievance Register** on every Friday in the presence of Public Grievance Officers, nominated for this purpose.

For smooth redressal of one's grievance the employee or even any one from Public could approach FSNL under 3 stages beginning with its Public Grievance Officer, then the Unit Head/HOD of Operations at Corporate Office & then CGM at Corporate Office. At each stage he is responded within a stipulated time schedule. In the event the aggrieved person is not satisfied with the reply at any stage, he can make his appeal to the Managing Director.

The MD, after examining the actions taken by the authorities at the above 3 stages, would analyze the grievances & communicate his decision to the concerned complainant within 15 days of the receipt of the appeal.

No Public grievance was received during the year 2014-15.

(B) STAFF GRIEVANCE REDRESSAL:-

The staff grievances, if any, are normally resolved at the unit level. Such grievances which need intervention of Corporate management, are taken up by the Unions with the Management at the Joint Forum Committee's meetings and the grievances are resolved across the table.

Apart from these, the usual staff grievances relate to transfer from one unit to another, which are resolved depending upon the requirements at opportune



उपयुक्त समय पर निर्भर करता है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रारंभ में मात्र एक शिकायत बकाया थी तथा कुल 8 शिकायतें वर्ष के दौरान दर्ज की गईं, वर्ष 2014-15 के दौरान 9 शिकायतों का निवारण किया गया और इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंत तक किसी भी प्रकार की शिकायत लम्बित नहीं है।

नागरिक /चाट्टर :-

एफ एस एन एल ने संस्थान की वचनबद्धता को पूरा करने हेतु नागरिक/ग्राहक से संस्थान की अपेक्षा सहित सेवाओं के मानक, जानकारी, विकल्प तथा परामर्श, गैर-विभेदकारी एवं अभिगम्य, शिकायते निवारण, शिष्टाचार तथा मुद्रा हेतु मान के परिप्रेक्ष्य में नागरिकों/ग्राहकों के प्रति संस्थानों की वचनबद्धता पर ध्यान संकेद्रित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करने सात चरण प्रतिमान अंगीकार कर एक नागरिक विशेषाधिकार सुत्रबद्ध किया है।

कार्यस्थल में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम:-

आपकी कंपनी अपनी महिला कर्मियों को उनके कार्यक्षेत्र में संरक्षित सुरक्षित परिवेश उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि वे संगठन का अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिये कम्पनी में एक समिति का भी गठन किया हुआ है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं की गई है, वर्षभर में शिकायतों की संख्या निरंक दर्ज की गई है, समिति निरंक शिकायत प्रतिवेदन तैयार किया है।

अधिनियम 2013 की धारा 22 कार्यस्थल में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) का अनुपालन किया जाता है।

महत्वपूर्ण सामग्री आदेशों का पारण नियामकों या न्यायालय द्वारा :-

नियामक/न्यायालय द्वारा कोई सार्थक/महत्वपूर्ण आदेश सामग्री के पारण हेतु नहीं किया गया है, जिसके कारण भविष्य में कम्पनी के प्रचालन व उसकी स्थिति एवं दशा को प्रभावित करें।

moment. There was only one such grievance outstanding at the beginning of the financial year 2014-15, and a total number of 8 grievances were received during the year. The total number of grievances redressed during the year 2014-15 was 9, and thus, no such grievance was pending at the end of the financial year 2014-15.

CITIZEN CHARTER :-

A Citizen's Charter has been formulated by FSNL by adopting the Seven Step Module, representing a systematic effort to focus on the commitment of the Organizations towards its Citizens/Clients in respect of Standard of Services, Information, Choice and Consultation, Non-discrimination and Accessibility, Grievances Redress, Courtesy and Value for money, including expectation of the Organization from the Citizen/Client for fulfilling the commitment of the Organization.

Prevention of sexual harassment of women at work place:-

Your company is committed to provide a safe and secure environment to its women employees across its functions, as they are integral and important part of the organization.

There is a Committee in the company for prevention of sexual harassment of women at work place.

No complaints were received by the committee during the year under review. Since the number of complaints filed during the year was NIL, the committee prepared a NIL complaints report.

This is in compliance with section 22 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS:-

There are no significant material orders passed by the Regulators / Courts which would impact the going concern status of the company and its future operations.



सूचना प्रौद्योगिकी की पहल:-

- एफ.एस.एन.एल. की सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (आई.बी.एम.ब्लेड सर्वर) के साथ पूर्ण सुसज्जित है, सर्वर अत्याधिक ऊर्जा की दक्षता से पूर्ण एवं विद्युतीय ऊर्जा की खपत में बचत के लिये अग्रणी है।
- सर्वर आईपीव्ही 6 पालन कर रहा है।
- सुरक्षा की महत्वपूर्ण जानकारी के लिये एफ.एस.एन.एल. फायरवॉल फोर्टिगेट, फोर्टिनेट 80 सी को स्थापित किया है, सुरक्षा उपस्कर फायरवॉल के द्वारा अनाधिकृत घुसपैठ को रोके रखने की व्यवस्था कार्यस्थल में दी है।
- प्रसिद्ध कम्पनी से रूटर्स तथा आईपीव्ही 6 प्रवसर के लिये समस्त नेटवर्क उपकरण पूरी तरह सुसज्जित है।
- सैप बी 1 एडऑन्स इकाई का उपयोग इन्टरनेट कनेक्शन के माध्यम से सर्वर तक पहुँचाया जाता है।
- इकाईयो से सैप बी 1 उपयोग करने के लिये एफ एस एन एल वर्चुअल निजी नेटवर्क को स्थापित करने की योजना बना रहा है।
- एफ.एस.एन.एल. आपदा समुत्थान (रिकवरी) स्थल स्थापित करने की योजना बना रहा है।
- कम्पनी की वेबसाइट में निविदाओं को स्थान दिया जाता है।
- कम्पनी की समस्त इकाईयों में अनाधिकृत घुसपैठ की रोकथाम के लिये फायरवाल, फोर्टिगेट, फोर्टिनेट 40सी की आईपीव्ही 6 का संग्रहण किया गया है।
- एफ.एस.एन.एल. ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अनुसार अपेक्षित 17 विभिन्न प्रकार के नमूनाओं/नियमावलियों/स्वैच्छिक के लिये नियमावलियों संबंधित प्रकटीकरणों के तहत सम्पूर्ण जानकारियों का अनुपालन अपनी वेबसाइट "fsnl.nic.in" पर नियमित अद्यतम जानकारी प्रकाशित करता है।

कर्मचारियों का विवरण (ब्यौरा):-

नियम 5(2 एवं 3) कम्पनियों (नियुक्ति एवं प्रबंधकीय कार्मिक मानदेय) 2014 के तहत कम्पनी के कर्मचारियों का नाम तथा अन्य विस्तारित विवरणियाँ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2014-15 में कम्पनी के किसी भी कर्मचारी ने निर्धारित सीमा जो कि उल्लेखित नियम 5(2) में उल्लेखित है से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त किया है।

निदेशक मंडल:-

निदेशकगण:-

भारत सरकार, इस्पात संयंत्र के पत्र क्रमांक- 1(1)/2014 बी.एल.ए.दिनांक 22 दिसम्बर 2014 के द्वारा श्री डी.बी.सिंह को श्री के.एस.समरेन्द्र नाथ(डीआईएन:06892278) निदेशक इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के स्थान पर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

Information Technology Initiative:-

- FSNL IT Deptt is equipped with (IBMBLADE SERVER) –The servers are highly energy efficient and leading to saving in power consumption.
- The servers are IPv6 complied.
- FSNL places importance to information security issues by installing Firewall Fortigate Fortinet 80C. The security appliances Firewall is also in place to prevent unauthorized intrusion.
- All network equipment like Routers from renowned company and totally ready for Ipv6 Migration.
- Units are accessing server through internet connection to use SAP B1 Addons.
- FSNL is planning to install virtual private network for using SAP B1 from units.
- FSNL also planning to install Disaster Recovery Site.
- Tenders are hosted on Company's Website.
- The IPv6 complied, Firewall, fortigate, fortinet, 40C has been installed at all units to prevent unauthorized intrusion.
- FSNL has compiled the information under 17 different templates/manual/manuals for voluntary/suo-moto disclosure as required under Section 4(1)(b) of the RTI Act 2005 and hosted the same on company's website "fsl.nic.in" and the information so published are being regularly updated.

PARTICULARS OF EMPLOYEES:-

The Statement showing the names and other particulars of the employees of the company as required under Rule 5 (2 & 3) of Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 is not required to be furnished since none of the employees of the company has received remuneration in excess of the remuneration mentioned in the above mentioned Rule 5 (2) during the financial year 2014-15.

BOARD OF DIRECTORS:- DIRECTORS:-

Govt. of India, Ministry of Steel, vide letter no: 1(1)/2014-BLA dated 22nd December,2014 appointed Shri D.B.Singh. in place of Shri K.S.Samarendra Nath (DIN: 06892278), Director, MOS, GOI.



तदनुसार श्री दीनबंधु सिंह (डीआईएन:03619886) निदेशक इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार को अतिरिक्त निदेशक के रूप में श्री के.एस.समरेन्द्र नाथ (डीआईएन:06892278) इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के स्थान पर नियुक्त किया गया। श्री डी.बी.सिंह, निदेशक पद को धारित करते हुये आगामी वार्षिक बैठक के समापन तक पद पर बने रहेंगे एवं पुनः नियुक्ति के योग्य है।

मंत्रालय के दिनांक 5 फरवरी, 2015 के आदेश सं 11(1)/2015-बी एल ए के द्वारा प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्ति होने के परिणाम-स्वरूप श्री राजीब भट्टाचार्य (डी आई एन: 07091356) ने 09.02.2015 के प्रभाव से प्रबंध निदेशक के पद का प्रभार संभाला, श्री शैलेन्द्र कृष्ण त्रिपाठी (डी आई एन: 01016520) कम्पनी के अध्यक्ष के पास प्रबंध निदेशक एफ.एस.एन.एल. का अतिरिक्त प्रभार दिनांक 08.02.2015 तक रहा। श्री भट्टाचार्य की नियुक्ति नियमितीकरण के लिये आगामी वार्षिक आम बैठक में रखी जावेगी।

श्री बाम बहादुर सिंह (डी आई एन: 03212787) नामित निदेशक एम.एस.टी.सी. लिमिटेड क्रमावर्ती स्थिति के अनुरूप आगामी वार्षिक बैठक तक पद पर रहेंगे एवं पुनः नियुक्ति के योग्य है।

प्रशासनिक इस्पात मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसी की भी नियुक्ति न करने के कारण, वर्तमान में स्वतंत्र निदेशक के 2 पद रिक्त है तथा स्वतंत्र निदेशक की मंडल में नियुक्ति कम्पनी के नियंत्रण में नहीं है।

निदेशक मण्डल श्री के.एस.समरेन्द्रनाथ द्वारा कम्पनी के निदेशक के रूप में पदावधि के दौरान उनके उल्लेखनीय एवं अनुकरणीय योगदान को लेख बद्र करता है।

नव-नियुक्त निदेशकों की संक्षिप्त जानकारी :-

श्री राजीब भट्टाचार्य (डीआईएन:07091356) को मंत्रालय के आदेश क्रमांक 11(1)/2015-बी.एल.ए. दिनांक 05/02/2015 के अनुसार प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है।

भारत सरकार के पत्र क्रमांक 1(1)/2014 बी.एल.ए. दिनांक 22 दिसम्बर 2014 के द्वारा श्री दीनबंधु सिंह (डीआईएन:03619886) निदेशक, इस्पात मंत्रालय को श्री के.एस.समरेन्द्र नाथ (डीआईएन:06892278) निदेशक इस्पात मंत्रालय, के स्थान पर नियुक्त किया गया है।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन:-

कम्पनी के अध्यक्ष श्री शैलेन्द्र कृष्ण त्रिपाठी (डीआईएन: 01016520) के पास दिनांक 08-02-2015 तक प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार था। दिनांक 09.02.2015 से प्रभावशील -श्री राजीब भट्टाचार्य को प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है।

Accordingly, Shri Deen Bandhu Singh, (DIN:03619886) Director, MOS, Govt. of India, has been appointed as additional director on the board of the company in place of Shri K.S.Samarendra Nath (DIN: 06892278), Director, MOS, GOI. Shri D.B.Singh shall hold office till the conclusion of the ensuing Annual General Meeting of the company and being eligible offers himself for re-appointment.

Consequent upon appointment as Managing Director vide letter no: 11(1)/2015-BLA dated 5th February, 2015, Shri Rajib Bhattacharya (DIN: 07091356) took over as Managing Director w.e.f. 09.02.2015. Shri Shailendra Krishna Tripathi, (DIN:01016520), Chairman of the company was holding additional charge of the post of Managing Director, FSNL, upto 08.02.2015. Appointment of Shri Bhattacharya shall be placed before the ensuing annual general meeting for regularization.

Shri Bam Bahadur Singh, (DIN: 03212787) nominee Director of MSTC Ltd., shall retire by rotation.

Presently the position of two independent directors are vacant as no one has been appointed by the Administrative Ministry and the appointment of the independent directors on the Board are beyond the control of the company.

Your directors place on record their deep appreciation of the valuable contributions made by Shri K. S. Samarendra Nath during his tenure as director of the company.

BRIEF INFORMATION OF THE NEWLY APPOINTED DIRECTORS:-

Shri Rajib Bhattacharya (07091356) is appointed as Managing Director of the company vide order no: 11(1)/2015-BLA dated 05/02/2015.

Shri Deen Bandhu Singh, (DIN:03619886) –Director MOS, Govt. of India, Ministry of Steel has been nominated by Govt. of India, Ministry of Steel vide letter no: 1(1)/2014-BLA dated 22nd December, 2014 in place of Shri K. S. Samarendra Nath (DIN: 06892278), Director, MOS, GOI.

Change in Key Managerial Personnel :-

Shri Shailendra Krishna Tripathi, (DIN:01016520), Chairman of the company was holding additional charge of the post of Managing Director, FSNL, upto 08.02.2015. Shri Rajib Bhattacharya has been appointed as the Managing Director of the company w.e.f. 09.02.2015.



लेखा परीक्षक:-

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 को सहपठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129(4) में प्रदत्तशक्ति के अधिकार के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार ने, मेसर्स अग्रवाल एवं पंसारी सनदी लेखापाल को समीक्षाधीन अवधि के लिये वैधानिक लेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त किया।

वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2015 की समाप्ति पर सांविधिक लेखा परीक्षक के द्वारा प्रस्तुत लेखा प्रतिवेदन को इस प्रतिवेदन के प्रपत्रों अनुलग्नक II में दिया गया है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) एवं (7) के तहत नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के लेखाओं पर टिप्पणियों को इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक III में दिया गया है।

सचिवीय लेखा परीक्षक:-

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 तथा सहपठित नियम 9 कंपनी (नियुक्ति, प्रबंधकीय कार्मिकों का परिश्रमिक) नियम 2014, कंपनी अधिनियम 2013 के नियम के प्रावधानों के अनुसार श्री सौमायो ज्योति सील(सी.पी.क्रमांक 11169, ए.सी.एस.30311)अभ्यारत कंपनी सचिव को कम्पनी का सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट निदेशकों के प्रतिवेदन का एक हिस्सा अनुलग्नक IV के रूप में संलग्न है।

सचिवीय लेखा परीक्षा की टिप्पणियां/अवलोकनों/अभियुक्ति सचिवीय और अन्य कानूनी अनुपालन पर रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2014-15 में तथ्यात्मक बयान कर रहे हैं और इसलिए किसी भी स्पष्टीकरण या टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

आंतरिक परीक्षक:-

मेसर्स अवतार एन्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, मेसर्स अशोक कुमार शर्मा एन्ड एसोसियेट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स तथा मेसर्स एच.एन.प्रधान एन्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स कम्पनी के आंतरिक लेखा परीक्षक के कार्यों का निष्पादन करते हैं तथा समय-समय पर उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों को लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाती है।

निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व:-

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(सी)के प्रावधानों के अपेक्षानुसार, कम्पनी के प्रचालन प्रबंधन तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर निदेशक मंडल निम्नलिखित बयान करता है:-

AUDITORS:-

In pursuance of the powers conferred by Section 139 of the Companies Act,2013 read with section 129(4) of the Companies Act,2013, the Comptroller & Auditor General of India appointed M/s Agrawal & Pansari, Chartered Accountants as the Statutory Auditor of the Company for the period under review.

The Statutory Auditors' Report on the Accounts of the Company for the financial year ended on 31st March, 2015 is placed at Annexure II and forms part of this report.

The comments on the accounts for the year ended 31st March 2015 by the Comptroller & Auditor General of India under Sec 143(6) & (7) of the Companies Act,2013 is placed at Annexure III and forms part of this report.

SECRETARIAL AUDITORS:-

Pursuant to the provisions of Section 204 of the Companies Act, 2013 read with Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 of the Companies Act,2013 and the Companies has appointed Shri SAUMAYO JYOTI SEAL (C.P. No: 11169, ACS. 30311) Company Secretaries to undertake the secretarial audit of the company. The Secretarial Audit Report is annexed herewith as Annexure IV and forms part of this report.

The qualifications, reservations remarks or disclaimers in the Secretarial Auditor's Report on Secretarial and other applicable legal compliances for the financial year 2014-15 are factual statement and hence does not require any explanations or comments.

INTERNAL AUDITORS:-

M/s. Awatar & Co. Chartered Accountants, M/s Ashok Kumar Sharma & Associates, Chartered Accountants and M/s. H.N.Pradhan & Co. Chartered Accountants performs the duties of internal auditors of the company and their report is reviewed by the audit committee from time to time.

DIRECTORS RESPONSIBILITY STATEMENT:-

Your Directors make the following statements in terms of Section 134(3)(c) of the Companies Act, 2013 based on the representations received from the operating management and Chief Financial Officer of the company:



- क) वार्षिक लेखा तैयार करते वक्त लागू लेखा मानको को पूरी तरह से अनुपालन किया गया है एवं जहाँ इन मानकों से हटकर कार्यवाई की गई है, वहाँ उचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं।
- ख) निदेशकों ने ऐसी लेखाकन नीतियाँ का चयन किया और उनका लगातार अनुसरण कर इस तरह के उचित निर्णय एवं अनुमान तैयार किये है जो तर्कसगत है एवं कम्पनी के कार्यों के लिये वित्तीय वर्ष के अन्त में तथा उक्त अवधि में कम्पनी के लाभ की सही और सटीक तस्वीर प्रकट होती है।
- ग) निदेशकों ने कम्पनी की संपत्ति की सुरक्षा के वास्ते एवं धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने व पता लगाने हेतु कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप उचित लेखा अभिलेखों का रखरखाव हेतु उचित और पर्याप्त ख्याल रखा है।
- ध) निदेशकों ने वार्षिक लेखा जारी कारोबार के आधार पर तैयार किया है।
- ड) निदेशकों ने प्रयोज्य सभी कानूनी प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए उचित प्रणाली तैयार की है तथा वे सभी प्रणाली उचित एवं प्रभावी ढंग से कार्य किया है।

वार्षिक विवरणी का निष्कर्ष :-

वार्षिक विवरणिका को एम.जी.टी.9 में विस्तार के साथ उद्घृत कर “अनुलग्नक V” में संलग्न कर दिया गया है।

लेखा परीक्षक समिति:-

कम्पनी में रिक्त स्वतंत्र निदेशकों के पद पर नियुक्ति प्रदान के लिये कम्पनी भारत सरकार से सम्पर्क कर निरन्तर प्रयन्तशील है-चूँकि स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति कम्पनी के नियन्त्रण में नहीं है।

आपके मंडल ने स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में मौजूदा निदेशकों को शामिल एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है जो कि मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर पुर्नगठित किया जावेगा।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व:-

यद्यपि कम्पनी अधिनियम 2013 में कारपोरेट सामाजिक दायित्व का प्रावधान किया गया है, कम्पनी ने पूर्व वर्षों से जबकी यह लागू नहीं था कम्पनी इसे संगठन की सोच के रूप में कर रही है।

एफ.एस.एन.एल. ने भारत के विभिन्न राज्यों में शिक्षा, खेल, क्रीड़ा से संबंधित विकास की गतिविधियों, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं देखभाल, पर्यावरणीय सुरक्षा, अधो संरचना एवं नागरिक सुविधायें कला एवं

- a) That in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures;
- b) That your Directors have selected such accounting policies and applied them consistently, and made judgment and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit of the company for that period;
- c) That your Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of your company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- d) That your Directors have prepared the annual accounts on a going concern basis;
- e) that your Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively

EXTRACT OF ANNUAL RETURN:-

The details forming part of the extract of the Annual Return in form MGT 9 is annexed herewith as “ANNEXURE V”.

Audit Committee:-

Your company is pursuing with the Government of India for the appointment of independent directors against vacancies and the appointment of directors are beyond the control of the company.

Your Board has constituted Audit Committee in the absence of the independent directors with the existing directors which shall be reconstituted on induction of independent directors on the Board by the Ministry.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:-

Even though the provisions of Companies Act, 2013 regarding Corporate Social Responsibility are not attracted to the company yet the Company has been, over the years, pursuing as part of its corporate philosophy.

FSNL has been undertaking various activities across different States of India in the areas of Education, Development of Sports activities, Medical Health & Hygiene, Environmental Protection, Infrastructure &



संस्कृति के विकास, प्राकृतिक प्रकोप से प्रभावित जनों के पुर्नवास - के लिये वित्तीय सहायता सहित स्वच्छ भारत अभियान एवं स्वच्छ विद्यालय अभियान के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों एवं क्रियाकलापों को अधिग्रहित किया हुआ है।

कम्पनी में रिक्त स्वतंत्र निदेशकों के पद पर नियुक्ति प्रदान के लिये कम्पनी भारत सरकार से सम्पर्क कर निरन्तर प्रयन्तशील है-चूँकि स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति कम्पनी के नियन्त्रण में नहीं है।

आपके मंडल ने स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में मौजूदा निदेशकों को शामिलकर एक कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निगरानी समिति का गठन किया है। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निगरानी समिति की अनुशंसा पर कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीतियों (सी.एस.आर.नीति) को कम्पनी द्वारा अंगीकृत किया गया है।

कम्पनी की सी एस आर नीतियाँ, कम्पनी के वेबसाइट www.fsnl.nic.in पर उपलब्ध है।

सी.एस.आर की गतिविधियों का वार्षिक प्रतिवेदन 'अनुलग्नक VI' के रूप में संलग्न है।

नामांकन और कम्पनी की पारिश्रमिक नीतियाँ:-

एफ.एस.एन.एल. सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के तहत कम्पनी में अध्यक्ष सहित प्रबंध निदेशक, शासकीय नामित निदेशक एवं अन्य निदेशकों जिनमें एक पद नियंत्री कम्पनी द्वारा नामित है को छोड़कर सभी अन्य पद पर चयन और नियुक्ति इस्पात मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की जाती है। कम्पनी को किसी भी प्रकार की नियुक्ति या अपदस्त करने का अधिकार नहीं है।

सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी होने के कारण कम्पनी ने डी.पी.ई.की पारिश्रमिक से संबंधित मार्गदर्शिका को प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन से अपने गैर श्रमिक संघों के कर्मचारियों के लिये अंगीकृत किया है तथा प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन के साथ कम्पनी के द्वारा मान्यता प्राप्त श्रमिकों की श्रम संघ के साथ मजदूरी वेतन के संबंध में अनुबंध कर क्रियान्वयन किया गया है।

प्रबंध निदेशक का वेतनमान मंत्रालय द्वारा नियुक्ति प्रदान करते समय निर्धारित कर दिया जाता है।

कम्पनी में पारिश्रमिक समिति है जो गैर कार्यकारी निदेशकों की बैठक फीस तथा गैर श्रमिक संघों के कर्मियों के कार्य निष्पादन से संबंधित वेतन को डी.पी.ई. की मार्गदर्शिका के तहत निर्धारित सीमा में निर्णय ले सकते हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संदर्भ में वित्तीय विवरणिका -

कम्पनी में आंतरिक नियंत्रण के लिये एक प्रभावशाली और कुशल निगरानी व्यवस्था है जो कम्पनी की गतिविधियों में शुद्धता,

Civic Amenities, Development of Art & Culture, Financial Assistance for rehabilitation of affected people of natural calamities, apart from Swachh Bharat Abhiyan & Swachh Vidyalay Abhiyan.

Your company is pursuing with the Government of India for appointment of independent directors against vacancies and the appointment of directors are beyond the control of the company.

Your Board has constituted a Corporate Social Responsibility Monitoring Committee in the absence of the independent directors with the existing directors. Based on the recommendation of the CSR Committee a Corporate Social Responsibility Policy (CSR Policy) of the Company has been adopted.

The CSR Policy of the company is available on the website of the company at www.fsnl.nic.in.

The Annual Report on CSR activities is annexed herewith as "Annexure VI".

NOMINATION AND REMUNERATION POLICY OF THE COMPANY:-

FSNL, being CPSE, the selection and appointment of directors including Chairman, Managing Director, Govt. Nominated director and other directors except one nominee director by holding company are being appointed by the Ministry of Steel, Govt. of India. Company is not having any power to induct or remove any of them.

Being the public sector company, the Company adopts the DPE Guidelines for remuneration of its non-unionised employees with the approval of the administrative Ministry. And for unionised employees, agreement with recognised union for wage agreement are entered and implemented by the company with the approval of the administrative ministry.

And, as regard the pay scale of Managing Director, the same is fixed by the Ministry on appointment.

However, Company is having Remuneration Committee which can decide setting fees of the non-official director and the performance related pay for the non-unionized employees of the company within the prescribed limit of DPE guideline.

ADEQUACY OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS WITH REFERENCE TO THE FINANCIAL STATEMENTS:-

The company has an efficient and sound system of internal control to monitor the activities of the company



स्पष्टता के साथ व्यापार के लक्ष्यों को प्राप्त करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता बनाती है। वर्तमान आंतरिक नियंत्रण वैधानिक नियमों, कानूनों तथा कम्पनी की नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु आन्तरिक लेखा परीक्षा कार्य में पारदर्शिता पर जोर देते हुए कम्पनी ने आन्तरिक लेखा परीक्षा कार्य स्वतंत्र बाह्य सनदी लेखापालो को सोप दिया गया। आन्तरिक लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन समय समय पर मूल्यांकन और उपचारात्मक उपायों यदि कोई हो, के लिये प्रबंधन को प्रस्तुत कर रहा है।

जोखिम प्रबंधन नीति:-

कम्पनी ने जोखिम प्रबंधन नीति को अंगीकृत किया है जो कार्य व्यापार के संचालन और अन्य गतिविधियों के साथ जुड़े जोखिम की पहचान और उनका मूल्यांकन करने तथा जोखिम शमन रणनीतियों को तैयार करता है।

सीटी धमनी नीति:-

कम्पनी सीटी धमनी नीति कर्मचारियों को यदि सच्चाई से कम्पनी में अनैतिक, अनुचित प्रथाओं अथवा कोई अन्य त्रुटिपूर्ण आचरण का अवलोकन करते हैं तो उसे लेखा परिक्षक सीमित तक पहुँचाने का अवसर प्रदान करती है तथा इस नीति के तहत उन कर्मचारियों के खिलाफ कोई प्रतिकूल व्यक्तिगत कारवाई करने से प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रतिबंधित करती है। यह नीति इस संबंध में लोक उधम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर आधारित है।

यह नीति कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

संबंधित पक्ष सौदे:-

कम्पनी और निदेशक मंडल, प्रबंधन, नियंत्रि कम्पनी या रिश्तेदारी के बीच कोई भौतिक महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष सौदा नहीं किया गया है। लेखांकन मानकों (ए.एस.-18) द्वारा यथायोग्य अपेक्षित प्रकटीकरण को वित्तीय, विवरणिका की टीप क्रमांक 30 में दर्शाया गया है।

निगमित अभिशासन:-

निगमित अभिशासन का पृथक प्रतिवेदन एवं प्रबंधकीय विचार-विमर्श तथा विश्लेषण को अनुलग्नक VII में वार्षिक प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया गया है।

to achieve the business objectives with accuracy, clarity and transparency of financial reporting. Present internal control ensures statutory compliance with rules, laws and regulations with the laid down policies and procedures of the company.

To ensure independence to the internal control system, internal audit functions emphasizing transparency in the system and therefore, internal audit of the company is entrusted to independent external firms of Chartered Accountants. The reports of the internal audit are periodically submitted to the management for improvement, appraisal and remedial measures, if any.

RISK MANAGEMENT POLICY:-

The Company has adopted a Risk Management Policy to identify and evaluate business risks associated with the operations and other activities of the Company and formulated risk mitigations strategies.

WHISTLE BLOWER POLICY:-

FSNL has also implemented a Whistle Blower policy for providing an opportunity to the employees to access in good faith, to the Audit Committee, in case they observe unethical and improper practices or any other wrongful conduct in the company, and to prohibit managerial personnel from taking any adverse personnel action against those employees. The policy is based on the guidelines issued by the Department of Public Enterprises in this regard.

This policy is posted on the website of company.

RELATED PARTY TRANSACTIONS:-

There have been no materially significant related party transactions between the Company and the Directors, the management, the holding company or the relatives. Suitable disclosures as required by the Accounting Standards (AS18) has been made in the note no. 30 in the notes to the financial statements.

CORPORATE GOVERNANCE:-

Separate report on Corporate Governance and Management Discussions and Analysis are attached herewith as Annexure-VII and forms part of this Annual report.



अभिस्वीकृति:-

मंडल महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्रों के एकीकृत इस्पात संयंत्रों के साथ-साथ निजी क्षेत्रों में स्थापित संयंत्र के ग्राहकों से प्राप्त निष्कपट समर्थन को लिपिबद्ध करता है। मंडल इस्पात मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्यों एवं आन्ध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ओडिसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, उत्तराखंड, तथा दिल्ली की सरकारों एवं उनमें संबंधित विभागों द्वारा एवं हमारी नियंत्रि कम्पनी एम.एस.टी.सी. लिमिटेड को उनके निरंतर समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल कम्पनी के उद्देश्यों की प्राप्ति में सभी स्तरों के समस्त कर्मचारियों के योगदान की सराहना को अभिव्यक्ति करता है।

वास्ते एवं निदेशक मंडल की ओर से।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10/09/2015

एस.के.त्रिपाठी
अध्यक्ष

ACKNOWLEDGEMENT:-

The Board records sincere support received from the valued customers who are Public Sector integrated steel plants as well as Private Sector steel plants. Board also express gratitude to the Ministry of Steel and other department of Govt. Of India and State Govt. of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Orissa, West Bengal Karnataka, Uttarakhand and Delhi for their continued support and guidance and our holding company MSTC limited.

The Board of Directors appreciates the contribution of all the employees at all levels towards attainment of Company's objectives.

For and on behalf of Board of Directors

Place: New Delhi
Date : 10/09/2015

S.K.Tripathi
Chairman



निदेशक के प्रतिवेदन का संलग्नक-1

ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा उपार्जन तथा निर्गम

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अंतर्गत कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के तहत ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी अवशोषण विदेशी मुद्रा उपार्जन तथा निर्गम आदि संबंधी सूचना का अपेक्षित प्रकटीकरण।

(क). ऊर्जा संरक्षण

(1) ऊर्जा के संरक्षण पर प्रभाव डालने के लिए उठाए गए कदम	ऊर्जा संरक्षण हेतु सभी स्तरों पर प्राथमिकता के साथ सतत ध्यान दिया गया। ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा का अधिकतम उपयोग हेतु, निरंतर निगरानी, रखरखाव और वितरण प्रणाली में सुधार एवं बेहतर परिचालन तकनीकों के माध्यम से पूरी कोशिश की जा रही है।
(2) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम	
(3) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश;	

ऊर्जा एवं ईंधन का खपत

	चालू वर्ष			पूर्व वर्ष		
	इकाईयाँ (किलो वाट)	कुल लागत	प्रति इकाई रूपये	इकाईयाँ(किलो वाट)	कुल लागत	प्रति इकाई रूपये
विद्युत	1037110	6071504	5.85	1105891	6613331	5.98

प्रति इकाई खपत

	मानक (यदि कोई है)	चालू वर्ष 2014-15	गत वर्ष 2013-14
उत्पाद - लौह एवं इस्पात स्क्रैप	अप्रोज्य	2.09	2.85

(ख) तकनीकी समावेश

(i)	प्रौद्योगिकी समावेश हेतु किए गए प्रयास	प्रौद्योगिकी का अधतन किया जाना सतत प्रक्रिया है, कम्पनी के द्वारा नवप्रवर्तन हेतु अवशोषण की अनुकूलनीय प्रक्रिया की जाती है। उपभोक्ताओं की आवश्यकतानुसार, सेवा में आवश्यक सुधार के लिये नए रास्ते को विकसित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है।
(ii)	उक्त प्रयासों जैसे उत्पाद अभिवृद्धि, लागत में कमी, उत्पाद उत्थान, आयात प्रतिस्थापन आदि के परिणाम स्वरूप प्राप्तलाभ	कम्पनी ने 10 एम एम से कम आकार के स्क्रैप फाइन्स का फी इनशिचमेन्ट को विकसित करने में सफलता मिली है तथा प्रायोगिक संयंत्र का इस्तेमाल कर परीक्षण किया गया।
(iii)	यदि आयातीत तकनीक है (वित्तीय वर्ष के आरम्भ से संगणित गत 3 वर्षों के दौरान आयातीत) ए) आयातीत प्रौद्योगिकी का विवरण बी) आयात का वर्ष सी) क्या प्रौद्योगिकी पूर्ण रूपेण अवशोषित की गयी है। डी) यदि पूर्ण अवशोषित नहीं है तो वह क्षेत्रों जहाँ इसे नहीं किया गया है उसके क्या कारण है।	निरंक
(iv)	अनुसंधान एवं विकास पर किये गये व्यय का विवरण	अलग से संलग्न किया गया है।



ANNEXURE – I TO THE DIRECTORS' REPORT

CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNING AND OUTGO ETC :

Information on conservation of Energy, Technology absorption, Foreign Exchange earnings and outgo required to be disclosed under Section 134 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Accounts) Rules, 2014 are provided hereunder

(A) CONSERVATION OF ENERGY :

(i) The steps taken or impact on conservation of energy :	Energy conservation continues to receive priority attention at all levels. All efforts are made to conserve and optimise use of energy with continuous monitoring, improvement in maintenance and distribution systems and through improved operational techniques.
(ii) The steps taken by the Company for utilising alternate sources of energy	
(iii) The capital investment on energy conservation equipments;	

POWER AND FUEL CONSUMPTION :

	CURRENT YEAR			PREVIOUS YEAR		
	UNITS(KWH)	Total Cost	₹ Per Unit	UNITS(KWH)	Total Cost	₹ Per Unit
Electricity	1037110	6071504	5.85	1105891	6613331	5.98

CONSUMPTION PER UNIT OF PRODUCTION :

	Standards (if any)	Current Year	Previous Year
		2014-2015	2013-2014
Product : Iron & Steel Scrap	N.A.	2.09	2.85

(B) TECHNOLOGY ABSORPTION :

(i)	The efforts made towards technology absorption	Updation of Technology is a continuous process, absorption implemented and adapted by the Company for innovation. Efforts are continuously made to develop new avenues for improved services required by Customers.
(ii)	The benefits derived like product improvement, cost : reduction, product development or import substitution.	The Company has been able to successfully developed "Fe enrichment of Scrap fines below 10mm size". The Pilot Plant for the same was commissioned tests were carried out.
(iii)	In case of imported technology (imported during the : last three years reckoned from the beginning of the financial year) (a) the details of technology imported (b) the year of import; (c) whether the technology been fully absorbed (d) if not fully absorbed, areas where absorption has not taken place, and the reasons thereof	NIL
(iv)	The expenditure incurred on Research and Development:	Separately attached



आर एण्ड डी पर व्यय

(₹ लाख में)

	2014-15	2013-14
(अ) पूंजीगत	7.51	निरंक
(ब) आवर्ती	15.38	24.13
(स) योग	22.89	24.13
(द) ऑर एण्ड डी का व्यय कुल टर्नओवर का प्रतिशत	-	-

(स) विदेशी मुद्रा उपार्जन तथा निर्गम: (रूपये लाख में)

(₹ लाख में)

	2014-15	2013-14
विदेशी मुद्रा अर्जन	निरंक	निरंक
विदेशी मुद्रा का व्यय	निरंक	9.64

वास्ते एवं निदेशक मंडल की ओर से ।

एस.के.त्रिपाठी

अध्यक्ष

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 10/09/2015

**EXPENDITURE ON R&D:**

(₹ In lakhs)

	<u>2014-2015</u>	<u>2013-2014</u>
a. Capital	7.51	NIL
b. Recurring	15.38	24.13
c. Total	22.89	24.13
d. Total R & D expenditure As percentage of total turnover(%)	-	-

(C) FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO :

(₹ In lakhs)

	<u>2014-2015</u>	<u>2013-2014</u>
Foreign exchange earning	NIL	NIL
Foreign exchange outgo	NIL	9.64

For and on behalf of Board of Directors**S.K.Tripathi**
ChairmanPlace : New Delhi
Date : 10/09/2015



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड के सदस्यों को प्रेषित

वित्तीय विवरणों का प्रतिवेदन

हमने फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड (कंपनी) की संगत वित्तीय विवरणियों का लेखा परीक्षण किया जिसमें दिनांक 31 मार्च 2015 के तुलन-पत्र तथा समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरणी, नकदी प्रवाह विवरणी एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक जानकारियों के सारांश का समावेश है।

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन की जवाबदेही

कंपनी के निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 अधिनियम की धारा 134(5) में दिए गए विषयों के लिए उत्तरदायी है जो भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों सहित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा के अंतर्गत विशिष्ट लेखा मानक के संबंध में वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, नकदी प्रवाह की सत्य एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करता है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकना एवं पता लगाना, उपयुक्त लेखा नीतियाँ का चयन एवं लागू करना, निर्णय लेना एवं अनुमान लगाना जो तर्क संगत और विवकेपूर्ण हों, शामिल हैं एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की बनावट, कार्यान्वयन एवं रखरखाव जो लेखा रिकार्डों की सत्यता एवं पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली रूप में परिचालित हो रहे थे, वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रभावशाली रूप से परिचालित हो रहे थे, वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित एवं तैयार करना, जो सत्य एवं निष्पक्ष राय प्रदान करता है एवं तात्त्विक विसंगतियों से मुक्त है, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई हो।

लेखा परीक्षक की जवाबदेही

हमारी जवाबदेही अपने लेखा परीक्षण पर आधारित इन वित्तीय विवरणियों पर राय व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा एवं अंकेक्षण मानकों तथा उन विषयों को, जो अधिनियम के प्रावधानों एवं उसमें निहित नियमों के अंतर्गत अंकेक्षण रिपोर्ट में शामिल करने के लिए अपेक्षित हैं, को शामिल किया है।

हमने अपना लेखा परीक्षण कंपनी अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित किया है। उन मानकों के लिए अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन करें तथा उसके बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने उपाय और लेखा परीक्षण करें कि क्या वित्तीय विवरणियां तात्त्विक विसंगतियों से मुक्त है।

अंकेक्षण प्रक्रिया पद्धति में वित्तीय विवरणों में राशि के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य एवं प्रकटीकरण प्राप्त करना शामिल किया जाता है। चयनित प्रक्रियाएं क्या धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से वित्तीय विवरणियों को तात्त्विक विसंगतियों के जोखिमों के निर्धारण सहित लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करता है उन जोखिमों का आकलन करने में लेखा परीक्षक लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं की रचना करने के उद्देश्य से कंपनी की तैयारी एवं वित्तीय विवरणियों की निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करते हैं कि वह परिस्थितियों में उपयुक्त हैं किन्तु कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रभावकारिता का वित्तीय रिपोर्ट पर विचार व्यक्त करने के उद्देश्य के लिए नहीं है। लेखा परीक्षण में उपयोग किये गए लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता के मूल्यांकन तथा कंपनी निदेशकों द्वारा निर्धारित लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता के साथ-साथ वित्तीय विवरणियों का समग्र प्रतिनिधित्व का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि लेखा परीक्षण साक्ष्य, जिसे हमने प्राप्त किया, हमारे लेखा परीक्षण द्वारा वित्तीय विवरणियों पर राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और यथोचित है।

अभिमत

हमारी राय में तथा हमारी उत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरणियां यथा-अपेक्षित ढंग से अधिनियम द्वारा अभीष्ट जानकारी देती है तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा मानकों के साथ अनुरूपता में खरा एवं उचित दृष्टिकोण प्रदान करता है:-

- (1) 31 मार्च 2015 को कंपनी के कार्य - कलाप के तुलन - पत्र के मामले में,
- (2) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ के लाभ एवं हानि की विवरणी के मामले में तथा
- (3) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाहों के नकदी प्रवाह विवरणी के मामले में।



INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

TO THE MEMBERS OF FERRO SCRAP NIGAM LIMITED

REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS

We have audited the accompanying financial statements of Ferro Scrap Nigam Limited ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2015, the statement of Profit and Loss, the Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation and presentation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

AUDITORS' RESPONSIBILITY

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made thereunder.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Company has in place an adequate internal financial controls system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements, give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- (i) in the case of the Balance sheet, of the state of affairs of the company as at March 31, 2015;
- (ii) in the case of the Statement of Profit and Loss, of the profit for the year ended on that date; and
- (iii) in the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.



अन्य विधिक तथा नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

1. जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) की शर्तों में भारत के केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन) आदेश, 2015 के तहत अपेक्षित है, हम संलग्नक 'अ' में आदेश के अनुच्छेद 3 तथा 4 में वर्णित विषयों पर एक विवरणी देते हैं।
2. कंपनी अधिनियम की धारा 143(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा जारी निर्देशों तथा उपनिर्देशों के अनुसार उन विषयों पर हमारी टिप्पणी के साथ एवं की गई कार्रवाई तथा खातों पर प्रभाव को संलग्नक 'ब' में दर्शाया गया है।
3. जैसा कि अधिनियम 143(3) के तहत अपेक्षित है, हम सूचित करते हैं कि:-
 - (क) हमने सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है जो हमारे लेखा परीक्षण के उद्देश्य से हमारी जानकारी तथा विश्वास के लिए आवश्यक थे।
 - (ख) हमारे विचार में जैसे कि कानूनन अपेक्षित है, कंपनी ने समुचित लेखा खाताओं को रखा है, जैसा कि उन बही-खातों के हमारे अब तक के परीक्षण से हमें प्रकट होता है।
 - (ग) इस प्रतिवेदन के साथ विभाजित तुलन-पत्र, लाभ व हानि की विवरणी तथा नकदी प्रवाह विवरणी लेखा बहियों के अनुसार है।
 - (घ) हमारे विचार में उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट लेखा मानकों के साथ अनुपालन किया गया है।
 - (ङ) 31 मार्च 2015 को बने रहे सभी निदेशकों से लिखित रूप में प्राप्त अभ्यावेदन को निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड पर लिया के आधार पर 31 मार्च 2015 को कंपनी अधिनियम की धारा 164(2) के संदर्भ में कोई भी निदेशक, निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य घोषित नहीं हैं।
 - (च) हमारी राय में तथा हमारी उत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में निम्नानुसार हम सूचित करते हैं कि:-
 - (1) कंपनी ने लंबित मामलों के अपने वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का वित्तीय विवरण में खुलासा किया है-वित्तीय विवरण हेतु संदर्भ टिप्पणी सं.28।
 - (2) कंपनी द्वारा निकट सामग्री नुकसान यदि कोई हो, और दीर्घकालीन ठेका सहित डेरिवेटिव कांट्राक्ट्स पर (जैसा कि लागू कानून या लेखा मानकों के तहत आवश्यक है), प्रावधान किया गया है।
 - (3) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में स्थानांतरित की जाने वाली अपेक्षित राशि के संबंध में कोई विलम्ब की घटना नहीं पाई गई।

स्थान-रायपुर
दिनांक 03/06/2015

कृते अग्रवाल एवं पंसारी
सनदी लेखापाल
पंजीयन क्रमांक 003350 सी
सीए व्ही. के.अडवानी
पार्टनर
सदस्यता क्रमांक-401080



Report on other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2015, issued by the Central Government of India in term of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013, we give in the Annexure 'A' statement on the matters specified in the paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.
2. As required by Section 143(5) of the Act, the Comptroller and Auditor- General of India issued Directions and sub directions. We give our comments thereon, action taken and impact on the accounts, in the Annexure – 'B'.
3. As required by section 143(3) of the Act, we report that:
 - a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
 - b) In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.
 - c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
 - d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.
 - e) On the basis of written representations received from the directors as on 31 March, 2015, taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31st March, 2015, from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Act.
 - f) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we report as under with respect to other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014:
 - i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements – Refer Note No. 28 to the financial statements ;
 - ii. The Company has made provision, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, and as required on long-term contracts including derivative contracts.
 - iii. There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

Place: Raipur.
Date: 03/06/2015.

For **AGRAWAL & PANSARI**
Chartered Accountants
Registration No. 003350C
CA V K. Adwani
Partner
Membership No.: 401080



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का संलग्नक 'अ'

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अंतर्गत अनुच्छेद में संदर्भित, हम सूचित करते हैं कि:-

1.(क) कंपनी ने स्थाई आस्तियों के मात्रात्मक ब्यौरों तथा अवस्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए समुचित अभिलेख बनाए रखा है।

(ख) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने अपनी स्थाई आस्तियों का भौतिक सत्यापन वर्ष में युक्तियुक्त अंतराल में किया तथा ऐसे भौतिक सत्यापन तथा लेखा पुस्तकों में कोई गंभीर विसंगतियां दर्ज नहीं की गई है। हमारी राय में स्थाई अस्तियों का भौतिकीय सत्यापन की आवधिकता प्रक्रिया कंपनी के आकार तथा इसके प्रकृति के संबंध में उचित है।

2.(क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वस्तु-सूचियों का वर्ष के दौरान उचित अंतराल में प्रबंधन द्वारा भौतिकीय सत्यापन किया गया।

(ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त वस्तु-सूचियों के भौतिकीय सत्यापन की प्रक्रिया कंपनी के आकार तथा इसके कारोबार की प्रकृति के संबंध में तर्कसंगत तथा पर्याप्त है।

(ग) कंपनी वस्तु-सूचि का समुचित अभिलेख बनाए रखती है। हमारी राय में भौतिकीय सत्यापन पर पाई गई विसंगतियां कंपनी के प्रचलन की प्रकृति को देखते हुए तात्त्विक नहीं थी, तथा लेखा खाताओं में इसे समुचित रूप से विभाजित किया गया है।

3. जैसा कि सूचित किया गया है, कंपनी ने ऐसी किसी भी कंपनी, फर्म, अथवा अन्य किसी पार्टी को ऋण नहीं दिया है, जिसका ब्यौरा रखना कंपनी अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत आता है।

4. हमारे विचार से तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, स्थाई आस्तियों के क्रय एवं माल के विक्रय के लिए कंपनी के आकार तथा इसके कारोबार की प्रकृति के अनुरूप यहां एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है तथा हमारे लेखा परीक्षण के दौरान आंतरिक नियंत्रण में कोई बड़ी खामियां देखने को नहीं मिली।

5. कंपनी ने जनता से कोई जमा नहीं स्वीकार किया है।

6. केन्द्र सरकार ने अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत अभिलेखों का रख रखाव निर्धारित नहीं किया है।

7. (क) हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार और लेखा बहियों की हमारी परीक्षा के आधार पर सामान्य रूप से कंपनी वर्ष के दौरान अविवादित वैधानिक देय राशि जो कि कटौती द्वारा/लेखा खाताओं में उपार्जित है भविष्य निधि सहित, विक्रय कर, आयकर, वैल्यू एडेड टैक्स, संपत्ति कर, सेवाकर, कस्टम ड्यूटी, उपकर और अन्य लागू महत्वपूर्ण वैधानिक देय नियमित रूप से उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा किए जाते हैं।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के अंत में देय होने की तिथि से छः माह से अधिक अवधि के लिए कोई अविवादित वैधानिक बकाया नहीं था।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्नलिखित आयकर, बिक्री कर, सेवाकर तथा वैल्यू एडेड टैक्स, वैधानिक बकाया, जो किसी विवाद के कारण देय है, कंपनी द्वारा जमा नहीं किए गए हैं।



ANNEXURE – 'A' TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

The Annexure referred to in our Auditors' Report to the members of the Company on the financial Statements for the year ended 31 March 2015, we report that:

1. (a) The Company has maintained proper records to showing full particulars including quantitative details and situations of fixed assets.

(b) As per the information and explanations given to us, the fixed assets of the Company have been physically verified by the management at reasonable intervals and no serious discrepancies between the book records and physical verification were noticed. In our opinion, this periodicity of physical verification is reasonable having regards to the size of the company and the nature of its fixed assets.
2. (a) As per the information and explanations given to us, the inventories have been physically verified by the management at reasonable intervals during the year.

(b) In our opinion and as per the information and explanations given to us, procedures of physical verification of inventory followed by the management are reasonable and adequate in relation to the size of the Company and nature of its business.

(c) The Company is maintaining proper records of inventories. In our opinion, discrepancies noticed on physical verification of inventory were not material in relation to the operations of the Company and the same have been properly dealt with in the books of account.
3. As per information furnished, the company has not granted any loans to companies, firms or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013 ('the act').
4. In our opinion and according to the information and explanations given to us, there are adequate internal control procedures commensurate with the size of the Company and the nature of its business with regard to purchase of fixed assets and for the sale of Service. During the course of audit, no major weakness has been noticed in the internal controls.
5. The company has not accepted any deposits from the public.
6. The maintenance of cost records has not been prescribed by the Central Government under section 148(1) of the Act.
7. (a) According to the information and explanations given to us and the records examined by us, amounts deducted/accrued in the books of account in respect of undisputed statutory dues including Provident Fund, Sales Tax, Income tax, Value Added Tax, Wealth tax, Service Tax, Custom duty, Cess and other Material Statutory Dues wherever applicable, have been regularly deposited during the year by Company with the appropriate authorities.

According to information and explanations given to us, no undisputed arrears of statutory dues were outstanding as at March 31, 2015, for a period of more than six months from the date they became payable.

- (b) According to the information and explanations given to us, the following dues of income Tax, sales tax, service tax and value added tax have not been deposited by the company on account of disputes:



संवधि का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि लाख ₹ में	अवधि जिससे राशि संबंधित हैं	फोरम जहाँ विवाद लम्बित हैं
वित्त अधिनियम 1994 (सेवाकर उपबंध) अद्यतन संशोधित	अधीक्षक केन्द्रीय आबकारी उत्पाद शुल्क जाजपुर की माँग के अनुसार डुबुरी इकाई में कार्गो हैण्डलिंग सेवाओं पर सेवाकर (कुल देयक राशि)	63.57	नवम्बर 2002 से अप्रैल 2004 की अवधि तक का	अपीलीय प्राधिकारी (सी.ई.एस.टी.ए.टी., कोलकाता)
वित्त अधिनियम 1994 (सेवाकर उपबंध) अद्यतन संशोधित	आयुक्त केन्द्रीय आबकारी उत्पाद शुल्क राँची के आदेशानुसार बोकारो इकाई में सहायक व्यापारिक सेवाओं पर सेवाकर विषयक	1699.25	01.03.2005 से 31.01.2008 की अवधि तक	अपीलीय प्राधिकारी राँची एवं (सी.ई.एस.टी.ए.टी., कोलकाता)
वित्त अधिनियम 1994 (सेवाकर उपबंध) अद्यतन संशोधित	अतिरिक्त आयुक्त केन्द्रीय आबकारी एवं उत्पाद शुल्क बोलपुर एवं सहायक आयुक्त, केन्द्रीय आबकारी उत्पाद शुल्क आसनसोल द्वारा बोकारो इकाई हेतु सेवाकर सहायक व्यापारिक सेवाओं पर	97.00	सितम्बर 2004 से फरवरी 2005 तथा अप्रैल 2005 से सितम्बर 2006	आयुक्त (अपील)कोलकाता
वित्त अधिनियम 1994 (सेवाकर उपबंध) अद्यतन संशोधित	अतिरिक्त आयुक्त, संयुक्त आयुक्त केन्द्रीय आबकारी बोलपुर के आदेशानुसार बर्नपुर इकाई हेतु सेवाकर सहायक व्यापारिक सेवायें पर	114.96	सितम्बर 2004 से फरवरी 2005	अपीलीय प्राधिकारी (सी.ई.एस.टी.ए.टी., कोलकाता) द्वारा कम्पनी के पक्ष में पारित आदेश को सेवाकर विभाग द्वारा सी.ई.एस.टी.ए.टी. के समक्ष पुनःअपील किया गया है।
वित्त अधिनियम 1994 (सेवाकर उपबंध) अद्यतन संशोधित	आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद एवं आबकारी रायपुर की माँग के अनुसार भिलाई इकाई में कार्गो -हैडलिंग सेवायें पर	259.48	अगस्त 2002 से जून 2003	अपीलीय प्राधिकारी (सी.ई.एस.टी.ए.टी., नई दिल्ली)
वित्त अधिनियम 1994 (सेवाकर उपबंध) अद्यतन संशोधित	आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं आबकारी भुवनेश्वर की माँग के अनुसार डुबुरी इकाई हेतु सेवाकर कार्गो हैडलिंग सेवायें पर	374.25	मई 2004 को मार्च 2007	अपीलीय प्राधिकारी (सी.ई.एस.टी.ए.टी., नई दिल्ली)



Name of the statute	Nature of dues	Amount (₹ in Lacs)	Period to which the amount relates	Forum where dispute is pending
Finance Act, 1994 (Service Tax Provisions) (As amended upto date)	Service tax on "Cargo Handling Services" at Duburi unit as demanded by Suptd. of Central Excise, Jajpur. (net of payment made)	63.57	Nov 2002 To Apr 2004	Appellate Authorities, (CESTAT, Kolkata)
Finance Act, 1994 (Service Tax Provisions) (As amended upto date)	Service Tax on "Business Auxiliary services" at Bokaro unit as ordered by Commissioner Central Excise and Customs, Ranchi	1699.25	01.03.2005 To 31.01.2008	Commissioner, Ranchi and Appellate Authorities, (CESTAT, Kolkata)
Finance Act, 1994 (Service Tax Provisions) (As amended upto Date)	Service Tax on "Business Auxiliary services" at Burnpur unit as ordered by Additional Commissioner Central Excise and Customs, Bolpur and Assistant Commissioner, Central Excise and Custom, Asansol	97.00	Sept 2004 To Feb 2005 & Apr 2005 To Sept 2006	Commissioner (Appeals), Kolkata
Finance Act, 1994 (Service Tax Provisions) (As amended upto Date)	Service Tax on "Business Auxiliary services" at Burnpur unit as ordered by Additional Commissioner, joint commissioner of Central Excise Bolpur	114.96	Sept 2004 To Feb 2005	Appellate Authorities, CESTAT, Kolkata) (Order passed in favour of company by Commissioner (Appeal) has been appealed by service tax department before CESTAT)
Finance Act, 1994 (Service Tax Provisions) (As amended upto date)	Service tax on "Cargo Handling Services" at Bhilai unit as demanded by Commissioner, Central Excise and Customs, Raipur	259.48	Aug 2002 to June 2003	Appellate Authorities, (CESTAT, New Delhi)
Finance Act, 1994 (Service Tax Provisions) (As amended upto date)	Service tax on "Cargo Handling Services" at Duburi unit Demanded by Commissioner, Central Excise, Bhubaneswar.	374.25	May 2004 To Mar 2007	Appellate Authorities (CESTAT, New Delhi)



संवधि का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि लाख ₹ में	अवधि जिससे राशि संबंधित हैं	फोरम जहाँ विवाद लम्बित हैं
वित्त अधिनियम 1994 (सेवाकर उपबंध) अद्यतन संशोधित	आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं आबकारी-भुवनेश्वर की माँग के अनुसार डुबुरी इकाई में सेवा शुल्क कार्गो हैडलिंग सेवायें पर	226.06	अप्रैल 2007 से मार्च 2009	अपीलीय प्राधिकारी (सी.ई.एस.टी.ए.टी.,कोलकाता)
वित्त अधिनियम 1994 (सेवाकर उपबंध) अद्यतन संशोधित	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र एवं एलाय इस्पात संयंत्र में कार्गो हैडलिंग सेवायें एवं सहायक व्यापारिक सेवायें पर सेवाकर	2362.50	अप्रैल 2003 से मार्च 2008 तथा अक्टूबर 2003 से नवम्बर 2008	अपीलीय प्राधिकारी (सी.ई.एस.टी.ए.टी.,कोलकाता)
वित्त अधिनियम 1994 (सेवाकर उपबंध) अद्यतन संशोधित	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में कार्गो हैडलिंग सेवायें एवं सहायक व्यापारिक सेवायें पर सेवाकर	690.48	अप्रैल 2008 से मई 2009 तथा जून 2009 से सितम्बर 2009 तक	अपीलीय प्राधिकारी (सी.ई.एस.टी.ए.टी.,कोलकाता)
वित्त अधिनियम 1994 (सेवाकर उपबंध) अद्यतन संशोधित	आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद भुवनेश्वर की माँग के अनुसार- डुबुरी इकाई में कार्गो हैडलिंग सेवा पर	163.09	अप्रैल 2009 से मार्च 2010	अपीलीय प्राधिकारी (सी.ई.एस.टी.ए.टी.,कोलकाता)
वित्त अधिनियम 1994 (सेवाकर उपबंध) अद्यतन संशोधित	आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं आबकारी बोलपुर की माँग के अनुसार दुर्गापुर इकाई में सहायक व्यापारिक सेवायें पर सेवाकर	178.30	अक्टूबर 2009 से मार्च 2010	अपीलीय प्राधिकारी (सी.ई.एस.टी.ए.टी.,कोलकाता)
ओडिसा विक्रयकर अधिनियम 1947	ओडिसा विक्रयकर विभाग की माँग के अनुसार राउरकेला इकाई में विक्रय कर एवं प्रवेश शुल्क के लिए	46.50	वर्ष 2002-03	विक्रयकर ट्रीब्यूनल, कटक



Name of the statute	Nature of dues	Amount (₹ in Lacs)	Period to which the amount relates	Forum where dispute is pending
Finance Act, 1994 (Service Tax Provisions) (As amended upto date)	Service tax on "Cargo Handling Services" at Duburi unit Demanded by Commissioner, Central Excise, Bhubaneswar	226.06	April 2007 To March 2009	Appellate Authorities, (CESTAT, Kolkata)
Finance Act, 1994 (Service Tax Provisions) (As amended upto date)	Service Tax on "Cargo handling Services and "Business Auxiliary Services" at Durgapur Steel Plant and Alloy Steel Plant	2362.50	Apr 2003 To Mar 2008 & Oct 2003 To Nov 2008	Appellate Authorities, (CESTAT, Kolkata)
Finance Act, 1994 (Service Tax Provisions) (As amended upto date)	Service Tax on "Cargo handling Services and Business Auxiliary Services" at Durgapur Steel Plant	690.48	Apr 2008 To May 2009 & June 2009 To Sept 2009	Commissioner, Kolkata and Appellate Authorities, (CESTAT, Kolkata)
Finance Act, 1994 (Service Tax Provisions) (As amended upto date)	Service tax on " Cargo Handling Services" at Duburi unit as Demanded by Commissioner, Bhubaneswar	163.09	April 2009 To March 2010	Appellate Authorities, (CESTAT, Kolkata)
Finance Act, 1994 (Service Tax Provisions) (As amended upto date)	Service Tax on "Business Auxiliary services" at Durgapur unit as demanded by Commissioner, Central Excise Bolpur	178.30	Oct 2009 To Mar 2010	Appellate Authorities, (CESTAT, Kolkata)
Orissa Sales Tax Act, 1947	For Sales Tax and Entry tax at Rourkela unit as demanded by Orissa Sales Tax Department	46.50	2002-03	Sales Tax Tribunal, Cuttack



संवधि का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि लाख ₹ में	अवधि जिससे राशि संबंधित हैं	फोरम जहाँ विवाद लम्बित हैं
ओड़िसा नगरपालिका अधिनियम 1950	अधिसूचित क्षेत्र परिषद, राउरकेला (इस्पात नगरीय) द्वारा डम्परों, डोजरों आदि जैसे भारी भू-उपस्करों पर चूंगी	3.24		ओड़िसा उच्चतम न्यायालय

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 के संबंधित प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के तदनुसार निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में अंतरण करने के लिए अपेक्षित राशि को समयानुसार अंतरण किया गया है।

8. कंपनी को वर्ष के अंत में हानि नहीं हुई है और उस तिथि पर समाप्त हुए तिथि वित्त वर्ष के दौरान या इससे ठीक पहले वाले वित्त वर्ष के दौरान नगद हानि नहीं हुई है।
9. कंपनी का वर्ष के दौरान किसी वित्तीय संस्थान एवं बैंक से कोई बकाया नहीं है।
10. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने बैंक या वित्तीय संस्थानों से किसी अन्य को ऋण लेने के लिए कोई गारंटी नहीं दिया है।
11. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि कर्ज नहीं लिया है।
12. हमारे लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा या को किसी प्रकार की सामग्री की धोखाधड़ी देखी नहीं गई है और न ही उसकी कोई सूचना मिली है।

कृते अग्रवाल एवं पंसारी
सनदी लेखापाल
पंजीयन क्रमांक 003350 सी
सीए व्ही. के.अडवानी
साझेदार
पंजीयन क्र. 401080

स्थान : रायपुर
दिनांक : 03/06/2015



Name of the statute	Nature of dues	Amount (₹ in Lacs)	Period to which the amount relates	Forum where dispute is pending
Orissa Municipal Act, 1950	Octroi on heavy earthmoving equipment like Dumpers, Dozers etc. by notified Area Council, Rourkela (Steel Township)	3.24		Orissa High Court

(c) According to the information and explanation given to us the amounts which were required to be transferred to the investor education and protection fund in accordance with the relevant provisions of the companies act 1956. (1 of 1956) and rules there under has been transferred to such fund within time.

8. The company does not have any accumulated losses at the end of financial year and has not incurred cash losses in the financial year and in the immediately preceding financial year.
9. The Company did not have any outstanding dues to financial institutions, bank during the year.
10. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has not given any guarantee for loans taken by others from banks or financial institutions.
11. The company did not have any term loans outstanding during the year.
12. According to the information and explanation given to us, no material fraud on or by the company has been noticed or reported during the course of our audit.

Place-Raipur
Date- 03/06/2015.

For **AGRAWAL & PANSARI**
Chartered Accountants
Registration No. 003350C
CA V. K. Adwani
Partner
Membership No.: 401080



स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुबंध 'बी'
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निदेश

	निर्देश	जवाब
1.	यदि कम्पनी का विनिवेश हेतु चयन हुआ है तो आस्तियाँ (अमूर्त आस्तियाँ और भूमि सहित) और देयताओं (प्रतिबद्ध एवं सामान्य प्रारक्षित निधियों सहित) के मूल्यांकन के संदर्भ में संपूर्ण स्थिति रिपोर्ट की जाँच की जाए जिसमें विनिवेश प्रक्रिया के प्रकार और वर्तमान चरण शामिल है।	वर्ष के दौरान कम्पनी का विनिवेश हेतु चयन नहीं हुआ है।
2.	ऋण/देयक/ब्याज आदि में किसी तरह का अधित्याग/या बट्टे खाते डालना का कोई मामला है? यदि हाँ, तो इसके कारण और सम्मिलित राशि का विवरण दे।	वित्तीय वर्ष 2014-15 में ऋण/देयक/ब्याज आदि में किसी तरह का अधित्याग या बट्टे खाते डालने का कोई मामला नहीं पाया गया। फिर भी कम्पनी ने अमान्य/संदिग्ध ऋण के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में खाता-बही में ₹33.72 लाख रुपये का प्रावधान किया।
3.	क्या तीसरे पक्षों के पास पड़ी वस्तु सूची और शासकीय या अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त भेंट से प्राप्त आस्तियों का उचित अभिलेख सूची में दर्ज किया जाता है।	कम्पनी की वस्तु-सूची किसी तीसरे पक्ष के पास नहीं है एवं कम्पनी ने किसी भी प्रकार की आस्तियों शासकीय या अन्य प्राधिकारियों से लेखा परीक्षण की अवधि के दौरान प्राप्त नहीं किया है।
4.	लंबित कानूनी/मध्यस्थता मामलों के अवधिवार विश्लेषण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिसमें विलंब के कारण और सभी कानूनी मामलों (विदेशी और स्थानीय) पर व्यय हेतु जाँच तंत्र की मौजूदगी/प्रभावशीलता शामिल हों।	लंबित कानूनी/मध्यस्थता मामलों की रपट, जो उपलब्ध करायी गई है, उसे अनुलग्नक 'बी-1' में संलग्न किया गया है, भुगतान/व्यय आदि का अनुवीक्षण नियमित कम्पनी के वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा किया जाता है।



ANNEXED-'B' TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

**DIRECTIONS OF COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(5)
THE COMPANIES ACT, 2013**

S.No.	Directions	Reply
1.	If the Company has been selected for disinvestment, complete status report in terms of valuations of Assets (Including Intangible Assets and Land) and Liabilities (Including committed & General Reserve) may be examined including the mode and present stage of disinvestment Process.	The Company has not been selected for disinvestment.
2.	Please report whether there are cases of waiver/write off of debts/ loans/interest etc., if yes, the reasons there for and the amount involved.	There are no such cases found for waiver/write off of debts / loans/ interest to any party during the FY 2014-15. However, company made a provision for Bad & Doubtful Debt of Rs. 33.72 lakhs in the books of account in the F.Y. 2014-15.
3.	Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties & assets received as gift from Govt. or other Authorities.	The inventory of the company is not lying with third party. The company has not received any assets as gift from Govt. or other authorities during the period of audit.
4.	A report on age wise analysis of Pending legal/ arbitration cases including the reasons of pendency and existence/ effectiveness of a monitoring mechanism for expenditure on the all legal cases (Foreign and local) may be given.	A report on Pending legal/arbitration cases, as provided, is enclosed as Annexure B-I . Payment/ expenditure are being regularly monitored by senior executives of the Company.



कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी उपनिर्देश

क्र.सं.	उपनिर्देश	जवाब
1.	भूमि	
(i)	पूर्ण स्वामित्व और पट्टाधृत भूमि के अधिकारपत्र दस्तावेजों की जाँच कर उस पूर्ण स्वामित्व और पट्टाधृत भूमि का क्षेत्र जिसका विलेख उपलब्ध नहीं है, विवादित है तथा अतिक्रमित है को रिपोर्ट करे।	(i) हमने पट्टाधृत भूमि जो सेल-बी एस पी से 33 वर्षों के शाश्वत पट्टे पर अर्जित किया गया है के अधिकार पत्र दस्तावेज की जाँच की तथा भूमि पर किसी भी प्रकार का विवाद एवं अतिक्रमण नहीं है।
(ii)	कम्पनी के द्वारा वर्ष में कभी भी भूमि की स्थिति का भौतिक रूप में सर्वेक्षण किया गया है, क्या भूमि सर्वेक्षण का प्रतिवेदन/प्रमाणपत्र, कम्पनी द्वारा अधिग्रहित भूमि के क्षेत्र के साथ मेल खाती है तथा अतिक्रमण हटाने के लिये कौन सा प्रभावशाली कदम लिया गया।	(ii) वर्ष के दौरान कम्पनी के द्वारा भूमि की स्थिति का भौतिक रूप में सर्वेक्षण नहीं किया गया है।
2.	व्यापार एवं अन्य प्राप्तियाँ	
	व्यापार एवं अन्य शेष प्राप्तियों जाँच कर रिपोर्ट करे कि वे शेष प्राप्तियाँ पुष्टिकृत थी तथा असंगत मदों को समुचित स्पष्टीकरण के साथ लेखों में समायोजित किया गया। क्षीन वर्षों की अवधि से अधिक तथा पाँच वर्षों की अवधि से अधिक अपुष्टिकृत कुल शेष राशि को रिपोर्ट करे	व्यापार की प्राप्तियों 31/03/15 की स्थिति में पुष्टिकृत तथा/या क्रमिक संग्रह से मिलान किया गया है विवरण अनुलग्नक बी-II में दिया गया है। अपुष्टिकृत शेष राशि ₹ 85,18,042 है। ₹ 33,72,109/- रूपयों की राशि सेल-बी एस पी से तीन वर्षों से अधिक की अवधि से प्राप्त किया जाना है हालांकि, कम्पनी ने अमान्य/संदिग्ध ऋण के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में खाता-बही में ₹ 33.72 लाख रूपये का प्रावधान किया है।
	जहाँ ऐसी शेष राशि संबंधित पक्षों द्वारा पुष्टि की गई है। क्या यह वित्तीय विवरणियों में संबंधित मद में परिलक्षित राशि से व्यापक रूप से भिन्न है और यदि ऐसा है तो अन्तर को स्पष्ट करें।	शेष या तो पुष्टि किया गया है या क्रमिक संग्रह से मिलान किया गया है विवरण अनुलग्नक बी-II में दिया गया है।
3	कर्मचारी वेतन और भत्ते तथा अन्य पात्रताएँ	
(i)	उपादान एवं अन्य कर्मचारी लाभ के लिए बीमांकिक देयता का अभिकलन के लिए प्रबंधन द्वारा ग्रहण किया वेतन प्रतिशतता में वृद्धि जाँच कर रिपोर्ट करे कि प्रतिशतता में वृद्धि उचित थी और कम्पनी द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन हेतु उपलब्ध कराए गये स्रोत डेटा सही पूर्ण और मान्य थे।	उपदान भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ वित्त पोषित है। कम्पनी द्वारा हर साल भारतीय जीवन बीमा निगम की मांग के आधार पर, भुगतान किशत में किया जाता है जिसका मूल्यांकन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। कम्पनी निम्नलिखित के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से अपने कर्मचारी लाभ का मूल्यांकन करती है। i) छुट्टी संबंधी योजनाएँ। ii) चिकित्सा लाभ-बीमा iii) निपटारा अनुलाभ iv) सेवानिवृत्त कर्मियों तथा वर्तमान में पदस्थ कर्मियों के लिए उपहार v) कर्मचारी परिवार अनुलाभ योजना समझ के आधार पर, कम्पनी ने बीमांकिक मूल्यांकन हेतु उचित और पर्याप्त डेटा बीमांकिकों को उपलब्ध कराया।



SUB-DIRECTION OF COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143 (5) THE COMPANIES ACT, 2013

S.No.	Sub-Directions		Reply
1.	Land		
(I)	Examine the title/lease deeds for freehold and leasehold land and report area of freehold and leasehold land for which title deeds are not available, in dispute, and under encroachment	(i)	We have examined the title of lease leasehold land acquired from SAIL-BSP on perpetual lease of 33 years. The land is not under any dispute and land encroachment.
(ii)	State whether the Company has physically surveyed the land during the year, whether the certificate/report of the survey matches with the area of land held by the Company and effective steps taken by the Company to remove encroachment ?	(ii)	The company has not physically surveyed the land during the year.
2.	Trade and other receivables		
	Examine the balances of trade and other receivables and report whether the same were reconciled and unmatched items were adequately explained and adjusted in the accounts. Also report the total amount of unconfirmed balances and those outstanding for more than three years and more than five years.	:	Trade receivable as on 31.03.15 have been confirmed and/or reconciled from subsequent collections, details given in Annexure B-II . Total amount of unconfirmed balance is ₹ 85,18,042/-. An amount receivable from SAIL BSP of ₹ 33,72,109/- was outstanding for more than three years. However, company made a provision for Bad & Doubtful Debt of ₹33.72 lakhs in the books of account in the F.Y. 2014-15.
	Where such balances have been confirmed by respective parties, whether it varies widely from the amounts reflected under respective heads in the financial statements, and if so, difference to be disclosed.	:	Balance have either been confirmed and/or reconciled from subsequent collections, details given in Annexure B-II .
3.	Employee pay & allowances & other entitlements		
(i)	Examine the percentage escalation in salary assumed by management for computation of actuarial liability against gratuity and other employee benefits and report whether the same was reasonable, and source data provided by the company to the Actuaries for actuarial valuation were correct, complete and valid.:	:	The Gratuity is funded with Life Insurance Corporation of India. The valuation itself done by Life Insurance Corporation of India and company pays premium on the basis of demand of Life Insurance Corporation of India every year. The company evaluate its employee benefits through Actuarial Valuation for the following: i) Leave Scheme ii) Mediclaim Insurance iii) Settlement Allowance iv) Gifts paid to existing and retired employees v) Employee Family Benefit Scheme Based on the understanding, the company has provided appropriate and adequate data to actuaries for actuarial valuation.



क्र.सं.	उपनिर्देश	जवाब
(ii)	तुलन पत्र तिथि पर सभी अचलित भंडारणों की समीक्षा तथा अप्रचलन और मूल्य में कमी के लिए प्रावधान की पर्याप्तता का आकलन करें।	<p>वे मदें जिसे तीन वर्षों से अधिक अवधि से संचलित नहीं किया गया को असंचलित वस्तु सूचियों के रूप में माना गया और कम्पनी द्वारा इसका प्रावधान (वर्ष 2001-02 से प्रति वर्ष दस प्रतिशत की लागत से) किया गया।</p> <p>31 मार्च 2015 की स्थिति में अचलित सामग्रियों का सकल मूल्य ₹ 265.01 लाख है तथा कम्पनी ने ₹131.95 लाख का प्रावधान किया है।</p> <p>इसके अलावा, प्रबंधन की आंतरिक तकनीकी समीक्षा समिति ने कम्पनी की कुल अचलित सामग्रियों में ₹23.42 लाख की अप्रचलित वस्तु सूची चिन्हित की है। समिति ने इन अप्रचलित वस्तु सूचियों का अनुमानित शुद्ध वसूली योग्य मूल्य ₹8.08 लाख की है। कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान अप्रचलित वस्तु सूचियों के लिए ₹15.34 लाख का प्रावधान किया।</p> <p>निदेशक मंडल की आवश्यक मंजूरी के बाद अप्रचलित माल का निपटान समिति द्वारा किये गए सर्वेक्षण के आधार पर निर्धारित किया जाता है।</p>
	स्थान : रायपुर दिनांक : 03/06/2015	कृते अग्रवाल एवं पंसारी सनदी लेखापाल पंजीयन क्रमांक 003350 सी सीए व्ही. के.अडवानी साझेदार पंजीयन क्र. 401080



S.No.	Sub-Directions		Reply
(ii)	Review all the non-moving stores on the balance sheet date and assess the adequacy of provision for obsolescence and value reduction.:	:	<p>The items, which have not moved for more than three years are considered as non-moving inventories and the Company has made corresponding provision (i.e ten percent of cost every year from year 2001-02.).</p> <p>The gross value of non-moving inventory is ₹ 265.01 lacs as at 31st March'15 against which company has made provision of ₹131.95 lacs.</p> <p>Moreover, Internal technical review committee of the management identified obsolete inventory out of the total non-moving inventory amounting to ₹ 23.42 lacs. The committee has also estimated net realizable value of ₹ 8.08 lacs against obsolete inventory. The company has provided for ₹ 15.34 lacs against obsolete inventory during FY 2013-14.</p> <p>Disposal of obsolete inventory is determined on the basis of survey conducted by a committee after necessary approval from board of directors.</p>
<p>Place-Raipur. Date- 03/06/2015.</p> <p style="text-align: right;">For AGRAWAL & PANSARI Chartered Accountants Registration No. 003350C</p> <p style="text-align: right;">CA V K. Adwani Partner Membership No.: 401080</p>			



अनुलग्नक बी-1

अनिर्णीत विधिपरक/मध्यस्थ निर्णय संबंधी प्रकरणों का विवरण-

संवधि का नाम	देयता का प्रकार	राशि(₹ लाख में)	राशि की अवधि	फोरम जहाँ विवाद लंबित है	राशि का विनियोजन	विनियोजित प्रकरण क्रमांक	एस.सी.एन. तिथि	लेखाकरण तिथि	कालावधि
वित्त अधिनियम 1994 (सेवाकर की धाराएँ) (अद्यतन संशोधित)	अधीक्षक केन्द्रीय आबकारी उत्पाद शुल्क जाजपुर की माँग के अनुसार डुबुरी इकाई में कार्गो हैण्डलिंग सेवाओं पर सेवाकर (कुल देयक राशि)	63.57	नवम्बर 2002 से अप्रैल 2004	अपीली प्राधिकरण (सी.ई.एस.टी.ए.टी., कोलकाता)	63.57	जेपीआर /01/30	1/18/2005	3/31/2015	10 वर्ष 2 माह
वित्त अधिनियम 1994 (सेवाकर की धाराएँ) (अद्यतन संशोधित)	आयुक्त केन्द्रीय आबकारी उत्पाद शुल्क राँची के आदेशानुसार बोकारो इकाई में सहायक व्यापारिक सेवाओं पर सेवाकर विषयक	1699.25	1/03/2005 से 31/01/2008 तक	आयुक्त राँची तथा अपीलीय प्राधिकरण(सी.ई.एस.टी.ए.टी., कोलकाता)	147.55	डीजीसीईआई/16 7/केजेड्यू/जएस आर./2523	5/3/2006	3/31/2015	8 वर्ष 10 माह
वित्त अधिनियम 1994 (सेवाकर की धाराएँ) (अद्यतन संशोधित)	अतिरिक्त आयुक्त केन्द्रीय आबकारी एवं उत्पाद शुल्क बोलपुर एवं सहायक आयुक्त, केन्द्रीय आबकारी उत्पाद शुल्क आसनसोल द्वारा बोकारो इकाई हेतु सेवाकर सहायक व्यापारिक सेवाओं पर	—	1/3/2005 से 31/1/2008 तक	आयुक्त राँची तथा अपीलीय प्राधिकरण(सी.ई.एस.टी.ए.टी., कोलकाता)	1551.70	3268	4/15/2004	3/31/2015	10 वर्ष 11 माह
वित्त अधिनियम 1994 (सेवाकर की धाराएँ) (अद्यतन संशोधित)	अतिरिक्त आयुक्त केन्द्रीय आबकारी एवं उत्पाद शुल्क बोलपुर एवं सहायक आयुक्त, केन्द्रीय आबकारी उत्पाद शुल्क आसनसोल द्वारा बोकारो इकाई हेतु सेवाकर सहायक व्यापारिक सेवाओं पर	97.00	सितम्बर 2004 से फरवरी 2005 तथा अप्रैल 2005 से सितम्बर 2005	आयुक्त (अपील) कोलकाता	57.38	एएसएन-107	6/26/2006	3/31/2015	8 वर्ष 9 माह
वित्त अधिनियम 1994 (सेवाकर की धाराएँ) (अद्यतन संशोधित)	अतिरिक्त आयुक्त, संयुक्त आयुक्त केन्द्रीय आबकारी बोलपुर के आदेशानुसार बनपुर इकाई हेतु सेवाकर सहायक व्यापारिक सेवाओं पर	114.96	सितम्बर 2004 से फरवरी 2005	आयुक्त (अपील) कोलकाता	39.62	3353	10/8/2010	3/31/2015	4 वर्ष 5 माह
वित्त अधिनियम 1994 (सेवाकर की धाराएँ) (अद्यतन संशोधित)	आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद एवं आबकारी रायपुर की माँग के अनुसार भिलाई इकाई में कार्गो - हैडलिंग सेवाओं पर	259.48	अगस्त 2002 से जून 2003 तक	अपीलीय प्राधिकरण (सी.ई.एस.टी.ए.टी.ए., नई दिल्ली)	259.48	1372	4/22/2004	3/31/2015	10 वर्ष 11 माह



Annexure B-I

Details of Pending legal/arbitration cases

Name of the statute	Nature of dues	Amount (in ₹ Lacs)	Period to which the amount relates	Forum where dispute is pending	Segregation of Amount	SCN No	SCN Date	Accounting Date	Agewise
Finance Act, 1994 (Service Tax Provisions) (As amended upto date)	Service tax on "Cargo Handling Services" at Duburi unit as demanded by Suptd. of Central Excise, Jajpur. (net of payment made)	63.57	Nov 2002 To Apr 2004	Appellate Authorities, (CESTAT, Kolkata)	63.57	JPR/01/30	1/18/2015	3/31/2015	10 Years, 2 Months
Finance Act, 1994 (Service Tax Provisions) (As amended upto date)	Service Tax on "Business Auxiliary services" at Bokaro unit as ordered by Commissioner Central Excise and Customs, Ranchi	1699.25	01.03.2005 To 31.01.2008	Commissioner, Ranchi and Appellate Authorities, (CESTAT, Kolkata)	147.55	DGCE/1 67/KZU/J SR/2523	5/3/2006	3/31/2015	8 Years, 10 Months
			01.03.2005 To 31.01.2008	Commissioner, Ranchi and Appellate Authorities, (CESTAT, Kolkata)	1551.70	3268	4/15/2004	3/31/2015	10 Years, 11 Months
Finance Act, 1994 (Service Tax Provisions) (As amended upto date)	Service Tax on "Business Auxiliary services" at Burnpur unit as ordered by Additional Commissioner Central Excise and Customs, Bolpur and Assistant Commissioner, Central Excise and Custom, Asansol	97.00	Sept 2004 To Feb 2005 & Apr 2005 To Sept 2006	Commissioner (Appeals), Kolkata	57.38	ASN-1/07	6/26/2006	3/31/2015	8 Years, 9 Months
			Sept 2004 To Feb 2005 & Apr 2005 To Sept 2006	Commissioner (Appeals), Kolkata	39.62	3353	10/8/2010	3/31/2015	4 Years, 5 Months
Finance Act, 1994 (Service Tax Provisions) (As amended upto date)	Service Tax on "Business Auxiliary services" at Burnpur unit as ordered by Additional Commissioner, joint commissioner of Central Excise Bolpur	114.96	Sept 2004 To Feb 2005	Appellate Authorities, (CESTAT, Kolkata) (Order passed in favour of company by Commissioner (Appeal) has been appealed by service tax department before CESTAT)	114.96	20/COOM R/ST-06	4/21/2006	3/31/2015	8 Years, 11 Months
Finance Act, 1994 (Service Tax Provisions) (As amended upto date)	Service tax on "Cargo Handling Services" at Bhilai unit as demanded by Commissioner, Central Excise and Customs, Raipur	259.48	Aug 2002 To June 2003	Appellate Authorities, (CESTAT, New Delhi)	259.48	1372	4/22/2004	3/31/2015	10 Years, 11 Months



अनिर्णीत विधिपरक/मध्यस्थ निर्णय संबंधी प्रकरणों का विवरण-

संवधि का नाम	देयता का प्रकार	राशि(₹ लाख में)	राशि की अवधि	फोरम जहाँ विवाद लंबित है	राशि का विनियोजन	विनियोजित प्रकरण क्रमांक	एस.सी.एन. तिथि	लेखाकरण तिथि	कालावधि
वित्त अधिनियम 1994 (सेवाकर की धारायें) (अद्यतन संशोधित)	आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं आबकारी भुवनेश्वर की माँग के अनुसार डुबुरी इकाई हेतु सेवाकर कागो हेडलिंग सेवायें पर	374.25	मई 2004 से मार्च 2007	अपीलीय प्राधिकरण (सी.ई.एस.टी.ए.टी., कोलकाता)	374.25	36213ए	3/2/2009	3/31/2015	6 वर्ष 0 माह
वित्त अधिनियम 1994 (सेवाकर की धारायें) (अद्यतन संशोधित)	आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं आबकारी-भुवनेश्वर की माँग के अनुसार डुबुरी इकाई में सेवा शुल्क कागो हेडलिंग सेवायें पर	226.06	अप्रैल 2007 से मार्च 2009	अपीलीय प्राधिकरण (सी.ई.एस.टी.ए.टी., कोलकाता)	226.06	17171ए	10/20/2009	3/31/2015	5 वर्ष 5 माह
वित्त अधिनियम 1994 (सेवाकर की धारायें) (अद्यतन संशोधित)	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र एवं एलाय इस्पात संयंत्र में कागो हेडलिंग सेवायें एवं सहायक व्यापारिक सेवायें पर सेवाकर	2362.50	अप्रैल 2003 से मार्च 2008 तथा अक्टूबर 2003 से नवम्बर 2008 तक	अपीलीय प्राधिकरण (सी.ई.एस.टी.ए.टी., कोलकाता)	14.07	804	4/6/2009	3/31/2015	5 वर्ष 11 माह
वित्त अधिनियम 1994 (सेवाकर की धारायें) (अद्यतन संशोधित)	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में कागो हेडलिंग सेवायें एवं सहायक व्यापारिक सेवायें पर सेवाकर	690.48	अप्रैल 2008 से मई 2009 तथा जून 2009 से सितम्बर 2009 तक	आयुक्त कोलकाता, अपीलीय प्राधिकरण (सी.ई.एस.टी.ए.टी., कोलकाता)	2348.43	1746	9/26/2008	3/31/2015	6 वर्ष 6 माह
वित्त अधिनियम 1994 (सेवाकर की धारायें) (अद्यतन संशोधित)	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में कागो हेडलिंग सेवायें एवं सहायक व्यापारिक सेवायें पर सेवाकर	163.09	अप्रैल 2008 से मई 2009 तथा जून 2009 से सितम्बर 2009 तक	आयुक्त कोलकाता, अपीलीय प्राधिकरण (सी.ई.एस.टी.ए.टी., कोलकाता)	590.57	9	10/13/2009	3/31/2015	5 वर्ष 5 माह
वित्त अधिनियम 1994 (सेवाकर की धारायें) (अद्यतन संशोधित)	आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद भुवनेश्वर की माँग के अनुसार- डुबुरी इकाई में कागो हेडलिंग सेवा पर	163.09	अप्रैल 2009 से मार्च 2010	अपीलीय प्राधिकरण (सी.ई.एस.टी.ए.टी., कोलकाता)	163.09	27759-ए	7/4/2010	3/31/2015	4 वर्ष 8 माह



Name of the statute	Nature of dues	Amount (in ₹Lacs)	Period to which the amount relates	Forum where dispute is pending	Segregation of Amount	SCN No	SCN Date	Accounting Date	Agewise
Finance Act, 1994 (Service Tax Provisions) (As amended upto date)	Service tax on "Cargo Handling Services" at Duburi unit Demanded by Commissioner, Central Excise, Bhubaneswar.	374.25	May 2004 To Mar 2007	Appellate Authorities, (CESTAT, Kolkata)	374.25	36213A	3/2/2009	3/31/2015	6 Years, 0 Months
Finance Act, 1994 (Service Tax Provisions) (As amended upto date)	Service tax on "Cargo Handling Services" at Duburi unit Demanded by Commissioner, Central Excise, Bhubaneswar.	226.06	April 2007 To March 2009	Appellate Authorities, (CESTAT, Kolkata)	226.06	17171A	10/20/2009	3/31/2015	5 Years, 5 Months
Finance Act, 1994 (Service Tax Provisions) (As amended upto date)	Service Tax on "Cargo handling Services and "Business Auxiliary Services" at Durgapur Steel Plant and Alloy Steel Plant	2362.50	April 2003 To Mar 2008 & Oct 2003 To Nov 2008	Appellate Authorities, (CESTAT, Kolkata)	14.07	804	4/6/2009	3/31/2015	5 Years, 11 Months
			April 2003 To Mar 2008 & Oct 2003 To Nov 2008	Appellate Authorities, (CESTAT, Kolkata)	2348.43	1746	9/26/2008	3/31/2015	6 Years, 6 Months
Finance Act, 1994 (Service Tax Provisions) (As amended upto date)	Service Tax on "Cargo handling Services "and"Business Auxiliary Services" at Durgapur Steel Plant	690.48	April 2008 To May 2009 & June 2009 To Sep 2009	Commissioner, Kolkata and Appellate Authorities, (CESTAT, Kolkata)	590.57	9	10/13/2009	3/31/2015	5 Years, 5 Months
			April 2008 To May 2009 & June 2009 To Sep 2009	Commissioner, Kolkata and Appellate Authorities, (CESTAT, Kolkata)	99.91	78	7/4/2010	3/31/2015	4 Years, 8 Months
Finance Act, 1994 (Service Tax Provisions) (As amended upto date)	Service tax on " Cargo Handling Services" at Duburi unit as Demanded by Commissioner, Bhubaneswar	163.09	April 2009 To March 2010	Appellate Authorities, (CESTAT, Kolkata)	163.09	27759-A	10/12/2010	3/31/2015	4 Years, 5 Months



अनिर्णीत विधिपरक/मध्यस्थ निर्णय संबंधी प्रकरणों का विवरण-

संविधि का नाम	देयता का प्रकार	राशि(₹ लाख में)	राशि को अवधि	फोरम जहाँ विवाद लंबित है	राशि का विनियोजन	विनियोजित प्रकरण क्रमांक	एस.सी.एन. तिथि	लेखाकरण तिथि	कालाविधि
वित्त अधिनियम 1994 (सेवाकर की धाराओं) (अद्यतन संशोधित)	आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं आबकारी बोलपुर की माँग के अनुसार दुर्गापुर इकाई में सहायक व्यापारिक सेवाओं पर सेवाकर	178.30	अक्टूबर 2009 से मार्च 2010	अपीलीय प्राधिकरण (सी.ई.एस.टी.ए.टी., कोलकाता)	178.30	17/वाणिज्य/ बोलपुर/11	3/4/2011	3/31/2015	4 वर्ष 0 माह
ओड़िसा- विक्रयकर अधिनियम 1947	ओड़िसा विक्रयकर विभाग की माँग के अनुसार राउरकेला इकाई में विक्रय कर एवं प्रवेश शुल्क के लिए	46.50	2002-03	विक्रय कर प्राधिकरण, कटक	46.50	-	25/9/2006	31/3/2015	8 वर्ष 6 माह
ओड़िसा नगरपालिका अधिनियम 1950	अधिसूचित क्षेत्र परिषद, राउरकेला (इस्यात नगरीय) द्वारा डम्पर्स, डोजरों आदि जैसे भारी भू-उपकरणों पर चूंगी	3.24	-	ओड़िसा उच्च न्यायालय	3.24		1/4/1992	31/3/2015	22 वर्ष 11माह



Name of the statute	Nature of dues	Amount (in ₹ Lacs)	Period to which the amount relates	Forum where dispute is pending	Segregation of Amount	SCN No	SCN Date	Accounting Date	Agewise
Finance Act, 1994 (Service Tax Provisions) (As amended upto date)	Service Tax on "Business Auxiliary services" at Durgapur unit as demanded by Commissioner, Central Excise Bolpur	178.30	Oct 2009 To Mar 2010	Appellate Authorities, (CESTAT, Kolkata)	178.30	17/COMM /BOL/11	3/4/2011	3/31/2015	4 Years, 0 Months
Orissa Sales Tax Act, 1947	For Sales Tax and Entry tax at Rourkela unit as demanded by Orissa Sales Tax Department	46.50	2002-03	Sales Tax Tribunal, Cuttack	46.50		25.09.2006	31/3/2015	8 Years, 6 Months
Orissa Municipal Act, 1950	Octroi on heavy earth-moving equipment like Dumpers, Dozers etc. by notified Area Council, Rourkela (Steel Township)	3.24		Orissa High Court	3.24		01.04.1992	31-03-15	22 Years, 11 Months



विधिपरक प्रकरणों का कालावधि अनुसार विश्लेषण:-

अवधि	अंतर्निहित राशि (लाख ₹ में)
1 वर्ष से कम अवधि के प्रकरण	0.00
1 वर्ष से 2 वर्ष तक की अवधि के प्रकरण	0.00
2 वर्ष से 3 वर्ष तक की अवधि के प्रकरण	0.00
3 वर्ष से 4 वर्ष तक की अवधि के प्रकरण	0.00
4 वर्ष से 5 वर्ष तक की अवधि के प्रकरण	480.92
5 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवधि के प्रकरण	830.70
6 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवधि के प्रकरण	2722.68
7 वर्ष से 8 वर्ष तक की अवधि के प्रकरण	0.00
8 वर्ष से 9 वर्ष तक की अवधि के प्रकरण	366.39
9 वर्ष से 10 वर्ष तक की अवधि के प्रकरण	0.00
10 वर्ष से 11 वर्ष तक की अवधि के प्रकरण	1874.75
11 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवधि के प्रकरण	0.00
12 वर्ष से अधिक वर्ष तक की अवधि के प्रकरण	3.24
कुल	6278.68



Agewise Analysis of Legal Cases	
Period	Amount Involved (₹ in Lacs)
<i>Less than 1 year</i>	<i>0.00</i>
<i>1 Year to 2 Year</i>	<i>0.00</i>
<i>2 Year to 3 Year</i>	<i>0.00</i>
<i>3 Year to 4 Year</i>	<i>0.00</i>
<i>4 Year to 5 Year</i>	<i>480.92</i>
<i>5 Year to 6 Year</i>	<i>830.70</i>
<i>6Year to 7 Year</i>	<i>2722.68</i>
<i>7 Year to 8 Year</i>	<i>0.00</i>
<i>8 Year to 9 Year</i>	<i>366.39</i>
<i>9 Year to 10 Year</i>	<i>0.00</i>
<i>10 Year to 11 Year</i>	<i>1874.75</i>
<i>11 Year to 12 Year</i>	<i>0.00</i>
<i>More than 12 Year</i>	<i>3.24</i>
Total	6278.68

देनदारों द्वारा पुष्टिकृत शेष

अनुलग्नक बी-II

क्र.सं.	इकाई का नाम	देनदारों के नाम	लेखा खातों में शेष (₹)			देनदारों के द्वारा पुष्टि की गई शेष राशि (₹)		अंतर की राशि (₹)
			सेवाशुल्क (₹)	सेवाकर (₹)	कुल (₹)	सेवाकर भी सम्मिलित		
1	राउरकेला	आर.एस.पी., राउरकेला	24,13,22,295.00	3,04,98,505.00	27,18,20,800.00	27,79,16,240.82	60,95,440.82	
2	बर्नपुर	आई.एस.पी., बर्नपुर	10,21,45,212.74	1,27,30,013.00	11,48,75,225.74	9,42,58,701.75	2,06,16,523.99	
3	भिलाई	सेल, भिलाई	4,93,06,450.00	60,24,797.00	5,53,31,247.00	5,45,76,949.46	7,54,297.54	
4	बोकारो	सेल, बोकारो	22,98,23,189.00	2,84,09,205.00	25,82,32,394.00	25,82,29,335.27	3,058.73	
5	विजाग	आर.आई.एन.एल., विजाग	13,12,61,707.00	1,65,60,749.00	14,78,22,456.00	15,05,47,380.74	27,24,924.74	
6	दुर्गापुर	डी.एस.पी. दुर्गापुर	6,41,47,797.00	85,67,086.00	7,27,14,883.00	8,15,49,404.51	88,34,521.51	
7	डुबरी	एन.आई.एन.एल., डुबरी	2,60,44,642.00	24,73,784.00	2,85,18,426.00	2,85,18,427.00	1.00	
8	हरिद्वार	भेल, हरिद्वार	95,62,475.00	12,06,042.00	1,07,68,517.00	1,09,63,671.00	1,95,154.00	
9	भद्रावती	व्ही.आई.एस.एल. भद्रावती	20,47,646.00	2,55,977.00	23,03,623.00	24,63,181.76	1,59,558.76	
10	आर.डब्ल्यू.एफ	आर.डब्ल्यू.एफ, बंगलुरु	12,403.00	1,533.00	13,936.00	अनिश्चित		
	दुर्गापुर	अभिरक्षक सेवायें	75,69,782.00	9,34,324.00	85,04,106.00	अनिश्चित		
		योग	86,32,43,598.74	10,76,62,015.00	97,09,05,613.74	95,90,23,292.32	33,64,279.42	

देनदारों के लिए पुष्टिकृत विवरणिका उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें अनन्य सेवाकर को सकल राशि में तुलना करने के लिये जोड़





Sundry Debtor Balance Confirmation

Annexure B-II

Sl. No.	Name of the Unit	Name of the Debtors	Balance as per Books (₹)			Difference (₹)
			Service Charge (₹)	Service Tax (₹)	Total (₹)	
1	Rourkela	RSP, Rourkela	24,13,22,295.00	3,04,98,505.00	27,18,20,800.00	60,95,440.82
2	Burmpur	ISP Burmpur	10,21,45,212.74	1,27,30,013.00	11,48,75,225.74	2,06,16,523.99
3	Bhilai	SAIL, Bhilai	4,93,06,450.00	60,24,797.00	5,53,31,247.00	7,54,297.54
4	Bokaro	SAIL, Bokaro	22,98,23,189.00	2,84,09,205.00	25,82,32,394.00	3,058.73
5	Vizag	RINL, Vizag	13,12,61,707.00	1,65,60,749.00	14,78,22,456.00	27,24,924.74
6	Durgapur	DSP, Durgapur	6,41,47,797.00	85,67,086.00	7,27,14,883.00	88,34,521.51
7	Duburi	NINI, Duburi	2,60,44,642.00	24,73,784.00	2,85,18,426.00	1.00
8	Haridwar	BHEL, Haridwar	95,62,475.00	12,06,042.00	1,07,68,517.00	1,95,154.00
9	Bhadravati	VISL, Bhadravati	20,47,646.00	2,55,977.00	23,03,623.00	1,59,558.76
10	RWF	RWF-Bengaluru	12,403.00	1,533.00	13,936.00	Unconfirmed
	Durgapur	Custodian service	75,69,782.00	9,34,324.00	85,04,106.00	Unconfirmed
		Total	86,32,43,598.74	10,76,62,015.00	97,09,05,613.74	33,64,279.42

* The confirmation statement provided by Debtors are exclusive of service tax, the same has been grossed up for the sake of comparison.



निदेशक के प्रतिवेदन का संलग्नक-III

दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अन्तर्गत नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत विहित वित्तीय विवरणी ढाँचा के अनुसार 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणियों को तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन का दायित्व है। भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा निर्धारित अंकेक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षण जो अधिनियम की धारा 143(10) के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणियों पर राय अभिव्यक्त करने के लिये कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के तहत नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक उत्तरदायी है। इसे दिनांक 3 जून, 2015 के उनके लेखा परीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार उनके द्वारा पूरा किया गया।

मैंने नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों का कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(क) के अन्तर्गत पूरक लेखा परीक्षण किया। इन पूरक लेखा परीक्षण को वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्य-पत्रों के बिना स्वतंत्र रूप से संपादित किया गया तथा वह प्राथमिक रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों तथा कम्पनी के कर्मचारियों से पूछताछ एवं कुछ लेखा अभिलेखों की जाँच-पड़ताल तक सीमित था। मेरे लेखा परीक्षण के आधार पर मेरी जानकारी में कोई भी अभिप्राय मेरे ध्यान में नहीं आया है तथा जिस पर वैधानिक लेखा परीक्षक प्रतिवेदन के परिशिष्ट पर कोई टिप्पणी उद्घृत की जा सके।

नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक एवं
के वास्ते उनकी ओर से,
सुशील कुमार जायसवाल

स्थान : राँची
दिनांक : 27 जुलाई, 2015

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन् सदस्य
लेखा परीक्षा बोर्ड का कार्यालय, राँची



ANNEXURE III TO THE DIRECTORS' REPORT

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF FERRO SCRAP NIGAM LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015

The preparation of financial statements of Ferro Scrap Nigam Limited for the year ended 31st March, 2015 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act, are responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with standards on auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 3, June, 2015

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India have conducted a supplementary audit under Section 143(6)(a) of the Act of the financial statements of Ferro Scrap Nigam Limited for the year ended 31st March 2015. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the Statutory Auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comments upon or supplement to Statutory Auditors' Report.

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Sushil Kumar Jaiswal
Principal Director of Commercial Audit &
EX-Officio Member, Audit Board, Ranchi

Place: Ranchi
Date : 27 July, 2015



प्रपत्र-एमआर-3

सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वित्त वर्ष हेतु

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) एवं कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं.9 के तहत)

सेवा में

सदस्यगण

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड

मैंने (तत्पश्चात फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड कंपनी के रूप में उल्लिखित) द्वारा किए गए अच्छे निगमित कार्यों के वैधानिक प्रावधानों और उसके अनुपालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा वैधानिक अनुपालन के नियमों के अनुसार उचित कारणों का मूल्यांकन की गयी, जिसके अनुसार मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ।

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, की पुस्तकों, दस्तावेज मिनट पुस्तिका, प्रपत्रों एवं दाखिल रिटर्न व अन्य अभिलेखों जिन्हें कम्पनी ने तैयार किया है उनकी जांच और कंपनी के अधिकारियों, एजेंटों व अधिकृत प्रतिनिधियों जिन्होंने लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी का प्रतिनिधित्व किया, उनसे मिली जानकारियों और प्रबंधन द्वारा दी गयी जानकारी व अपनी जांच के आधार पर मैं यहां कंपनी के 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लेखा परीक्षा अवधि के बारे में अपनी राय व्यक्त कर रहा हूँ। आमतौर पर कंपनी ने यहां के सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया। कंपनी ने बोर्ड की प्रक्रिया और अनुपालन की पद्धति का यहां दी गयी रिपोर्ट में उल्लेख के अनुसार पालन किया।

मैंने कंपनी की पुस्तकों/बुक्स, कागजात, मिनट पुस्तिका, प्रपत्रों, दाखिल रिटर्न व अन्य अभिलेखों को जिन्हें फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड ने 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए तैयार किया व जिन्हें मुझे उपलब्ध कराया गया। उनकी इन लागू प्रावधानों के अनुसार मैंने जांच की।

- i. कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) और उसमें तैयार नियम जैसे लागू हों:
- ii. सिक्यूरिटीज कांट्रेक्ट (रेगुलेशन) अधिनियम 1956 ('एससीआरए') व वहां बने नियम **लागू नहीं**
- iii. डिपजिटरी एक्ट 1996 एवं नियमन तथा उसमें तैयार किए गए उप कानूनों के अनुसार **लागू नहीं**
- iv. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष समुद्रीयपार निवेश और विदेशी वाणिज्यिक लेनदारी के तहत बने नियम कानून।
अप्रायोज्य
- v. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित नियमावली एवं दिशा-निर्देश
क. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पर्याप्त शेयरों के अधिग्रहण व खरीद) नियम, 2011
अप्रायोज्य
ख. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भीतरी ट्रेडिंग पाबंदी) नियम, 1992;
अप्रायोज्य
ग. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) नियम, 2009 एवं
अप्रायोज्य
- vi. प्रबंधन द्वारा किये गये अभ्यावेदन के अनुसार कम्पनी हेतु प्रायोज्य अन्य कानून



SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

(Pursuant to Section 204 (1) of the companies act, 2013 and rule No.9 of the companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personal) rules, 2014)

To,
The Members,
FERRO SCRAP NIGAM LIMITED

I have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provision and the adherence to good corporate practices by Ferro Scrap Nigam Limited (hereinafter called the company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provides me a reasonable basis for evaluating the corporate conducts / statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on my verification of the Ferro Scrap Nigam Limited's books, paper, minute books, forms, and return filed and other records maintained by the company and also the information provided by the company, its officers, agents and authorized representative during the conduct of secretarial audit and as per the explanations given to me and the representation made by the management, I hereby report that in my opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March , 2015 generally complied with the statutory provisions listed hereunder and also that company has proper Board process and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter :

I have examined books, papers, minute books, forms and returns filed and other records made available to me and maintained by the Ferro Scrap Nigam Limited for the financial year ended on 31st March, 2015 according to the applicable provision of:

- i. The Companies Act ,2013 ('the Act') and the rules made there under, as applicable;
- ii. The Securities contract (regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made there under ;

NOT APPLICABLE

- iii. The Depository Act, 1996 and the regulation and Bye-laws framed there under;

NOT APPLICABLE

- iv. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made there under to the extent of Foreign Direct investment, Overseas direct Investment and External Commercial borrowing;

NOT APPLICABLE

- v. The following regulations and guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act,1992('SEBI Act'):

- a. The securities and exchanges Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations,2011;

NOT APPLICABLE

- b. The Securities and exchanges Board of India (Prohibition of Insider Trading)Regulation, 1992;

NOT APPLICABLE

- c. The Securities and exchanges Board of India (issue of Capital and disclosure Requirements) Regulation, 2009; and

NOT APPLICABLE

- vi. Other laws applicable to the company as per the representations made by the Management.



मैंने निम्न प्रायोज्य खंडों के अनुपालन की भी जांच की :

- i. अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट बोर्ड एवं साधारण सभाओं के सम्बन्ध में इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के सचिवीय मानक 1 जुलाई, 2015 से बाध्यतामूलक किये गये हैं। तथापि वर्ष 2014-15 के दौरान भी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी सचिवीय मानक, जो बाध्यतामूलक नहीं है, के साथ अनुपालन किया गया है।
- ii. कंपनी द्वारा बीएसई व नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. के साथ किए गये सूचीबद्धता संबंधी समझौते **प्रयोज्य नहीं**

समीक्षा की अवधि में कंपनी ने मुझे दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार आमतौर पर अधिनियम के प्रावधान, नियमों, नियमनों, दिशा-निर्देशों आदि का पालन किया जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

मैं और जानकारी देना चाहता हूँ कि:-

कंपनी के निदेशकों के बोर्ड का गठन समुचित रूप से कार्यकारी निदेशकों, गैर कार्यकारी निदेशकों व स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ हुआ। निदेशकों के बोर्ड में परिवर्तन जो इस अवधि के दौरान हुए वे अधिनियम के अनुपालन के साथ हुए। बोर्ड की सभी बैठकों के बारे में सभी निदेशकों को पर्याप्त कम से कम 7 दिन पहले नोटिस दी गयी। बैठक के मुद्दे व विस्तृत टिप्पणी अग्रिम रूप से भेज गए और बैठक के मुद्दों के बारे में सूचनाएं देने, स्पष्टीकरण आदि की प्रक्रिया अपनायी गयी जिससे बैठक में सार्थक भागीदारी हो सके।

प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी के अनुसार बोर्ड की बैठकों में आम सहमति से निर्णय लिए गए।

मैं आगे प्रबंधन की तरफ से मुझे दिए गए स्पष्टीकरण एवं किए गये प्रतिनिधित्व के अनुसार प्रतिवेदन करता है तथा मेरा जवाब उस पर निर्भर है, उस पर मेरे विश्वास के अनुसार कंपनी ने अपने आकार व परिचालन के अनुसार सभी लागू कानूनों, नियमनों, दिशा-निर्देशों आदि को लागू करने की उपयुक्त पद्धति व प्रक्रिया अपनाया है।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि लेखा परीक्षा की अवधि में ऐसी कोई निर्दिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं हुई जिसका कंपनी मामले, उपरोक्त कानूनों, नियमों, नियमाकों, मानकों, जैसा कि ऊपर उल्लेख है, को लागू करने में कोई असर पड़ा है।

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 13/07/2015

सीएस सौम्यो ज्योति सील

एसीएस : 30311

सी.पी.नं. : 11169

टिप्पणी:

यह रिपोर्ट मेरे द्वारा नीचे दी गई टिप्पणी के साथ पढ़ी जाए।

1. सचिवीय रिकार्ड रखने की जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की है और मेरा कार्य इन सचिवीय रिकार्डों पर आधारित लेखा परीक्षा पर विचार व्यक्त करता है।
2. सचिवीय रिकार्डों की सत्यता से जुड़े उपयुक्त आश्वासन की दिशा में मैंने ऑडिट कार्य व प्रक्रिया का पालन किया। लेखा परीक्षा इस आधार पर की गई है कि सचिवीय रिकार्डों की जांच के आधार पर सुनिश्चित हो और लेखा परीक्षा में सही तथ्य परिलक्षित हो। मैंने जो प्रक्रिया व पद्धति अपनायी उस आधार पर मेरे विचार व्यक्त करने के पर्याप्त आधार है।
3. मैंने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों और खाता-बही की सत्यता व उपयुक्तता की जांच नहीं की।
4. जब भी जरूरत पड़ी मैंने कंपनी के प्रतिनिधियों से नियमों नियामकों, घटनाओं आदि के बारे में जारी ली।
5. निगमित व अन्य लागू कानूनों, नियमों नियमनों, मानकों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। मेरी जांच इनकी परीक्षण प्रक्रिया के जांच के आधार पर रही।
6. सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन न तो कंपनी भविष्य की संभाव्यता का न तो आश्वासन है और न ही कंपनी मामलों में प्रबंधन के आचरण की दक्षता या प्रभाविकता का।



I have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- i. Secretarial standers of the Institute of Company Secretaries of India with respect board and general meetings are yet to be specified under the Act by the Institute.
- ii. The Listing agreements entered into by company with BSE limited and National Stock Exchange of India limited.

NOT APPLICABLE

During the period under review and as per the explanations and clarifications given to me and the representation made by management, the company has generally complied with the provision of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, etc. mentioned above.

I further report that :-

The Board of Directors of the company is duly constituted. However, Audit Committee, Remuneration Committee and Corporate Social Responsibility Committee were constituted in the absence of Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provision of the Act. Adequate notice was given to all Directors at least seven days in advance to schedule the Board Meetings. Agenda and detailed notes on agenda were sent in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Decisions at the board meeting, as represented by the management, were taken unanimously.

I further report as per the explanation given to me and the representation made by the management and relied upon by me there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to the monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

I further report that during the audit period, no such specific events / actions having a major bearing on the company's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc. referred to above, have taken place.

Place: Kolkata
Date: 13/07/2015

CS SAUMAYO JYOTI SEAL
ACS: 30311
C. P. No. 11169

NOTE:

My report of even date is to be read along with this note.

1. Maintenance of secretarial records is the responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on my audit.
2. I have followed the audit practices and process as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. I believe that the process and practices, I followed provide a reasonable basis for my opinion.
3. I have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the company.
4. Wherever required, I have obtained the management representative about the compliance of laws, rules, and regulations and happening of events etc.
5. The Compliance of the provision of corporate and other applicable laws, rules, regulation, standards is the responsibility of management. My examination was limited to the verification of procedure on test basis.
6. The secretarial audit report is neither an assurance as to the future viability of the company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.



निदेशक के प्रतिवेदन का सलग्नक-V

प्ररूप सं एमजीटी-9 वार्षिक प्रतिवेदन के उद्धरण वित्तीय वर्ष 31/03/2015 की समाप्ति पर

(कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) और कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में)

I. रजिस्ट्रीकरण और अन्य ब्यौरा

सीआईएन	यू 27102 सीटी 1989 जीओआई 005468
पंजीयन का दिनांक	28/03/1979
कंपनी का नाम	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड
कम्पनी की श्रेणी/उपश्रेणी	पूंजीगत अंश-कम्पनी
पंजीकृत कार्यालय का पता संपर्क का विवरण	एफ.एस.एन.एल.भवन, इक्विपमेट चौक,सेन्ट्रल एवेन्यू,पोस्ट बॉक्स-37, भिलाई-490001 दूरभाष नं.-0788-2222474/2222475 ई-मेल : fsnl.co@rediffmail.com वेबसाइट : www.fsnl.nic.in
क्या सूचीबद्ध कम्पनी है	नहीं
रजिस्ट्रार और स्थानांतरित एजेन्ट का नाम, पता संपर्क और अन्य के विवरण	निरंक

II. कम्पनी का मुख्य व्यवसाय व गतिविधियाँ-

कम्पनी की वो सभी व्यावसायिक गतिविधियाँ जिसका कम्पनी के कुल आवर्त में 10 प्रतिशत या उससे अधिक हैं वो इस प्रकार हैं:-

क्र.सं	नाम तथा मुख्य उत्पाद/सेवा का विवरण	उत्पाद/सेवा का एन आई सी कोड	कम्पनी का कुल आवर्त प्रतिशत में
1	धातु का अपशिष्ट एवं स्क्रैप की पुर्नप्राप्ति (पुर्नश्चक्रण) सेवायें सशुल्क या अनुबंध आधार पर लौह एवं इस्पात स्क्रैप एवं स्लैग, हैडलिंग अन्य मिल्स सेवाओं सहित	9989	98.81
2	भंडारण सेवायें	9967	1.19

III. नियंत्रि, अनुषंगी एवं सहयुक्त कंपनियों का विवरण:-

क्र.सं	कम्पनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीआईएल	नियंत्रि/अनुषंगी/सहयुक्त	धरित शेयर का %	लागू धारा
1	एम.एस.टी.सी लिमिटेड 225सी.ए.जे.सी.बोस रोड, कोलकाता 700020	यू 27320 डब्ल्यूबी 1964 जीओआई 026211	नियंत्रि	100	2(46)



Form No. MGT-9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN
As on the financial year ended on 31.03.2015

[Pursuant to Section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS :-

CIN	U27102CT1989GOI005468
Registration Date	28 /03/1979
Name of the Company	Ferro Scrap Nigam Limited
Category/Sub-Category of the Company	Company having Share Capital
Address of the Registered office and contact details	FSNL BHAWAN, Equipment Chowk, Central Avenue, Post Box-37 Bhilai-490001. Telephone: 0788-2222474 / 2222475. E-mail: fsnl_co@rediffmail.com, web site: www.fsnl.nic.in
Whether listed company	No
Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	NIL

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY :-

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:-

Sl. No.	Name and Description of main products/ Services	NIC Code of the Product/ service	% total turnover of the company
1	Metal Waste & Scrap recovery (recycling) services on a fees or contract basis processing of iron & steel scrap and slag handling including other mills services.	9989	98.81
2	Warehousing Services	9967	1.19

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES :-

Sl. No:	Name & Address of the Company	CIN	Holding / Subsidiary / Associate	% of Shares held	Applicable Section
1	MSTC LIMITED 225C A. J.C. Bose Road, Kolkata-700020.	U27320WB1964GOI026211	Holding	100%	2(46)



IV शेयर धारण प्रतिमान (कुल इक्विटी की प्रतिशतता के रूप में साम्य शेयर पूंजी ब्यौरा)

1. श्रेणीवार शेयरधारण-

शेयर धारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डिमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर का प्रतिशत	डिमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर का प्रतिशत	
(क) संप्रवर्तक									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत एच.यू.एफ									
ख) केन्द्रीय सरकार (पी.एस.यू)									
ग) राज्य सरकार (रे)									
घ) निगमित मंडल	0	20000	20000	100%	0	20000	20000	100%	
च) बैंक/वि.स									
छ) कोई अन्य									
उप-योग (अ)(1)	0	20000	20000	100%	0	20000	20000	100%	निरंक
(2) विदेशी									
क) एन.आर.आई.एस.व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) निगमित मंडल	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बैंक/वि.स.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग (अ)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संप्रवर्तक की कुल शेयर धारिता									
(अ)=(अ)(1)+(अ)(2)	0	20000	20000	100%	0	20000	20000	100%	-
ख.पब्लिक शेयर धारिता	0								
1.संस्थायें									
क) म्यूचुअल फंड									
ख) बैंक/वि.स									
ग) केन्द्रीय सरकार									
घ) राज्य सरकार (रे)									
ड) उद्यम पूंजी कोष									
च) बीमा कम्पनियाँ									
छ) विदेशी संस्थागत निवेशक									
ज) विदेशी उद्यम पूंजी कोष									
झ) अन्य (उल्लेखित)									
उप-योग (ब)(1)	0								



IV. SHAREHOLDING PATTERN (Equity Share-Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i) Category-wise Shareholding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters									
(1) Indian									
a) Individual/ HUF									
b) Central Govt (PSU)									
c) State Govt(s)									
d) Bodies Corp.									
e) Banks/FI									
f) Any Other....									
Sub-total(A)(1):	0	20000	20000	100%	0	20000	20000	100%	-
(2) Foreign	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) NRIs- individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Other-Individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Bodies Corp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Banks/FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Any Other....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total(A)(2):	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total shareholding of Promoter (A)= (A)(1)+(A)(2)	0	20000	20000	100%	0	20000	20000	100%	-
B. Public Shareholding	0								
1. Institutions									
a) Mutual Funds									
b) Banks/FI									
c) Central Govt.									
d) State Govt(s)									
e) Venture Capital Funds									
f) Insurance Companies									
g) FIs									
h) Foreign Venture Capital Funds									
i) Others (Specify)									
Sub-total(B)(1):-	0								



2. गैर संस्थागत (क) कारपोरेट निकाय (i) भारतीय (ii) विदेशी (ख) व्यक्तिगत (i) 1 लाख रूपए तक की सांकेतिक शेयर पूँजीधारी व्यक्तिगत शेयर धारक (ii) 1 लाख रूपए से अधिक की सांकेतिक शेयर पूँजीधारी व्यक्तिगत शेयर धारक (ग) अन्य (उल्लेखित)									
उप-योग (ख) (2)									
कुल पब्लिक शेयर धारिता (ख)=(ख)(1)+(ख)(2)									
(ग) जीडीआर एवं एडीआर अभिरक्षकों द्वारा धारित शेयर									
सकल योग (क+ख+ग)		20000				20000			

(ii) संप्रवर्तकों की शेयर धारिता

क्र.सं.	शेयर धारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयर धारिता में परिवर्तन का प्रतिशत
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में प्रतिभूत/भारित शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में प्रतिभूत/भारित शेयरों का %	
1	एम.एस.टी.सी लिमिटेड (पी.एस.यू)	20000	100	निरंक	20000	100	निरंक	निरंक
	योग							



2.Non- Institutions a)Bodies Corp. i)Indian ii)Overseas b)Individuals i)Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs.1lakh ii)Individual shareholders holding nominal share capital in excess of ₹ 1lakh c)Others(specify)									
Sub-total(B)(2):-									
Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+ (B)(2)									
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs									
Grand Total (A+B+C)		20000				20000			

(ii)Shareholding of Promoters

Sl No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change in share holding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the Company	% of Shares Pledged / encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the Company	% of Shares Pledged / encumbered to total shares	
1	MSTC LTD (PSU)	20000	100	NIL	20000	100	NIL	NIL
	Total							



(iii) संप्रवर्तकों की शेयर धारिता में परिवर्तन (यदि परिवर्तन नहीं होने की स्थिति में कृपया स्पष्ट करें)

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान अंशधारिता का संचयन	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी का कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कम्पनी का कुल शेयरों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारंभ में	किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है।			
	वर्ष के प्रारम्भ में वृद्धि/गिरावट के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए (अर्थात् आवंटन/अंतरण/बोनस/श्रमसाध्य साम्या आदि) वर्ष के दौरान संप्रवर्तकों के शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि गिरावट	किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है।			
	वर्ष के अंत में				

(iv). शीर्ष दस शेयरधारकों (निदेशकों, संप्रवर्तकों तथा जी.डी.आर. व ए डी आर के धारकों के अतिरिक्त) का शेयर धारिता प्रतिमान:

क्र.सं.		वर्ष के आरम्भ में शेयर धारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयर धारिता	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी का कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	प्रत्येक शीर्ष 10 शेयरधारकों के लिए				
	वर्ष के आरंभ में	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	बढ़त/धटत के कारणों को स्पष्ट करते हुए (अर्थात् आवंटन/अंतरण/बोनस/श्रम साध्य साम्या इत्यादि) शेयर धारिता में वर्ष के दौरान तिथिवार बढ़त/धटत :				
	वर्ष के अंत में (अथवा पृथक्करण की तिथि को, यदि वर्ष के दौरान पृथक् हुए)				



(iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

Sl. No.		Shareholding at the Beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the Company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year	<i>There is no change</i>			
	Date wise Increase/ Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase /decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/ sweat equity etc):	<i>There is no change</i>			
	At the End of the Year				

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the Company	No. of Shares	% of total shares of the Company
	For Each of the Top10 Shareholders				
	At the beginning of the year	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Date wise Increase/ Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase/ Decrease (e.g.allotment/transfer/bonus /sweat equity etc):				
	At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the Year)				



(v) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

क्र.सं.	प्रत्येक निदेशक एवं प्रमुख प्रबंध कार्मिक के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयर धारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयर धारिता	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	वर्ष के आरंभ में	कम्पनी के किसी भी निदेशक एवं प्रबंधकीय वैयक्तिक ने अंशों का धारिता नहीं किया है।			
	बढ़त/घटत के कारणों को स्पष्ट करते हुए (अर्थात् आवंटन/अंतरण/बोनस/श्रम साध्य साम्या इत्यादि) संप्रवर्तको की शेयर धारिता में वर्ष के दौरान तिथिवार बढ़त/घटत :				
	वर्ष के अंत में				



(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sl. No.	For Each of the Directors And KMP	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the Company	No. of Shares	% of total shares of the Company
	At the beginning of the year	None of the Directors and KMP hold any share in the company			
	Date wise Increase/ Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase/ Decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus /sweat equity etc):				
	At the End of the year				



V ऋणग्रस्तता -

कम्पनी की बकाया/प्रोद्भूत किन्तु भुगतान हेतु देय नही ब्याज समाहित ऋणग्रस्तता

	जमाओं को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	निक्षेप	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता-				
(i) मूलधन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(ii) देय किन्तु असंदत्त ब्याज	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(iii) प्रोद्भूत किन्तु अंसदेय ब्याज	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
योग (i)+(ii)+(iii)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
योजन				
कटौती				
सकल परिवर्तन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता-				
(i) मूलधन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(ii) देय किन्तु असंदत्त ब्याज	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(iii) प्रोद्भूत किन्तु अंसदेय ब्याज	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
योग (i)+(ii)+(iii)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

टीप - कम्पनी ने अपनी कार्यरत् पूंजी की आवश्यकता के लिये अधिविकर्ष सुविधा ₹ 2023.20 लाख का उपयोग (गतवर्ष ₹1054 लाख) पी एस यू बैंक में सावधि जमाओं के साथ किया है।



V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

	Secured Loans excluding Deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial Year				
i) Principal Amount	Nil	Nil	Nil	Nil
ii) Interest due but not paid	Nil	Nil	Nil	Nil
iii) Interest accrued but not due	Nil	Nil	Nil	Nil
Total (i+ii+iii)	Nil	Nil	Nil	Nil
Change in Indebtedness during the financial year · Addition · Reduction				
Net Change	Nil	Nil	Nil	Nil
Indebtedness at the end of the financial year				
i) Principal Amount	Nil	Nil	Nil	Nil
ii) Interest due but not paid	Nil	Nil	Nil	Nil
iii) Interest accrued but not due	Nil	Nil	Nil	Nil
Total (i+ii+iii)	Nil	Nil	Nil	Nil
Note : The Company used overdraft facility amounting to ₹ 2023.20 lakhs (previous year ₹1054 lakhs) against Fixed Deposit with PSU Bank to meet its working capital.				



VI.निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंध कार्मिकों का पारिश्रमिक-

(क) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक: -

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक पूर्ण कालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम	कुल राशि		
		श्री राजीव भट्टाचार्य	—	—	—
1	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में दिये गये प्रावधान के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले प्राप्त लाभ	2,23,192.00 83,209.00 0			
2	स्टॉक विकल्प	0			
3	श्रमसाध्य साम्या	0			
4	कमीशन -लाभ के प्रतिशत के रूप में -अन्य उल्लेखित	0			
5	अन्य उल्लेखित पुष्टिकारक	0			
	योग (क)	3,06,401.00			
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा				



VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and /or Manager:

Sl. no.	Particulars of Remuneration	Name of MD/ WTD/Manager				Total Amount
		Shri Rajib Bhattacharya	—	—	—	
1.	Gross Salary (a)Salary as per provisions contained in Section17(1) of the Income-tax Act,1961 (b)Value of perquisites u/s 17(2)Income-tax Act,1961 (c)Profits in lieu of Salary undersection17(3) Incometax Act,1961	2,23,192.00 83,209.00 0				
2.	Stock Option	0				
3.	Sweat Equity	0				
4.	Commission - as % of profit - others, specify...	0				
5.	Others, please specify	0				
	Total(A)	3,06,401.00				
	Ceiling as per the Act					



(ख) अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक-निरंक-

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशक का नाम				कुल राशि
		-	-	-	-	
1.	स्वतंत्र निदेशक ● बोर्ड या समिति की बैठक में भाग लेने की फीस ● कमीशन अन्य उल्लेखित	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	
	योग (1)					
2.	अन्य गैर कार्यपालक निदेशक- ● बोर्ड या समिति की बैठक में भाग लेने की फीस ● कमीशन, अन्य उल्लेखित	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	
	योग (2)					
	योग-(ख)=(1+2)					
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक					
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा					



B. Remuneration to other directors : NIL

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors				Total Amount
		—	—	—	—	
1.	<ul style="list-style-type: none">● Independent Directors Fee for attending board Committee meetings● Commission Others, please specify	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
	Total(1)					
2.	<p>Other Non-Executive Directors</p> <ul style="list-style-type: none">● Fee for attending board committee meetings● Commission Others, please specify	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
	Total(2)					
	Total-(B)=(1+2)					
	Total Managerial Remuneration					
	Overall Ceiling as per the Act					



(ग).प्रबंध निदेशक या प्रबंधक या पूर्णकालिक निदेशक के अतिरिक्त अन्य प्रबंध कार्मिकों का पारिश्रमिक:

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंध कार्मिक			
		मुख्य कार्यकारी अधिकारी	कम्पनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	योग
1.	सकल वेतन		12,57,778.00	11,14,729.00	23,72,507.00
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के उपबंधों के अनुसार वेतन				
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य		3,08,088.00	4,46,368.00	7,54,456.00
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ		0	0	0
2.	स्टॉक विकल्प		0	0	0
3.	श्रमसाध्य साम्या		0	0	0
4.	कमीशन				
	- लाभ के प्रतिशत के रूप में - अन्य उल्लेखित		0	0	0
5.	अन्य, उल्लेखित		0.00	0.00	
	-मकान किराया भत्ता		0.00	0.00	
	-चिकित्सा				
	-सत्कार भत्ता		0.00	0.00	
	योग		15,65,866.00	15,61,097.00	31,26,963.00



C. REMUNERATION TO KEYMANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD / MANAGER / WTD

Sl. no.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		CEO	Company Secretary	CFO	Total
1.	Gross Salary (a) Salary as per provisions contained in Section 17(1) of the Income-tax Act, 1961		12,57,778.00	11,14,729.00	23,72,507.00
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961		3,08,088.00	4,46,368.00	7,54,456.00
	(c) Profits in lieu of Salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961		0	0	0
2.	Stock Option		0	0	0
3.	Sweat Equity		0	0	0
4.	Commission - as % of profit - others, specify...		0	0	0
5.	Others, please specify - HRA - Medical - Entertainment Allowance		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
	Total		15,65,866.00	15,61,097.00	31,26,963.00



VII . शास्ति या दंड या अपराध उपशमन :-

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए शास्ति या दंड या अपराध उपशमन का विवरण	प्राधिकारी प्रादेशिक निदेशक या एन.सी.एल.टी / न्यायालय	की गई अपील यदि है तो विवरण दे
(अ).कम्पनी					
शास्ति					
दंड			कोई नहीं		
उपशमन					
(ब) निदेशक					
शास्ति					
दंड			कोई नहीं		
उपशमन					
(स) डिफॉल्ट में अन्य अधिकारी					
शास्ति			कोई नहीं		
दंड					
उपशमन					

वास्ते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

एस.के.त्रिपाठी
अध्यक्ष

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक:10/09/2015



VII. PENALTIES / PUNISHMENT / COMPOUNDING OF OFFENCES :

TYPE	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty / Punishment / Compounding fees Imposed	Authority (RD/ NCLT / COURT)	Appeal made, if any (give Details)
A. COMPANY					
Penalty		NONE			
Punishment					
Compounding					
B. DIRECTORS					
Penalty		NONE			
Punishment					
Compounding					
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty		NONE			
Punishment					
Compounding					

For and on behalf of Board of Directors

S.K.Tripathi
Chairman

Place : New Delhi
Date : 10/09/2015



31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशक मंडल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक कम्पनी की सी एस आर गतिविधियों का वार्षिक प्रतिवेदन

1.0 प्रस्तावित परियोजनाओं एवं क्रियाकलापों के विवरणों के साथ कंपनी के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की संक्षिप्त रूपरेखा तथा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति एवं परियोजनाओं अथवा क्रियाकलापों से संबंधित वेबलिंग का संदर्भ।

परिकल्पना

सामाजिक रूप से उत्तरदाई संस्थान की हैसियत से पर्यावरण की सचेतनता के साथ एफएसएनएल द्वारा अपनी भूमिका का निर्वहन कंपनी की परिकल्पना के अनुरूप निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के क्रियाकलापों के माध्यम से अपनी सेवाओं, आचरण एवं पहल के जरिए अपने कार्यक्षेत्र के समुदाय एवं समूचे समाज के मूल्य-निर्माण में निरंतर संवर्धन किया जाएगा, ताकि समाज एवं समुदाय के अनवरत प्रगति को बढ़ावा मिल सके।

उद्देश्य

उपरोक्त परिकल्पना के तहत, एफएसएनएल द्वारा एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का सृजन किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य अपने कार्य-क्षेत्र की परिधि में आने वाले समाज की भलाई हेतु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्रियाकलापों का निर्वहन करना है, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय जनसमुदाय के जीवन एवं आर्थिक स्तरों में सुधार हो सके ताकि समुदाय में एफएसएनएल की साख बढ़ सके तथा निगमित संस्थान के रूप में एफएसएनएल की एक सकारात्मक एवं सामाजिक उत्तरदाई संस्थान की छवि को पुनःस्थापित करने में सहायता मिले, संस्थान में सभी स्तरों पर सर्वोर्धित उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना, आदि।

कोष का आबंटन

01.04.2014 के प्रभाव से कंपनी द्वारा विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत शुद्ध लाभ का न्यूनतम 2.0 प्रतिशत राशि निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वहन पर प्रति वित्तीय वर्ष में खर्च किया जाएगा।

रोकड़ परियोजनाओं का चयन एवं आवश्यकता आंकलन

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं वहनीयता परियोजनाओं/क्रियाकलापों का चयन आवश्यकता निर्धारण अध्ययन द्वारा अथवा जिला प्रबंधनों/स्थानीय प्रशासनों/निकायों/नागरिक मंचों/अशासकीय संस्थानों/न्यासों/समितियों/लाभभोक्ताओं के साथ बातचीत के आधार पर किया जाता है, तथा अनुरोध/आवेदनों की जांच निगमन स्तर के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति द्वारा की जाती है।

आवश्यकता का आंकलन/बेसलाईन सर्वेक्षण, आंतरिक दक्षता एवं संसाधनों के जरिए किया जाता है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं/क्रियाकलापों का अनुमोदन

समस्त निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं वहनीयता परियोजनाओं/क्रियाकलापों का अनुमोदन, निदेशक मंडल स्तर की समिति, अर्थात्, समस्त निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं वहनीयता समिति द्वारा किया जाता है, जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।



ANNEXURE - VI TO THE DIRECTORS' REPORT

ANNEXURE TO THE REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015.

ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES OF THE COMPANY

- 1.0 Brief outline of the company's CSR Policy, including overview of projects or programmes proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR policy and projects or programmes.

VISION

In alignment with vision of the company, FSNL, through its CSR initiatives, will continue to enhance value creation in the society and in the community in which it operates, through its services, conduct & initiatives, so as to promote sustained growth for the society and community, in fulfillment of its role as a **Socially Responsible Corporate**, with environmental concern.

OBJECTIVES

With the above vision, FSNL has formulated a CSR policy with the main objectives of directly or indirectly taking up programmes that benefit the communities in & around its work centres, which will result in enhancing the quality of life & economic well-being of the local population, to generate a community goodwill for FSNL and help reinforce a positive & socially responsible image of FSNL as a Corporate entity, to ensure an increased commitment at all levels in the organization, etc.

ALLOCATION OF FUND

Effective from 01.04.2014, at least 2.0% of the average net profits of the company made during the three immediately preceding financial years, shall be spent in each financial year towards discharge of Corporate Social Responsibility.

SELECTION & NEED ASSESSMENT OF CSR PROJECTS

The Selection of CSR & Sustainability project / activities depend upon the local needs as may be determined by the need identification studies or discussions with District Administration / local government / bodies / citizen's forums / NGOs/Trusts / Societies / Beneficiaries etc and the requests / applications are scrutinized and screened by the Corporate level CSR Committee.

The need assessment / baseline survey is carried out through in-house expertise and recourses.

APPROVAL OF CSR PROJECTS/ACTIVITIES

All the CSR & Sustainability projects / activities are approved by the Board level Committee i.e. CSR & Sustainability Committee and ratified by the Board of Directors.



वर्ष 2014-15 के दौरान प्रस्तावित योजनाएं

वर्ष 2014-15 के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलापों के निर्वहन तथा भारत सरकार द्वारा जारी स्वच्छ भारत अभियान के अनुसरण में एफएसएनएल द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित 3 चिन्हित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के उपयोग हेतु 3 शौचालय ब्लॉकों का निर्माण किया जा रहा है। इस कार्य हेतु आदेश, ऐसे शौचालय ब्लॉकों के निर्माण हेतु शासन द्वारा नियुक्त नोडल एजेंसी को प्रदान किया जा चुका है, तथा कार्य प्रगति पर है।

इसके अलावा, दुर्ग (छत्तीसगढ़) के जिलाधीश से प्राप्त निर्देशन के अनुसार, एफएसएनएल द्वारा दुर्ग जिले में स्थित राज्य के सांस्कृतिक धरोहर 'मानस भवन' में विद्युतीकरण/ध्वनि श्रवण संबंधी सुविधाएं आदि का कार्य भी संपन्न किया जा रहा है, जहां इस अंचल की कला और संस्कृति को दर्शाने वाले कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

2.0 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं वहनीयता हेतु निदेशक मंडल स्तर की समिति गठित है, जिसका नेतृत्व एक मुक्त निदेशक द्वारा किया जाता है। समिति की संरचना कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित की जाती है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं वहनीयता क्रियाकलापों का निरीक्षण एवं क्रियान्वयन निदेशक मंडल स्तर की समिति की निगरानी में होता है।

3. विगत तीन वर्षों में कम्पनी का कुल औसत लाभ-

वर्ष 2011-12	:	₹ 137.49 लाख
वर्ष 2012-13	:	₹ 196.06 लाख
वर्ष 2013-14	:	₹ 842.28 लाख
औसत कुल लाभ :		₹ 391.94 लाख

4. सी.एस.आर. के लिये विहित व्यय (उपरोक्त (3) का 2 प्रतिशत)

₹ 7.83 लाख

5. वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान सी.एस.आर.मद में खर्च का विवरण-

- (क) वित्तीय वर्ष में कुल खर्च की जाने की राशि- ₹ 25.27 लाख
(ख) अव्ययित राशि-यदि कोई हो तो- ₹ 21.77 लाख
(कार्य प्रगति पर है)



PROJECTS PROPOSED DURING 2014-15

In discharge of CSR activity for the year 2014-15 and in adherence of the Swachch Bharat Abhiyaan initiated by the Govt.of India, FSNL is constructing 3 Toilet blocks for the Girl students studying in the identified 3 Government Higher Secondary Schools in Durg District of Chattisgarh State. The order for this job has been placed on the Nodal agency appointed by the Government for such construction of toilet blocks, and the job is under progress.

Apart from this, as per the directives received from the Collectorate-Durg(C.G), FSNL is also carrying out Electrification/Acoustic jobs at Manas Bhawan in Durg District, which is one of the important auditoriums in the state of Chattisgarh where the programmes depicting Art & Culture of this region are organized.

2. COMPOSITION OF CSR COMMITTEE

A Board Level Committee for CSR & Sustainability is headed by an Independent Director. The Composition of the Committee is decided by the Board of Directors of the Company.

The implementation and monitoring of the CSR & Sustainability activities are overseen by the Board Level Committee.

3.AVERAGE NET PROFIT OF THE COMPANY FOR LAST 3 FYs

2011-12 : ₹ 137.49 Lakhs

2012-13 : ₹ 196.06 Lakhs

2013-14 : ₹ 842.28 Lakhs

Average Net Profit : ₹ 391.94 Lakhs

4.PRESCRIBED CSR EXPENDITURE [2% OF (3) ABOVE]

₹ 7.83 Lakhs

5.DETAILS OF CSR SPENT DURING THE FINANCIAL YEAR (2014-15)

a)Total amount to be spent for the financial year : ₹ 25.27 Lakhs

b)Amount unspent, if any : ₹ 21.77 Lakhs
(Work in progress)



(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	सी.एस.आर. योजनायें या चिन्हित गतिविधियाँ	क्षेत्र जहाँ योजनाओं का समावेश किया गया	योजनायें या कार्यक्रम 1.स्थानीय क्षेत्र या अन्य 2.राज्य एवं जिले का उल्लेख, जहाँ पर योजनायें या कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया	राशि परिव्यय (बजट) योजनाओं या कार्यक्रमानुसार	परियोजना या कार्यक्रम का उपशीर्ष जहाँ खर्च किया गया- 1.योजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय 2.अधिशीर्ष	संचयी व्यय प्रतिवेदित अवधि में	खर्च स्वयं किया गया अथवा निर्वहन संस्था के माध्यम से किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	छात्राओं हेतु 3 प्रसाधन ब्लॉकस का निर्माण	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता (स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत)	जिला-दुर्ग छत्तीसगढ़ राज्य में	₹ 17.27 लाख	₹ 3.50 लाख (कार्य प्रगति पर है।)	₹ 3.50 लाख	भारत सरकार द्वारा नियुक्त नोडल एजेन्सी मेसर्स हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली
2	विद्युतीकरण एवं ध्वनिगुण संबंधी कार्य मानस भवन दुर्ग	अंचल की कला एवं संस्कृति के विकास के क्षेत्र में	जिला-दुर्ग छत्तीसगढ़ राज्य में	₹ 8.00 लाख	कार्य प्रगति पर है	—	विभागीय
	योग			₹ 25.27 लाख	कार्य प्रगति पर है	कार्य प्रगति पर है	

कार्यान्वयन एजेन्सी का सम्पूर्ण विवरण का उल्लेख करें-

6. यदि कम्पनी विगत तीन वित्तीय वर्षों के औसत : लाभ का 2 प्रतिशत या उसके किसी अंश को खर्च करने में असफल रहता है, तो ऐसी स्थिति में कम्पनी अपने बोर्ड के प्रतिवेदन में खर्च नहीं किये जाने का उल्लेख करेगा।
- अप्रयोज्य चूंकि आबंटित राशि विगत तीन वर्षों के औसत कुल लाभ के 2 प्रतिशत से अधिक है।
7. सी एस आर उद्देश्यों एवं नीतियों का अनुसरण करते हुए सी एस आर नीति के क्रियान्वयन एवं निगरानी किए जाने के संबंध में सी एस आर समिति का एक उत्तरदायित्व वक्तव्य
- यह सुनिश्चित किया जाता है कि सी.एस.आर.की नीतियों का क्रियान्वयन एवं अनुवीक्षण कंपनी के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्वों के उद्देश्यों एवं नीतियों के अनुसार है।

राजीव भट्टाचार्य
प्रबंध निदेशक

डी.बी.सिंह
निदेशक

के.एल.पटेल
सहायक महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन)



c) Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below:-

Sl No	CSR project or activity Identified	Sector in which the project is Covered	Projects or programmes 1. Local area or other 2. Specify the State and District where projects or programs was Undertaken	Amount outlay (Budget) project or Programwise	Amount spent on the projects or programs Sub-heads: 1. Direct expenditure on projects or programme 2. Overheads	Cumulative expenditure upto the reporting Period	Amount spent: Direct or through implementing Agency*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Constn. of 3 nos. of Toilet blocks for Girl Students	Health & Hygiene (Under Swachh Vidhyalaya Abhiyan)	District: Durg in Chattisgarh State	17.27 Lakh	3.50 Lakhs (Work in Progress)	3.50 Lakhs	Through Nodal agency appointed by Govt. of India, viz., M/s Hindustan Prefab Limited, New Delhi
2.	Electrification & Acoustics in Manas Bhawan -Durg	Development of Art & Culture of the Region	District-Durg in Chattisgarh State	8.00 Lakh	Work in Progress	—	Departmentally
	TOTAL			25.27 Lakh	Work in progress	Work in progress	

*** Give details of implementing agency.**

6. In case the company has failed to spend the two percent of the average net profit of the last three financial years or any part thereof, the company shall provide the reasons for not spending the amount in its Board report. : Not applicable as the allocation made is more than 2% of the average net profit of last 3 financial years
7. A responsibility statement of the CSR Committee that the implementation and monitoring of CSR Policy is in compliance with CSR objectives and Policy of the Company. : It is ensured that the implementation and monitoring of CSR policy is in compliance with CSR objectives and policy of the Co.

Rajib Bhattacharya
Managing Director

D.B.Singh
Director

K.L.Patel
AGM(P&A)



कार्पोरेट गवर्नेंस पर प्रतिवेदन

कंपनी की अवधारणा

कार्पोरेट गवर्नेंस के संदर्भ में कंपनी का सिद्धांत पारदर्शिता, प्रकटन एवं प्रतिवेदन सुनिश्चित करना है, तथा समूचे संस्थान में नैतिक आचरण को बढ़ावा देना है। उसकी यह धारणा है कि निदेशक मंडल अंशधारक का उत्तरदायी है, तथा निदेशक मंडल के प्रत्येक सदस्य का परम कर्तव्य कंपनी के हितों का संवर्धन एवं इसकी रक्षा करना है।

परिकल्पना

कंपनी को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने तथा ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से वर्तमान कारोबार का विस्तार करते हुए अपने संचालनीय क्षितिज में बढ़ोतरी।

लक्ष्य

कंपनी का लक्ष्य 'व्यर्थ से अर्थ' का उपार्जन करना है।

उद्देश्य

इस्पात उद्योग में अपशिष्ट पुनश्चक्रण के क्षेत्र में बाजार की अग्रणी संस्था बने रहने ही कंपनी का उद्देश्य है।

निदेशक मंडल

संरचना

उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कंपनी का मार्गदर्शन करने हेतु वृहत ज्ञान, बुद्धिमत्ता एवं विविध औद्योगिक अनुभव का सम्मिश्रित निदेशक मंडल होता है।

निदेशक मंडल में अध्यक्ष श्री शैलेन्द्र कृष्ण त्रिपाठी (डीआईएन:01016520), जिनके पास दिनांक 08.02.2015 तक एफएसएनएलके के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी था, श्री राजीव भट्टाचार्य (डीआईएन:07091356) जिन्होंने दिनांक 09.02.2015 के प्रभाव से कंपनी के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया, एमएसटीसी के नामित निदेशक श्री बाम बहादुर सिंह (डीआईएन:03212787), श्री के.समरेन्द्र नाथ (डीआईएन:06892278), जो दिनांक 21.12.2014 तक सरकार के नामित निदेशक थे, का संगठन है तथा वर्ष के दौरान दो गैर-कार्यपालक निदेशकों (स्वतंत्र निदेशक) का पदभार रिक्त था।

श्री के.समरेन्द्र नाथ (डीआईएन:06892278), निदेशक इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के स्थान पर श्री दीन बंधु सिंह (डीआईएन:03619886), निदेशक इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार को इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र क्र.1(1)/2014-बीएलए दिनांक 22 दिसंबर 2014 के माध्यम से नामित किया गया है।

वर्तमान में दो स्वतंत्र निदेशकों का स्थान रिक्त है चूंकि प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किसी की नियुक्ति नहीं की गई है, तथा निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कंपनी के नियंत्रण में नहीं है।

नव- नियुक्त निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

श्री राजीव भट्टाचार्य (डीआईएन:07091356) को आदेश क्र.11(1)/2015-बीएलए दिनांक 05.02.2015 के माध्यम से कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।

श्री दीन बंधु सिंह (डीआईएन:03619886), निदेशक- इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार को इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र क्र.1(1)/2014-बीएलए दिनांक 22 दिसंबर 2014 के माध्यम से श्री के.समरेन्द्र नाथ (डीआईएन:06892278), निदेशक इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के स्थान पर नामित किया गया है।

निदेशकों द्वारा निदेशक पद धारण

श्री शैलेन्द्र कृष्ण त्रिपाठी (डीआईएन:01016520), एमएसटीसी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हैं, तथा श्री बाम बहादुर सिंह (डीआईएन:03212787), एमएसटीसी में निदेशक (वाणिज्य) के पद पर कार्यरत हैं।

निदेशकों का पारिश्रमिक

स्वतंत्र निदेशक, बैठक शुल्क के अलावा किसी पारिश्रमिक के हकदार नहीं हैं। अध्यक्ष, सरकारी निदेशक एवं एमएसटीसी के नामित निदेशक को बैठक शुल्क प्रदान नहीं की जाती है।

प्रबंध निदेशक का पारिश्रमिक

प्रबंध निदेशक की नियुक्ति के विस्तृत नियम एवं शर्तें इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पत्र क्र.11(1)/2015 दिनांक 19 मार्च 2015 के अनुसार हैं, जो अनुलग्नक 'ए' पर संलग्न है।

निदेशक मंडल/समिति की बैठकें एवं कार्यविधि

अ) निदेशक मंडल/समिति की बैठकों की अनुसूचि एवं कार्यावली का चयन

1) निदेशक मंडल/समिति के अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत उचित सूचना प्रदान करते हुए बैठकें आयोजित की जाती हैं। बैठकों में सार्थक, अवगत एवं केंद्रित निर्णयन में सहायता हेतु विस्तृत कार्यावली, प्रबंधकीय प्रतिवेदन तथा स्पष्टीकरण वक्तव्य सदस्यों के मध्य पूर्व में ही संचारित कर दी जाती हैं। निदेशक मंडल द्वारा संचारण माध्यम से भी संकल्प पारित की जाती है।



REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

COMPANY'S PHILOSOPHY-

The philosophy of the company in relation to corporate governance is to ensure transparency, disclosures and reporting and to promote ethical conduct throughout the organization. It recognizes that the Board is accountable to shareholder and each member of the Board owes his first duty to protect and furthering the interest of the company.

Vision-

The Company has a vision to increase its operational horizon by expanding the existing business to provide better services to its customer and to make the company competitive.

Mission-

The Mission of the Company is to generate "Wealth from Waste".

The Company's objective is to remain a market leader in the field of waste recycle management in the steel industry.

Objectives-

BOARD OF DIRECTORS -

COMPOSITION -

The Board has an appropriate mix of vast knowledge, wisdom and varied industry experience to guide the company in achieving its objectives.

Board of Directors constitutes of Shri Shailendra Krishna Tripathi, (DIN:01016520) as Chairman who was also holding the additional charge of the post of Managing Director, FSNL, upto 08.02.2015, Shri Rajib Bhattacharya (DIN: 07091356) who took over as Managing Director of the Company w.e.f. 09.02.2015, Shri Bam Bahadur Singh, (DIN: 03212787) nominee Director of MSTC Ltd., Shri K. S. Samarendra Nath, (DIN: 06892278) was Govt. Nominee director upto 21/12/2014 and the place of two non-official directors (independent Director) were vacant during the year.

Shri Deen Bandhu Singh, (DIN:03619886) Director, MOS, Govt. of India, has been nominated by Govt. of India, Ministry of Steel vide letter no: 1(1)/2014-BLA dated 22nd December, 2014 in place of Shri K.S.Samarendra Nath (DIN: 06892278), Director, MOS, GOI.

Presently the position of two independent directors are vacant as no one has been appointed by the Administrative Ministry and the appointment of the independent directors on the Board are beyond the control of the company.

BRIEF INFORMATION OF THE NEWLY APPOINTED DIRECTORS -

Shri Rajib Bhattacharya (07091356) is appointed as Managing Director of the company vide order no: 11(1)/ 2015-BLA dated 05/02/2015.

Shri Deen Bandhu Singh, (DIN:03619886) –Director MOS, Govt. of India, Ministry of Steel has been nominated by Govt. of India, Ministry of Steel vide letter no: 1(1)/2014-BLA dated 22nd December, 2014 in place of Shri K. S. Samarendra Nath (DIN: 06892278), Director, MOS, GOI.

DIRECTORSHIP HELD BY THE DIRECTORS -

Shri Shailendra Krishna Tripathi (DIN:01016520) Chairman is Chairman and Managing Director of MSTC Limited and Shri Bam Bahadur Singh (DIN: 03212787) is working as Director commercial in MSTC Ltd.

REMUNERATION TO THE DIRECTORS -

Independent Directors are not entitled to any remuneration other than sitting fees. Sitting fees are not given to Chairman, Government Director and MSTC nominated Director.

REMUNERATION FOR MANAGING DIRECTOR -

The detailed terms and conditions of the appointment of Managing Director is as per the letter No: 11(1)/ 2015 dated 19th March,2015 of the Govt. of India, Ministry of Steel is attached as Annexure "A".

Board / Committee Meetings and procedure -

a) Scheduling and selection of Agenda items for Board / Committee Meetings -

- i) The Meetings are conveyed by giving appropriate notice after obtaining approval of the Chairman of the Board / Committee. Detailed agenda, management reports and other explanatory statements are circulated in advance amongst the members for facilitating meaningful, informed and focused decisions at the meetings. The Board also passes Resolution by circulation.



- 2) विभाग प्रमुख द्वारा कार्यावली कागजात तैयार किए जाते हैं जिन्हें प्रबंध निदेशक के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी सचिव द्वारा अनुमोदित कार्यावली कागजातों को निदेशक मंडल के सदस्यों के मध्य संचारित किया जाता है।
- 3) किसी विशेष परिस्थिति में निदेशक मंडल के अध्यक्ष की अनुमति से कार्यावली पर अतिरिक्त अथवा अनुपूरक विषय पर भी चर्चा की जाती है।

अनुपालन

प्रत्येक विभाग प्रमुख द्वारा प्रयोज्य विधान, नियम, दिशा-निर्देशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। कंपनी सचिव द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के यथा प्रयोज्य समस्त प्रावधानों तथा सवैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

निदेशक मंडल की बैठक एवं उपस्थिति-

निदेशक मंडल की चार बैठकें, क्रमशः दिनांक 10.06.2014, 30.09.2014, 04.12.2014 एवं 21.02.2015 को आयोजित की गई थीं। वित्तीय वर्ष 2014-2015 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति।

बोर्ड की बैठक का क्रमांक	बोर्ड की बैठक का दिनांक	श्री शैलेन्द्र कृष्ण त्रिपाठी (डी.आई.एन.01016520)	श्री राजीव भट्टाचार्य (डी.आई.एन.07091356) दिनांक 09.02.15 के प्रभाव से	श्री बम बहादुर सिंह (डी.आई.एन.03212787)	श्री के.एस.समरेन्द्रनाथ (डी.आई.एन.06892278) 22.12.14 तक	श्री दीनबंधु सिंह (डी.आई.एन.03619886) के प्रभाव से 22.12.14
152	10.06.2014	उपस्थित	-	उपस्थित	उपस्थित	-
153	30.09.2014	उपस्थित	-	-	उपस्थित	-
154	04.12.2014	उपस्थित	-	उपस्थित	उपस्थित	-
155	21.02.2015	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	-	उपस्थित

निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत सूचनाएँ:-

कंपनी के अंतर्गत सूचनाओं तक निदेशक मंडल की पहुंच है। निदेशक मंडल को निरंतर उपलब्ध कराए जाने वाली सूचनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- * वार्षिक संचालन योजना एवं बजट तथा कोई अद्यतनीकरण।
- * पूंजिगत बजट, राजस्व बजट एवं कोई अद्यतनीकरण
- * कंपनी का सामयिक भौतिकीय एवं वित्तीय निष्पादन
- * निदेशक मंडल समितियों का गठन/पुनर्गठन
- * निदेशकों की नियुक्ति, नामांकन में परिवर्तन एवं त्यागपत्र
- * लाभांश की घोषणा
- * लेखा नीतियों एवं आंतरिक नियंत्रणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन।
निदेशक मंडल एवं निदेशक मंडल की अन्य समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त
- * किए गए पूंजी निवेशों का सामयिक विवरण
- * निदेशकों द्वारा हित का प्रकटन
- * मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध यथा वेतन समझौता, अतिरिक्त संसाधन उपार्जन स्कीम आदि में कोई महत्वपूर्ण सुधार
- * विभिन्न न्यायालयों में लंबित वैधानिक प्रकरणों की सूचना
- * सर्विस टैक्स, व्हेट, आयकर जैसे राजस्व संबंधी कानूनों के अंतर्गत लंबित प्रकरणों की सूचना



- ii) The agenda papers are prepared by the concerned head of the Department and for obtaining approval submitted to the Managing Director. Duly approved agenda papers are circulated amongst the board members by the Company Secretary.
- iii) Under certain circumstances additional or supplementary item(s) on the agenda are taken up for discussion with the permission of the chair of the Board.

Compliances -

Every head of the Department ensures adherence to the provisions of applicable of laws, rules, guidelines etc. The Company Secretary ensures compliance of all applicable provisions of the Companies Act, 1956 & the Companies Act, 2013 as applicable and other statutory requirements.

BOARD MEETING & ATTENDANCE -

There were four Board Meetings took place on 10.06.2014, 30.09.2014, 04.12.2014 and 21.02.2015, respectively.

Details of the Directors attendance at the Board Meetings of the company held in the financial year 2014-2015.

Board Meeting No.	Board Meeting Date	Shri Shailendra Krishna Tripathi (DIN:01016520)	Shri Rajib Bhattacharya (DIN:07091356) W.e.f.09.02.2015	Shri Bam Bahadur Singh (DIN:03212787)	Shri K. S. Samarendra Nath (DIN:06892278) Upto 21/12/2014	Shri Deen Bandhu Singh (DIN 03619886 w.e.f. 22/12/2014)
152	10.06.2014	Attended	-	Attended	Attended	-
153	30.09.2014	Attended	-	-	Attended	-
154	04.12.2014	Attended	-	Attended	Attended	-
155	21.02.2015	Attended	Attended	Attended	-	Attended

Information placed before the Board of Directors-

The Board of Directors has complete access to information within the company. The information inter alia regularly supplied to the Board includes :

- Annual operating plans and Budgets and any updates.
- Capital Budget, Revenue Budget and any updates.
- Periodical physical and financial performance of the company.
- Formation / Reconstitution of Board Committees.
- Appointment, change in nomination and resignation of Directors.
- Dividend declaration.
- Significant changes in accounting policies and internal controls.
- Minutes of the Meeting of the Board and other Committees of the Board of the company.
- Periodical details of investment made.
- Disclosure of interest by Directors.
- Any Significant development in human Resources / Industrial Relations viz wage agreement, Additional Resource Generation Scheme.
- The information on legal cases pending in different courts.
- The information on pending cases under fiscal laws such as service tax, Vat, Income tax etc.



विगत तीन वर्षों के दौरान संपन्न सामान्य सभाएं-

क्र.सं.	दिनांक	समय	स्थान	विशेष-पारित संकल्प
1.	7 सितम्बर 2012	प्रातः:10.30 बजे	पंजीकृत कार्यालय, भिलाई (छ.ग.)	निरंक
2.	19 सितम्बर 2013	प्रातः:10.30 बजे	पंजीकृत कार्यालय, भिलाई (छ.ग.)	निरंक
3.	30सितम्बर 2014	प्रातः:10.00 बजे	पंजीकृत कार्यालय, भिलाई (छ.ग.)	निरंक

अध्यक्ष, जिनके पास कंपनी के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त दायित्व भी है, दिनांक 30 सितंबर 2014 को संपन्न 35वीं वार्षिक आम सभा में उपस्थिति थे।

निदेशक मंडल की समितियां-

कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या के संबंध में कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी लोक उद्यम विभाग की दिशा-निर्देशों की शर्तों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप लेखा परीक्षण समिति, पारिश्रमिक समिति एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समितियों की अध्यक्षता हेतु एक स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता तथा लोक उद्यम विभाग की दिशा-निर्देशों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाह संख्या की आवश्यकता की पूर्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कंपनी के निदेशक मंडल में सरकार द्वारा दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कर दी जाए।

आपकी कंपनी द्वारा रिक्तियों के बदले स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हेतु भारत सरकार से आग्रह किया जा रहा है, तथा निदेशकों की नियुक्ति कंपनी के नियंत्रण क्षेत्र से बाहर है।

निदेशक मंडल की 148 वीं बैठक में निदेशक मंडल का यह मत था कि मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में समय लग सकता है और इस बीच, निदेशक मंडल स्तर की समितियों द्वारा पूर्ववत रूप से निगरानी की वर्तमान प्रणाली जारी रखी जानी चाहिए तथा नई समिति का पुनर्गठन कालांतर में भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय द्वारा नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों के समायोजन से किया जाएगा। तदनुसार इन निदेशक मंडल स्तर की समितियों का गठन निदेशक मंडल द्वारा किया गया।

लेखा परीक्षण समिति-

लेखा परीक्षण समिति का गठन अध्यक्ष के रूप में श्री के.एस.समरेन्द्रनाथ (डीआईएन: 06892278) एवं सदस्य के रूप में श्री बी.बी.सिंह (डीआईएन: 03212787) के साथ किया गया था तथा कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में अपनी सेवा प्रदान करते हैं। सरकारी निदेशक के परिवर्तन की वजह से दिनांक 01.01.2015 को लेखा परीक्षण समिति का पुनर्गठन किया गया जिसमें श्री डी.बी.सिंह (डीआईएन: 03619886) को समिति का अध्यक्ष एवं श्री बी.बी.सिंह (डीआईएन: 03212787) को सदस्य के रूप में नामित किया गया तथा कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में सेवा प्रदान करते हैं।

समिति की संदर्भ शर्तें कार्पोरेट गवर्नेंस पर लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप हैं।

प्रतिवेदित वर्ष के दौरान लेखा परीक्षण समिति की तीन बैठकें आयोजित की गई थीं। सदस्यों की उपस्थिति का विवरण अघोषित है:-

क्र.सं.	बैठक क्रमांक	बैठक की तिथि	लेखा परीक्षण समिति के सदस्यों की संख्या	बैठक में उपस्थिति सदस्यों की संख्या
1	8	09/06/2014	2	2
2	9	20/11/2014	2	2
3	10	31/03/2015	2	2



GENERAL BODY MEETINGS: HELD DURING THE LAST THREE YEARS -

SL.NO.	DATE	TIME	VENUE	SPECIAL RESOLUTION PASSED
1.	7th September,2012	10.30 A.M.	Registered Office, Bhilai, CG	NIL
2.	19th September,2013	10.30 A.M.	Registered Office, Bhilai, CG	NIL
3.	30th September, 2014	10.00 A.M.	Registered Office, Bhilai, CG	NIL

Chairman holding additional charge of the post of Managing Director, FSNL was present in the 35th Annual General Meeting of the Company held on 30th September, 2014.

COMMITTEES OF THE BOARD -

The condition laid down under the DPE Guidelines on corporate Governance and the provisions of the Companies Act, 2013 regarding the number of independent directors on the Board of the company as well as requirement of the chairmanship of the Audit Committee, remuneration committee and CSR Committee who should be an independent director and the quorum requirement as per the DPE Guideline and the Companies Act, 2013 is not possible to fulfill till the appointments of two independent directors by Govt. on the Board of the company.

Your company is pursuing with the Government of India for appointment of independent directors against vacancies and the appointment of directors are beyond the control of the company.

However, the Board was of the view in their 148th Board Meeting that the appointment of independent director by the Ministry may take time, meanwhile the existing system of monitoring by the board level committee should continue to function in the same manner as before and fresh committee shall be reconstituted in due course of time by inducting independent director, appointed by the MOS, GOI." Accordingly these Board level committees were constituted by the Board.

Audit Committee -

Audit Committee was consisting of Shri K. S. Samarendra Nath (DIN:06892278) as its Chairman and Shri B.B.Singh (DIN :03212787) as its member and company secretary of the company serves as the secretary to the committee and with the change in the Govt. Director, Audit Committee was reconstituted on 01/ 01/ 2015 as Shri D.B.Singh (DIN:03619886) as its Chairman and Shri B.B.Singh (DIN :03212787) as its member and company secretary of the company serves as the secretary to the committee.

The terms of reference of the committee is in line with the DPE Guidelines issued on Corporate Governance.

During the year under report, 3 Meetings of the Audit Committee were held. The details of the attendance of the Members are indicated below:

Sl. No.	Meeting No.	Meeting Date	Strength of Audit Committee	No. of Members Present
1.	8	09.06.2014	2	2
2.	9	20.11.2014	2	2
3.	10	31.03.2015	2	2



उपरोक्त समिति तथा उसकी बैठकें, निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या तथा लेखा परीक्षण समिति की अध्यक्षता के संबंध में लोक उद्यम विभाग के दिशा निर्देशों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के मानदंडों की पूर्ति नहीं करती हैं।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निगरानी समिति:-

आपकी कंपनी रिक्त स्वतंत्र निदेशकों के पद पर नियुक्ति प्रदान के लिये कम्पनी भारत सरकार से सम्पर्क कर निरन्तर प्रयत्नशील है- चूंकि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कम्पनी के नियन्त्रण में नहीं है।

आपके निदेशक मंडल द्वारा स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पद को ध्यान में रखते हुए वर्तमान निदेशकों को चुन कर एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निगरानी समिति का गठन किया है। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निगरानी समिति का गठन अध्यक्ष के रूप में श्री के.एस.समरेन्द्रनाथ (डी आईएन:06892278) एवं सदस्य के रूप में श्री बी.बी.सिंह (डी आईएन:03212787) के साथ किया गया था तथा कम्पनी सचिव समिति के सचिव के रूप में अपनी सेवा प्रदान करते हैं। सरकारी निदेशक के परिवर्तन की वजह से दिनांक 01.01.2015 को निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निगरानी समिति का पुनर्गठन किया गया जिसमें श्री डी.बी.सिंह (डी आईएन:03619886) को समिति का अध्यक्ष एवं श्री बी.बी.सिंह (डी आईएन:03212787) को सदस्य के रूप में नामित किया गया तथा कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में सेवा प्रदान करते हैं।

प्रतिवेदित वर्ष के दौरान निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निगरानी समिति की दो बैठकें क्रमश 20.11.2014 तथा 31.03.2015 को आयोजित की गई थी।

क्र.सं.	बैठक संख्या क्रमांक	बैठक की तिथि	मानदेय/पारिश्रमिक समिति की संख्या	उपस्थिति सदस्यों की संख्या
1	6	20/11/2014	2	2
2	7	31/03/2015	2	2

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की अनुशंसा पर कंपनी की एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति (सीएसआर नीति) अपनाई गई है।

कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति कंपनी की वेबसाइट www.fsnl.nic.in पर उपलब्ध है।

समिति की संदर्भ शर्तें लोक उद्यम विभाग द्वारा कार्पोरेट गवर्नेंस पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं।

पारिश्रमिक समिति-

पारिश्रमिक समिति का गठन श्री के.एस.समरेन्द्रनाथ (डी.आई.एन.06892278) की अध्यक्षता में तथा श्री.बी.बी.सिंह (डी.आई.एन.03212787) को समिति का सदस्य बनाया गया तथा कम्पनी सचिव को समिति का सचिव नियुक्त किया गया है।

सरकारी निदेशक के परिवर्तन की वजह से दिनांक 01.01.2015 को पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया जिसमें श्री डी.बी.सिंह (डी आईएन:03619886) को समिति का अध्यक्ष एवं श्री बी.बी.सिंह (डी आईएन:03212787) को सदस्य के रूप में नामित किया गया तथा कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में सेवा प्रदान करते हैं।

प्रतिवेदित वर्ष के दौरान पारिश्रमिक समिति की केवल एक बैठक दिनांक 31.03.2015 को संपन्न हुई थी।

क्र.सं.	बैठक क्रमांक	बैठक की तिथि	मानदेय/पारिश्रमिक समिति में सदस्यों की संख्या	बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या
1	4	31/03/2015	2	2

उपरोक्त समिति तथा उसकी बैठकें, निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या तथा पारिश्रमिक समिति की अध्यक्षता के संबंध में लोक उद्यम विभाग के दिशा निर्देशों एवं कंपनी अधिनियम 2013 के मानदंडों की पूर्ति नहीं करती हैं।

लेखा मानदंडों का अनुपालन

वित्तीय विवरणों भारत के सनदी लेखाकार संस्थान के प्रयोज्य लेखा मानदंडों के अनुरूप बनाए गए हैं।

आंतरिक नियंत्रण

कंपनी के व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कंपनी में एक कुशल आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय प्रतिवेदन की परिशुद्धता एवं तत्परता, संचालन की कुशलता, विहित नीतियों एवं प्रणालियों का अनुपालन, एवं कानून व नियमनों का अनुपालन भी शामिल हैं।



The above committee and its meetings does not satisfy the criteria laid down under the DPE Guidelines and the provisions of the Companies Act, 2013 regarding the number of independent directors on the Board of the company as well as requirement of the chairmanship of the Audit Committee.

CSR Monitoring Committee -

Your company is pursuing with the Government of India for appointment of independent directors against vacancies and the appointment of directors are beyond the control of the company.

Your Board has constituted a Corporate Social Responsibility Monitoring Committee in the absence of the independent directors with the existing directors. The CSR Monitoring Committee was consisting of Shri K. S. Samarendra Nath (DIN : 06892278) as its Chairman and Shri B. B. Singh (DIN :03212787) as its member and company secretary of the company serves as the secretary to the committee and with the change in the Govt. Director, CSR Monitoring Committee was reconstituted on 01/ 01/ 2015 as Shri D.B.Singh (DIN:03619886) as its Chairman and Shri B.B.Singh (DIN :03212787) as its member and company secretary of the company serves as the secretary to the committee.

During the year under report, 2 Meetings of the CSR Monitoring Committee were held on 20.11.2014 and 31.03.2015 respectively.

Sl. No.	Meeting No.	Meeting Date	Strength of Remuneration Committee	No. of Members Present
1.	6	20.11.2014	2	2
2.	7	31.03.2015	2	2

Based on the recommendation of the CSR Committee a Corporate Social Responsibility Policy (CSR Policy) of the Company has been adopted.

The CSR Policy of the company is available on the website of the company at www.fsnl.nic.in.

The terms of reference of the committee is in line with the DPE Guidelines issued on Corporate Governance.

Remuneration Committee -

The remuneration committee was consisting of Shri K. S. Samarendra Nath (DIN:06892278) as its Chairman and Shri B.B.Singh (DIN :03212787) as its member and company secretary of the company serves as the secretary to the committee and with the change in the Govt. Director, the Remuneration Committee was reconstituted on 01/01/2015 as Shri D. B. Singh (DIN:03619886) as its Chairman and Shri B.B.Singh (DIN :03212787) as its member and company secretary of the company serves as the secretary to the committee.

During the year under report, only one Meeting of the Remuneration Committee was held on 31.03.2015

Sl. No.	Meeting No.	Meeting Date	Strength of Remuneration Committee	No. of Members Present
1.	4	31.03.2015	2	2

The above committee and its meeting does not satisfy the criteria laid down under the DPE Guidelines regarding the number of independent directors on the Board of the company as well as requirement of the chairmanship of the remuneration committee.

Compliance with Accounting Standards -

Financial statements have been prepared in accordance with relevant Accounting Standard issued by the institute of Chartered Accountants of India.

INTERNAL CONTROL -

The company has an efficient system of internal control for achieving the business objective of the company which inter-alia includes accuracy and promptness of financial reporting, efficiency of operations, Compliance with the laid down policies and procedures and compliances with law and regulations.



आंतरिक नियंत्रण एवं रीति में प्रबल पारदर्शिता अपनाते हुए आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य स्वतंत्र बाह्य सनदी लेखाकार संस्था को सौंपा जाता है। समय-समय पर आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रतिवेदनों को प्रबंधन की जानकारी, यथोचित सुधार एवं आवश्यक प्रतिकारक उपाय हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

आचरण संहिता

कार्पोरेट गवर्नेंस पर लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों, वरिष्ठ प्रबंधकीय अधिकारियों के लिए कंपनी द्वारा एक व्यापक प्रतिदर्श व्यावसायिक आचरण एवं आचारनीति संहिता बनाई गई है। ये संहिता कंपनी के समस्त निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों के मध्य संचारित की जाती है। आचरण संहिता कंपनी के वेबसाइट www.fsnl.nic.in पर उपलब्ध है। निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं प्रबंधन के नियुक्त वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आचरण संहिता के अनुपालन की संपुष्टि की गई है। प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित तत्संबंधी घोषणा इस प्रतिवेदन के अंत में दिया गया है।

उद्यम एवं संरचना : प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन

ज्ञातव्य है कि भारत में स्क्रैप प्रक्रमण उद्यम की पहल कई वर्षों पूर्व 1956 में की गई थी जब तत्कालीन 'टिस्को' के प्रबंध निदेशक द्वारा अमेरिका के मेसर्स हेकेट इंजिनियरिंग कंपनी, यूएसए (हार्सको कार्पोरेशन, यूएसए की एक शाखा) से संपर्क किया गया था, जिसे विश्व में स्क्रैप प्रक्रमण तकनीक का प्रवर्तक माना जाता है। फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड की पूर्ववर्ती संस्था मेसर्स हेकेट इंजिनियरिंग कंपनी (यूएसए) द्वारा वर्ष 1957 में टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी (तत्कालीन टिस्को-जमशेदपुर) में यांत्रिकीय स्क्रैप प्रक्रमण संचालन प्रारम्भ किया गया था। तत्पश्चात्, वर्ष 1962 में राउरकेला इस्पात संयंत्र एवं 1964 में इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी-बर्नपुर द्वारा भी स्क्रैप प्रक्रमण हेतु इसकी सेवाओं को प्रयुक्त किया गया।

अमेरिकी संस्थान की भारतीय शाखा के रूप में मेसर्स हेकेट इंजिनियरिंग कंपनी (यूएसए) द्वारा भारत में संचालन किया जा रहा था। विदेशी विनिमय नियंत्रण अधिनियम, 1974 के प्रवर्तन से मेसर्स हेकेट इंजिनियरिंग कंपनी (यूएसए) को या तो अपना कारोबार समेटना था, या एक भारतीय संस्थान को साझेदार बनाना था जो बहुमत अंशधारक होती। इसी समय, इस्पात संयंत्रों द्वारा भारत में इस संस्थान की सेवाओं की निरंतरता इस्पात उद्योग के लिए लाभकारी मानी गई। एक नये संस्थान का बनाया जाना ही इसका विकल्प था।

भारत सरकार की इच्छा थी कि मेसर्स हेकेट इंजिनियरिंग कंपनी, यूएसए के संचालन का राष्ट्रीयकरण हो। तदनुसार, एमएसटीसी लिमिटेड (तत्कालीन मेटल स्क्रैप ट्रेड कार्पोरेशन लिमिटेड) जो उस समय स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड की सहायिका संस्थान थी, को इस निर्णयन पर कार्य प्रारम्भ करने को कहा गया। एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा गहन अध्ययन करने के उपरांत इस कार्य के संचालन हेतु एक स्वतंत्र कंपनी के निर्माण करने की संस्तुति दी गई और इस तरह 28 मार्च 1979 को मेसर्स हार्सको इन्कार्पोरेशन, यूएसए के सहयोग के साथ फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड अस्तित्व में आई।

मेसर्स हेकेट इंजिनियरिंग कंपनी की समस्त स्क्रैप प्रक्रमण तकनीक, उपकरण एवं सेवारत कार्मिकों की सेवाओं को एफएसएनएल को स्थानांतरित कर दिया गया, जिसमें 60 प्रतिशत अंश एमएसटीसी लिमिटेड के पास एवं बाकी 40 प्रतिशत अंश मेसर्स हेकेट इंजिनियरिंग कंपनी, यूएसए के पास था। प्रारम्भ में एफएसएनएल, स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड की सहायिका संस्थान थी एवं तत्पश्चात् एमएसटीसी लिमिटेड के साथ ही वर्ष 1982 को 'सेल' से अलग हुई। वर्ष 2002 में हार्सको कार्पोरेशन द्वारा अपने 40 प्रतिशत अंश को एमएसटीसी लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया गया, और इस तरह, एफएसएनएल, एमएसटीसी लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्थान बन गई।

एफएसएनएल को अतिरिक्त कार्य

सार्वजनिक क्षेत्र के सभी एकीकृत इस्पात संयंत्रों में स्क्रैप प्रक्रमण के कार्य हेतु एफएसएनएल का सृजन हुआ था। स्क्रैप प्रक्रमण का कार्य 1983 से भिलाई इस्पात संयंत्र में, 1984 से बोकारो इस्पात संयंत्र में, 1990 से विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र में तथा 1991 से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में प्रारम्भ किया गया था।

इस्पात मंत्रालय में दिनांक 21.12.1990 एवं 08.05.1991 को संपन्न बैठकों में यह तय किया गया था कि 30.06.1991 तक समस्त एकीकृत इस्पात संयंत्रों में स्क्रैप प्रक्रमण का कार्य निजी संस्थाओं के स्थान पर एफएसएनएल को सौंप दिया जाए। तदनुसार, चरणबद्ध तरीके से एफएसएनएल द्वारा सेल इस्पात संयंत्रों में संपूर्ण स्क्रैप प्रक्रमण का कार्य प्राप्त कर लिया गया। विभिन्न संयंत्रों में स्क्रैप प्रक्रमण का कार्य लेते समय एफएसएनएल द्वारा वृहत सुविधाओं जैसे संयंत्र एवं उपकरण, मशीन आदि पर बड़े पैमाने पर निवेश किया गया, एवं कार्य संचालन हेतु बड़ी संख्या में मानव संसाधन की नियुक्ति की गई। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में निजी संस्थानों के 165 कर्मचारियों को भी एफएसएनएल के स्थाई श्रमिकों के रूप में समाहित करना पड़ा।

निर्णयन के एक वर्ष के भीतर ही एफएसएनएल द्वारा मौजूदा उगाही (करेंट एराइजिंग), ढेर (डम्प) आदि के साथ-साथ स्क्रैप प्रक्रमण से संबंधित संपूर्ण कार्य ले लिया गया था, जो अभी तक जारी है।



To ensure independence to the internal audit function emphasizing transparency in the systems and internal controls, the internal audit of the company is entrusted to independent external firms of Chartered Accountants. The reports of internal audit are periodically submitted to the management for appraisal, improvement and remedial measures, if any

CODE OF CONDUCT -

The company has designed a comprehensive model code of Business Conduct and Ethics for Board Members and Senior Management personnel of the company in accordance with the Guidelines on Corporate Governance by DPE. The code is circulated to all the directors and members in the senior management of the company. The code of conduct is available on the website of the company www.fsnl.nic.in. All Board members and designated senior management personnel have affirmed compliance with the Code of Conduct. A declaration to this effect signed by the managing Director is given at the end of this report.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT : INDUSTRY & STRUCTURE -

It is learnt that the beginning of the scrap processing industry in India can be traced back to 1956 when the Managing Director of the then TISCO contacted M/s Heckett Engineering Company, USA, (a division of Harsco Corporation, (USA), which is considered the pioneer in Scrap Recovery Technology in the world. The predecessor of Ferro Scrap Nigam Ltd, M/s Heckett Engineering Company (USA) started its operation in 1957 in India at Tata Iron & Steel Company Limited (then TISCO, Jamshedpur) for mechanized scrap recovery. Subsequently, in the year 1962, Rourkela Steel Plant and in 1964, the Indian Iron & Steel Company, Burnpur also employed their services for scrap recovery.

M/s Heckett Engineering Company (USA) operated in India as the Indian Branch of the American Company. Pursuant to the promulgation of Foreign Exchange Regulation Act, 1974, M/s Heckett Engineering Company (USA) either had to wind up its operations or had to acquire an Indian partner who would take a majority stake. At the same time continuance of their operations in India was considered to be beneficial to the steel plants. The solution was to form a new Company.

The Government of India desired that the operation of M/s Heckett Engineering Company, USA should be nationalised. Consequently, MSTC Ltd (the erstwhile Metal Scrap Trade Corporation Ltd.,) then a subsidiary of SAIL was advised to begin work on this decision. MSTC Ltd., after undertaking a comprehensive study recommended the formulation of an independent company for this purpose and thus on the 28th of March, 1979, Ferro Scrap Nigam Limited in collaboration with M/s Harsco Inc., USA came into existence.

The entire mechanized scrap recovery process technology of M/s Heckett Engineering Company as well as the equipments and services of the operating personnel were transferred to FSNL, with 60% share holding by MSTC Ltd., and the remaining 40% share holding by M/s Harsco Corporation, USA. Initially, FSNL was a subsidiary of SAIL and delinked from SAIL alongwith MSTC Ltd., in 1982. In the year 2002, M/s Harsco Corporation transferred their 40 % share holding to MSTC Ltd., thus FSNL became a wholly owned subsidiary of MSTC Ltd.

Award of additional work to FSNL-

FSNL was formed with a view to recover and process scrap in all the public sector integrated steel plants. The scrap recovery & processing jobs started in Bhilai Steel Plant in 1983, at Bokaro Steel Plant in 1984, at Visakhapatnam Steel Plant in 1990 and at Durgapur Steel Plant in 1991.

In the meeting held at Ministry of steel on 21/12/1990 & 8/5/1991 it was decided that all the scrap recovery operations in the integrated steel plants should be handed over to FSNL by 30.06.1991 replacing the existing private contractors. Accordingly, FSNL acted in a phased manner and took over total scrap recovery operations at SAIL Plants. In the process of taking over of scrap recovery at various plants, FSNL made huge investments for installing large facilities like Plant & Equipment, Machinery and recruited large workforce required for the above operations. At Durgapur Steel Plant a workforce of 165 people of private contractors were also absorbed in FSNL rolls.

Within a year's time of the decision taken, FSNL was able to take over all the jobs relating to recovery of scrap including recovery from current arisings and from dumps and is continuing till date.



वर्तमान क्रियाकलाप-

कंपनी द्वारा राउरकेला, बर्नपुर, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, विशाखापट्टणम, डुबुरी, बीएचईएल-हरिद्वार, रेल-व्हील फैक्ट्री-बंगलूरु एवं सेल-व्हीआईएसपी भद्रावती आदि में धातुमल (स्लैग) व परित्यक्त ढेर (रेफ्यूस डम्प्स) में से स्क्रेप उगाही एवं प्रक्रमण का कार्य लिया जाता है। प्रक्रमित स्क्रेप को पुनश्चक्रण/निष्कासन हेतु इस्पात संयंत्रों को वापस लौटा दिया जाता है एवं इस कार्य के लिए प्रक्रमित मात्रा के आधार पर स्क्रेप की श्रेणी के अनुसार विविध दरों पर प्रक्रमण शुल्क अदा की जाती है। कंपनी द्वारा स्टील मिल सेवाएं जैसे धातुमल प्रक्रमण, छलावरण (स्क्रीनिंग), कोक छलावरण (कोक स्क्रीनिंग), स्लैब स्क्रीनिंग आदि सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं तथा एमएसटीसी के ग्राहकों के लिए अभिरक्षण एवं मालगोदाम का कार्य भी निष्पादित किया जा रहा है (देशभर में 24 स्थलों पर व्यवस्थित)।

पुनश्चक्रण के लाभ-

पिछले कुछ दशकों में वैश्विक संसाधनों में आई क्षीणता को देखा जा सकता है। इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि वर्तमान में प्रत्येक विकसित एवं विकासशील देश का मूलमंत्र संरक्षण ही है। एफएसएनएल द्वारा अपने चयनित क्षेत्र लौह स्क्रेप प्रक्रमण में इस ओर अपना अल्प योगदान प्रदान किया जा रहा है, अर्थात्, लौह एवं इस्पात बनाने की प्रक्रिया में निकलने वाले मलबे एवं अवशेष, जो व्यर्थ पदार्थ माने जाते थे, उनमें से लौह धातुओं का प्रक्रमण की प्रक्रिया। एक ऐसा प्रयास जिससे देश में वार्षिक तौर पर स्क्रेप आयात में तुलनात्मक बचत करते हुए लाखों रुपये मूल्य के धातुओं का पुनश्चक्रण किया जा सका है। कालांतर में यह सिद्ध हुआ कि इस्पात उत्पादन में लौह स्क्रेप के प्रयोग से उर्जा, प्राकृतिक संसाधन (लौह अयस्क, कोयला एवं चूना पत्थर) जल आदि की काफी मात्रा में बचत के साथ-साथ, जल, वायु आदि के प्रदूषणों तथा खदान अपव्ययों में कमी होती है (तालिका देखें)।

धातु पुनश्चक्रण से पर्यावरिक लाभ-

प्राकृतिक अयस्क के स्थान पर पुनश्चक्रित पदार्थों का उपयोग करने से होने वाली हुई उर्जा की बचत	1 टन इस्पात के पुनश्चक्रण से होने वाली बचत	1 टन एल्यूमीनियम के पुनश्चक्रण से होने वाली बचत	स्क्रेप के उपयोग से कार्बन डाईआक्साईड (CO2) के उत्सर्जन में कमी
लौह एवं इस्पात स्क्रेप के लिए 74%	लौह अयस्क 1.2 टन	बॉक्साईट अयस्क 8 टन	लौह एवं इस्पात के लिए 58%
एल्यूमीनियम स्क्रेप 95%	कोल 0.7 टन	विद्युत 14 मेगावाट घंटे	एल्यूमीनियम स्क्रेप 92%
कॉपर स्क्रेप 85%	चूना पत्थर 0.5 टन		कापर स्क्रेप 65%

लौह अयस्कों के द्वारा परंपरागत विधि से इस्पात उत्पादन के दौरान होने वाले कार्बन डाईआक्साईड के उत्सर्जन को रोकते हुए इस्पात संयंत्रों द्वारा स्क्रेप व स्लैग के पुनश्चक्रण के माध्यम से भूमि के वातावरण को संरक्षित किया जा रहा है। चूंकि 'कार्बन क्रेडिट' अब एक उत्पाद बन चुका है, एवं इसका आर्थिक लाभ लिया जा सकता है, एफएसएनएल द्वारा पुनश्चक्रित/प्रक्रमित/परिपूरित स्क्रेप एव धातुमल के एवज में इस्पात संयंत्रों के द्वारा कार्बन क्रेडिट स्वरूप काफी अधिक धनराशि कमाई जा सकती है।

इस्पात संयंत्रों को अस्पृश्य लाभ

इस्पात संयंत्रों द्वारा खुले बाजार में खरीद/आयात के स्थान पर, एफएसएनएल द्वारा उगाहित/प्रतिरक्षित/प्रक्रमित पदार्थों (स्क्रेप व स्लैग) का उपभोग कर प्रतिवर्ष अपनी लागत में काफी अधिक बचत की जा रही है, जो इस्पात संयंत्रों के आधार रेखा का प्रमुख सहयोगी है, जैसा कि निम्न तालिका से परिलक्षित हैं:-



Present Activities -

The Company undertakes the recovery and processing of scrap from slag and refuse dumps in the steel plants at Rourkela, Burnpur, Bhilai, Bokaro, Durgapur, Visakhapatnam, Duburi, BHEL-Haridwar, Rail Wheel Factory- Bengaluru & SAIL-VISP, Bhadravati. The scrap recovered is returned to the steel plants for recycling/disposal and the company is paid processing charges on the quantity recovered at varying rates depending on the category of scrap. The Company is also providing Steel Mill Services such as slag processing, screening, coke screening, scarfing of Slabs and also undertakes Custodian & Warehousing services to customers of MSTC (managing 24 sites across the country).

Benefits of recycling -

One has only to look back a few decades to see the depletion that has overcome the world's resources today. No wonder, conservation is the chant of every developed and developing country in the present, FSNL is contributing its mite towards this end in its chosen field of ferrous scrap recovery. A process that reclaims ferrous metallic from muck and debris arising from iron and steel making process, which was hitherto considered waste. An effort that gains millions of rupees worth of metallics recycled annually for the country compared to import of scrap. Over a period of time, it has been established that usage of ferrous scrap to produce steel leads to considerable savings in energy, natural resources (Iron ore, coking coal & limestone), water, reduction in water pollution, air pollution and mining wastes. [Refer Table]

Environmental Benefits of Metals Recycling -

Energy saved using recycled material versus Virgin Ore	Recycling 1 Tonne of Steel Saves	Recycling 1 Tonne of Aluminium saves	Reduction of CO2 Emissions by using scrap
74% for Iron and Steel Scrap	1.2 Tonnes of Iron Ore	8 Tonnes of Bauxite Ore	58% for Iron and Steel Scrap
95% for Aluminium scrap	0.7 Tonnes of Coal	14 Megawatt Hours of Electricity	92% for Aluminium Scrap
85% for Copper Scrap	0.5 Tonnes of Limestone		65% for Copper Scrap

With the recycling of Scrap & Slag, Steel Plants are protecting the earth's atmosphere by not generating carbon dioxide for production of equivalent amount of steel from ore by traditional process. Since the Carbon Credit has now turned into a product and monetary benefit can be drawn, Steel Plants may earn handsome amount of Carbon Credit for the Scrap and Slag being recycled, recovered / supplied by FSNL.

Intangible Benefit to Steel Plants -

Every year Steel Plants are saving considerable amount towards their input cost by consuming the recovered/salvaged processed materials (scrap & slag) by FSNL instead of buying from open market/import which is a major contributor to the bottom line of Steel Plants as shown in the table given below:-



(करोड़ रुपयों में)

क्रम	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	धात्विक उगाही से	5576.49	5972.70	4882.68	6620.10	6279.97	6449.39
2.	एलडी स्लैग के पुनश्चक्रण से चूना -पत्थर में बचत	115.81	112.27	132.32	107.29	118.43	119.34
	योग	5692.30	6084.97	5015.00	6727.39	6398.40	6568.73

एफएसएनएल की शक्ति

भारत सरकार द्वारा कंपनी को 'मिनि रत्न श्रेणी-II' प्रदान किया गया।

संयंत्र एवं मशीनें, जैसे मैग्नेटिक सेपरेटर, एफई-एनरिचमेंट, ग्राईडिंग एण्ड स्क्रीनिंग प्लांट आदि ग्राहक इस्पात संयंत्रों के विशिष्ट आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए कार्यान्वयन, स्वतः अभिकल्पित, एवं एफएसएनएल द्वारा स्वनिर्मित हैं। अन्य भूमिगत भारी उपकरणों को मूल उपकरण निर्माताओं से खरीदा जाता है।

एफएसएनएल द्वारा इस्पात संयंत्रों में अनवरत हॉट स्लैग पिट मैनेजमेंट का चुनौतीपूर्ण कार्य स्वीकार किया गया है जो इतना नाजुक कार्य है कि सेवा में एक छोटे से विचलन से भी इस्पात संयंत्र के उत्पादन रेखा को भारी प्रतिकूल परिणाम भुगतना पड़ सकता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारी निवेश एवं जोखिम होने की वजह से अन्य संस्थाएं इस कार्य को लेने का साहस नहीं जुटा पाती है, किन्तु एफएसएनएल द्वारा इस कार्य को अपने ग्राहक इस्पात संयंत्रों की संपूर्ण संतुष्टि के साथ संपन्न किया जा रहा है।

एफएसएनएल की एक विश्वस्तरीय वंशानुगत तकनीक है, देशभर में इसके संयंत्र हैं, अच्छी कार्य संस्कृतियुक्त अनुशासित एवं कुशल मानव संसाधन है, स्वयं की भारी भूमिगत उपकरणों की एक विशाल बेड़ा, संयंत्र एवं मूलभूत सुविधाएं हैं, उच्चतम बाजार अंश है, एक लोक उद्यम होने की वजह से इसे नियामक/शासकीय निकायों का विश्वास प्राप्त है, और अंतिम किन्तु प्रभावकारी यह कि इसके पास 50 वर्ष से अधिक का अनुभव है।

कमजोरियां

सीमित व्यवसाय-मुख्यतः स्क्रेप एवं स्लैग प्रक्रमण ग्राहकों की आवश्यकताओं पर प्रतिक्रिया हेतु अधिक समयावधि। लोक उद्यम होने की वजह से ग्राहकों की आवश्यकताओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के पूर्व कंपनी को विभिन्न औपचारिक संहिताओं को पूर्ण करना होता है। लोक उद्यम के निर्धारित उच्च पारिश्रमिकों की वजह से संचालन लागत अधिक

एकीकृत प्रबंधन प्रणाली

एफएसएनएल द्वारा वर्ष 2011 से अपने निगमन कार्यालय के साथ-साथ समस्त इकाईयों में भी एकीकृत प्रबंधन प्रणाली आईएसओ 9001:2008, 14001-2004 एवं ओएचएसएस 18001:2007 लागू की जा चुकी है।

निष्पादन

हाल ही में समाप्त वित्तीय वर्ष 2014-15 में समग्र उपलब्धियां उल्लेखनीय रहीं। इस वर्ष एफएसएनएल द्वारा अधिक सर्वाधिक प्रति कर्मी उत्पादकता प्राप्त की गई। फेरस स्क्रेप की उगाही 23,05,115 मेट्रिक टन रही तथा स्लैग चालन एवं प्रक्रमण 59,67,220 मेट्रिक टन पर पहुंची, जो प्रारम्भ से अब तक का कीर्तिमान है। वित्तीय परिमाणों के तहत भी विगत वर्षों की तुलना में निष्पादन उल्लेखनीय रहा एवं वर्ष 2014-15 के लिए समझौता ज्ञापन की श्रेणी 'उत्कृष्ट' होने के आसार हैं। साथ ही, कंपनी द्वारा मितव्ययिता उपायों के जरिए ₹ 94.37 लाख की बचत दर्ज की गई।



(₹ in crores)

Sl No	Description	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	From recovery of Metallics	5576.49	5972.70	4882.68	6620.10	6279.97	6449.39
2.	Savings in Lime Stone due to Recycling of LDSlag	115.81	112.27	132.32	107.29	118.43	119.34
	Total	5692.30	6084.97	5015.00	6727.39	6398.40	6568.73

Strength of FSNL -

The Company was awarded 'Mini-Ratna Category II' by the Government of India.

It is to mention that plant & machinery such as Magnetic Separator, Fe-enrichment, Grinding & Screening Plant are tailor made, inhouse designed & manufactured by FSNL to meet the specific requirement of the customer steel plants. Other Heavy Earthmoving Equipments (HEMs) are procured from Original Equipment Manufacturers (OEMs).

FSNL has undertaken the challenging activity of hot slag pit management round the clock in the Steel Plants which is so critical that even a minor deviation in services will result in serious adverse consequences in Steel Plant's line of production. It is an area where any other agencies can dare to venture due to the requirement of high level of investment and risk, which FSNL is performing to the full satisfaction of its customer steel plants.

FSNL inherited a World class technology, having plants across the country, a large disciplined & skilled workforce with good work culture, owning a large fleet of Heavy Earth Moving Equipments, Plants & infrastructures, highest market share, trust of regulatory / statutory body being a PSU company and last but not the least FSNL is backed by more than 50 years of experience.

Weakness -

- Single line of business - mainly scrap and slag processing.
- High response time to meet customers requirement. Being a public sector, the company is required to comply with various codal formalities before responding to customer's requirement.
- High cost of operation due to high wages of PSU.

Integrated Management System -

FSNL implemented Integrated Management System - ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007, in the year 2011 at its Corporate Office as well as all Units.

Performance -

During the just concluded financial year 2014-15, the overall achievement has been remarkable. FSNL could also achieve increased productivity per employee considerably in the year. Recovery of Ferrous Scrap has been 23,05,115 M.T. and handling & processing of Slag has reached 59,67,220 M.T. which is a record since inception. Even under financial parameters, the performance has been remarkable compared to earlier years and the likely MOU rating shall be 'Excellent' for the year 2014-15. Further, the Company could effect savings of ₹ 94.37 lakhs by undertaking austerity measures.



दृष्टिकोण

एफएसएनएल का यह दृढ़ विश्वास है कि महामहिम प्रधान मंत्री द्वारा प्रारम्भ किए गए 'भारत में निर्माण करें' की परिकल्पना भारतीय लोक उद्यमों को शक्ति प्रदान करेगी एवं आपसी विश्वास एवं सहयोग से निकट भविष्य में लोक उद्यम जगत को एक सुदृढ़ शक्ति माना जाएगा। एफएसएनएल अपने क्षितिज का विकास करते हुए अन्य क्षेत्रों के लोक उद्यमों के साथ मिल कर कार्य करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

सुअवसर-भावी मानचित्र

जहां तक एफएसएनएल के भावी मानचित्र का प्रश्न है, इस्पात संयंत्रों के विस्तारीकरण की वजह से स्क्रैप की आवश्यकता बढ़ने के आसार हैं जिसे एफएसएनएल एक सुअवसर के रूप में देखती है, और आने वाले वर्षों में इस्पात संयंत्रों से मिलने वाले अतिरिक्त कार्यों को संपन्न करने के लिए वह पूरी तरह तैयार है। चरणबद्ध क्रम में वर्तमान उपस्करों की बेड़ा में अनुवृद्धि/परिवर्तन/प्रतिस्थापन आदि के जरिए इनकी दुरुस्ती/पुनर्निर्माण तथा अतिरिक्त प्रक्रमण सुविधा आदि की योजना एफएसएनएल द्वारा निर्वहित की जा रही है ताकि लागत में कमी एवं उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ कुशलता में भी संवर्धन हो सके। एफएसएनएल द्वारा खदानों (कोल, अयस्क आदि) में ओवरबर्दन रिमूवल, एयर इण्डिया में स्क्रैप प्रबंधन, सेलम इस्पात संयंत्र में जंगरोधी इस्पात स्लैग से जंगरोधी स्क्रैप निष्कासन तथा अलोह धातुओं के प्रक्रमण आदि क्षेत्रों में व्यवसाय प्राप्ति की संभावनाएं तलाश की जा रही है।

चुनौतियां (भय)

इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण से एक विकसित तकनीक प्रचलित हुई है जिसमें स्क्रैप निकासी कम होती है।

स्क्रैप उगाही, प्रक्रमण एवं प्रचालन के क्षेत्र में नये संस्थाओं, खासकर निजी संस्थाओं का प्रवेश

जोखिम एवं चिन्ताएं

1. इस्पात निर्माण तकनीक के आधुनिकीकरण एवं संचालनीय अनुशासन की वजह से स्क्रैप की मात्रा में कमी, एफएसएनएल के लिए चिन्ता का विषय है।
2. एकल व्यवसाय एवं एफएसएनएल का निष्पादन इस्पात उद्योग के घटना चक्र से सीधे तौर पर संबद्ध होना।

खण्ड प्रतिवेदन

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा भारत में स्थित विभिन्न इस्पात संयंत्रों में स्क्रैप प्रक्रमण एवं संबद्ध कार्य का व्यवसाय किया गया, जो लिखा मानक एस-17 के अनुसार प्रतिवेदनपरक व्यवसाय खण्ड के तहत आता है। स्क्रैप प्रक्रमण एवं संबद्ध कार्य के अलावा कंपनी द्वारा मालगोदाम प्रबंधन का कार्य भी किया गया है, किन्तु चूंकि इस सेवा से अर्जित राजस्व कुल राजस्व के 10 प्रतिशत से कम है, यह प्रतिवेदनपरक खण्ड में नहीं आता है। भौगोलिक खण्डकरण प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि भारत के बाहर कंपनी का कोई कारोबार नहीं है।

खण्ड अभिनिर्धारण

कंपनी के संचालित कारोबार, उत्पाद एवं निष्पादित सेवाओं की प्रकृति के अनुसार पृथक रूप से व्यवस्थित हैं, जिसका प्रत्येक खण्ड एक सामरिक व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करता है जिसके विभिन्न उत्पाद होते हैं और जो विभिन्न बाजारों में सेवा प्रदान करते हैं। भौगोलिक खण्ड की विवेचना उन क्षेत्रों पर निर्भर करती है जहां कंपनी के प्रमुख संचालित खण्ड कार्यरत हैं।

अंतरखण्ड स्थानांतरण

कंपनी द्वारा सामान्यतः अंतरखण्ड विक्रय एवं स्थानांतरण का हिसाब यह मानते हुए किया जाता है, कि विक्रय अथवा स्थानांतरण तृतीय पक्ष को वर्तमान बाजार दरों पर किया गया है।

अनाबंटित मद

निगमित एवं अन्य खण्डों में सामान्य निगमित आय एवं व्ययों के ऐसे मद शामिल होते हैं, जो किसी भी व्यावसायिक खण्ड को आबंटित नहीं होते हैं।

संचालनीय निष्पादन के संदर्भ में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

कंपनी का कुल अर्जन रु.27578.38 लाख था जिसमें सेवा शुल्क रु.26410.45 लाख भी शामिल है, जो गत वर्ष क्रमशः रु.23,787.67 लाख एवं रु.22,414.43 लाख थी। उत्पादन लागत में पिछले वर्ष की तुलना में 11.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। खर्चों में वृद्धि को मूलतः कर्मचारियों के वेतन में सामान्य वृद्धि एवं गैर-कार्यपालक वर्ग के कर्मचारियों के वेतन-वृद्धि हेतु प्रावधान, उत्तर-सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ तथा अवकाश वेतन आदि के संबंध में अनिधिबद्ध प्रावधानों के जीवनांकिक मूल्यांकन पर छूट में कमी, आदि की परिणती मानी जा सकती है। वर्ष के दौरान रु.136.85 लाख के विविध खर्च में काफी बचत हुई।



Outlook -

FSNL firmly believes that the vision of 'Make in India' launched by our Hon'ble Prime Minister will strengthen the Indian PSUs and with mutual trust and cooperation, the PSU fraternity will become a force to reckon with in the near future. FSNL is fully poised to work with PSUs in other sectors and expand its horizons.

Opportunity -Future road map

As far as future road map of FSNL is concerned, due to expansion activities of the Steel Plants, the requirement of scrap is expected to increase and FSNL looks up to this as an opportunity and it is fully geared up to take up these additional jobs of the Steel Plants in the years ahead. FSNL is executing out its plan to revamp/replace the existing fleet of equipment under Addition / Modification / Replacement in a phased manner to achieve cost reduction and increase productivity as well as efficiency. FSNL is exploring the possibilities for acquiring the business in areas viz., Overburden removal at Mines (Coal, Ore etc.), Scrap Management at Air India, Recovery of stainless steel scrap from stainless steel slag at Salem Steel Plant and Recovery of non-ferrous metal.

Threats :

- Modernisation of Steel Plants has introduced advanced technology resulting in less generation of scrap.
- New entrants, specially private companies, in the area of recovery, processing of scrap and handling of scrap.

Risks & Concerns:

- 1) The area of concern for FSNL is the reduction in quantity of scrap due to modernization of steel making technology and operational discipline.
- 2) Single line of business and FSNL's performance is directly related to the business cycle of Steel industry.

SEGMENT REPORTING :

During the year the company was engaged in the business of scrap recovery and allied jobs for various steel plants in India which as per Accounting Standard AS- 17 is considered the reportable business segment. Beside scrap recovery and allied jobs, company has rendered services of warehouse management but since revenue earned from this service is less than 10% of the total revenue the same does not constitute a reportable segment. The geographical segmentation is not relevant, as the company has no business operation outside India.

Identification of segments:

The Company's operating business are organized and managed separately according to the nature of products and services provided, with each segment representing a strategic business unit that offers different products and serves different markets. The analysis of geographical segments is based on the areas in which major operating divisions of the Company operate.

Inter segment transfers :

The company generally accounts for inter segments sales and transfers as if the sales or transfers were to third parties at current market costs.

Unallocated items :

The Corporate and other segments includes general corporate income and expense items which are not allocated to any business segment.

DISCUSSION ON FINANCIAL PERFORMANCE WITH RESPECT TO OPERATIONAL PERFORMANCE :

The total earnings of the company was ₹ 27578.38 lakhs including service charges of ₹ 26,410.45 lakhs as compared to the previous year's figure of ₹ 23,787.67 lakhs and ₹ 22,414.43 lakhs respectively. The cost of operation has shown an increase of 11.28% as compared to the previous year. The increase in the expenditure is mainly attributable to normal increase in the wages of employees and provision for revision in the wages of non-executive employees, decrease in discounting factor for actuarial valuations of unfunded provisions in connection with post retirement medical benefit and leave salary. There is considerable saving in Miscellaneous expenditure of ₹ 136.85 lakhs during the year.



मानव संसाधन विकास

प्रति वर्ष की भांति, वर्ष 2014-15 के प्रारम्भ में भी कर्मचारियों को आंतरिक संसाधन तथा मूल उपकरण निर्माता एवं प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाने हेतु एक वार्षिक योजना बनाई गई।

कर्मचारियों के वार्षिक निष्पादन निर्धारण प्रपत्रों में संबंधित अधिकारियों द्वारा उनके लिए इंगित प्रशिक्षण आवश्यकताओं के आधार पर कर्मचारियों को ऐसे प्रशिक्षणों के लिए नामांकित किया गया ताकि उनकी कार्यकुशलता एवं ज्ञान संवर्धित हो सके एवं वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र में हुए तकनीकी विकास के बारे में जानकर हों।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उपयुक्तता

कंपनी के व्यावसायिक उद्देश्यों की परिशुद्ध प्राप्ति, स्पष्टता एवं वित्तीय प्रतिवेदनों की पारदर्शिता हेतु कंपनी के क्रियाकलापों की निगरानी के लिए एक कुशल आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कायम है। वर्तमान आंतरिक नियंत्रण, नियमों, कानूनों एवं विनियमों के वैधानिक अनुपालन के साथ-साथ कंपनी के निर्धारित नीति एवं पद्धतियों का अनुपालन भी सुनिश्चित करती है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा परीक्षा की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने एवं पारदर्शिता पर जोर देने के उद्देश्य से कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य स्वतंत्र बाह्य सनदी लेखाकार संस्थान को सौंपा गया है। आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रतिवेदनों को समय-समय पर प्रबंधन को प्रस्तुत किया जाता है, ताकि आवश्यक सुधार, समीक्षा की जा सके एवं आवश्यकता पड़ने पर निवारक कार्यवाही की जा सके।

कार्पोरेट गवर्नेंस दिशा- निर्देशों के अनुरूप अनुवर्ती प्रकटन

1. कोई ऐसा ठोस महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष व्यवहार नहीं है, जिसका कंपनी के हित पर सशक्त संघर्ष हो सके।
2. कंपनी के द्वारा किसी भी प्रकार का गैर-अनुपालन नहीं पाया गया/सूचित किया गया। विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से संबंधित प्रकरणों में किसी भी वैधानिक प्राधिकारी द्वारा न तो कोई कटु आलोचना जारी की गई न ही अर्थदंड दिया गया।
3. सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप कंपनी द्वारा 'व्हिसिल ब्लोअर' नीति प्रचलित की गई है, जो निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है। लेखा परीक्षण समिति से व्यक्तिगत संपर्क करने से किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं गया है, एवं इस नीति के तहत किसी के भी द्वारा कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।
4. निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों के अभाव में, कार्पोरेट गवर्नेंस नीति का यथासंभव अनुपालन किया गया है।
5. वर्ष के दौरान एवं विगत तीन वर्षों में कंपनी द्वारा समस्त राष्ट्रपति महोदय के दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
6. ऐसे किसी भी व्यय मद को लेखा पुस्तिका में विकलित नहीं किया गया जो कारोबार से संबंधित न हों।
7. शीर्ष प्रबंधन एवं निदेशक मंडल के लिए ऐसे कोई भी खर्च नहीं किए गए जो व्यक्तिगत श्रेणी के हों।
8. वित्तीय परिणाम कंपनी के वेबसाइट www.fsnl.nic.in पर उपलब्ध है।

कंपनी की पहचान संख्या (सीआईएन क्रमांक)

कंपनी की पहचान संख्या (सीआईएन नंबर) यू27102 सीटी 1989 जीओआई 005468 है।

अभिरक्षण वक्तव्य

कंपनी के उद्देश्यों एवं अपेक्षाओं को परिलक्षित करते हुए प्रबंधन परिचर्चा के वक्तव्य एवं विश्लेषण अग्रस्थदर्शी वक्तव्य हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम सन्निहित अथवा अभिव्यक्त वक्तव्यों से भिन्न हो सकते हैं, जो लोक उद्यम इस्पात संयंत्रों से नामांकन पद्धति में व्यवसाय की निरंतरता के साथ-साथ कंपनी के संचालन में अंतर ला सकते हैं।

वास्ते, निदेशक मंडल

एस.के.त्रिपाठी

अध्यक्ष

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 10/09/2015

प्रबंध निदेशक का प्रमाण पत्र

कार्पोरेट गवर्नेंस दिशा-निर्देशों के अनुसरण में, निदेशक मंडल के सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2014 - 2015 के दौरान मानक व्यवसाय व्यवहार एवं आचारनीति के अनुपालन की संपुष्टि की गई है।

राजीव भट्टाचार्य

प्रबंध निदेशक



HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

Like every year, a yearly plan was chalked-out at the beginning of the year 2014-15 for imparting training to all employees (Executives as well as Nonexecutive employees) through Internal & External sources like OEMs & reputed training institutions.

Based on recommendations of the concerned authorities with regard to the training needs endorsed in the Annual Performance Appraisal forms of the employees, the employees were nominated for undergoing such training programmes with a view to enhance their skill & knowledge as well as to acquaint them with the day-to-day developments in the industrial technologies in the concerned field.

ADEQUACY OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS WITH REFERENCE TO THE FINANCIAL STATEMENTS :

The company has an efficient system of internal control to monitor the activities of the company to achieve the business objectives with accuracy, clarity and transparency of financial reporting. Present internal control ensures statutory compliance with rules, laws and regulations and with the laid down policies and procedures of the company.

To ensure independence to the internal control system, internal audit functions Emphasizing transparency in the system and therefore, the internal audit of the company is entrusted to independent external firms of Chartered Accountants. The reports of Internal Audit are periodically submitted to the management for improvement, appraisal and remedial measures, if any.

FURTHER DISCLOSURES AS PER CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES:

1. There is no material significant related party transaction that may have potential conflict with the interest of the company.
2. No non-compliance by the company has been observed / reported. No statutory authority has issued any strictures or levied Penalty or any matter related to any guidelines issued by the Government during the last three years.
3. Company has formulated a whistle blower policy in line with Government guidelines duly approved by the board. No person has been denied personal access to Audit Committee and no one has reported anything under this policy.
4. In the absence of independent directors on the Board, Corporate Governance Guidelines has been complied as far as possible.
5. All Presidential guidelines have been complied with by the company for the year and also during the last three years.
6. No items of expenditure have been debited in books of accounts which are not for the purpose of business.
7. No expenses are incurred which are personal in nature for the Board of Directors and Top Management.
8. The financial results are available in the website of the company i.e. www.fsnl.nic.in

Company Identification Number (CIN)

The CIN of the Company is: **U27102CT1989GOI005468**

CAUTIONARY STATEMENT:

Statements in the Management Discussion and Analysis describing the Company's objectives and expectations may be forward looking statements. Actual results may differ materially from those expressed or implied which could make a difference to the company's operations including continuation of business on nomination basis from the public sector steel plant.

For and on behalf of Board of Directors

S.K.Tripathi
Chairman
Place : New Delhi
Date: 10/09/2015

MD'S CERTIFICATION

In compliance of Corporate Governance Guidelines, the Board Members and the Senior Management Personnel have confirmed compliance with the MODEL CODE OF BUSINESS CONDUCT AND ETHICS for the Financial Year 2014-2015.

Rajib Bhattacharya
MANAGING DIRECTOR



निगमित शासन प्रतिवेदन का अनुलग्नक-अ

नियुक्ति की शर्तें एवं मानदेय - प्रबंध निदेशक

- 1.1 अवधि : प्रथम चरण में इनकी नियुक्ति दिनांक 09.02.2015 के प्रभाव से पांच वर्ष तक अथवा सेवानिवृत्ति की तिथि अथवा अनुवर्ती आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, तथा कंपनी अधिनियम 1956 के यथासंशोधित प्रावधानों के अनुरूप। यह नियुक्ति, इस दौरान किसी भी पक्ष द्वारा 3 माह की सूचना अथवा ऐसी सूचना के बदले तीन माह के वेतन की राशि के भुगतान पर निलंबित भी हो सकती है।
- 1.2 प्रथम वर्ष की समाप्ति पर, श्री राजीव भट्टाचार्य के कार्यनिष्पादन की पुनर्विलोचना की जाएगी ताकि शेष कार्यकाल के लिए पद पर उनकी निरंतरता अथवा निलंबन संबंधी निर्णय सरकार द्वारा लिया जा सके।
- 1.3 प्रधान कार्यालय : उनका प्रधान कार्यालय भिलाई छत्तीसगढ़ होगा जहां एफएसएनएल का पंजीकृत कार्यालय/प्रधान कार्यालय स्थित है। एफएसएनएल के निर्णयानुसार उन्हें देश के किसी भी भाग में उन्हें अपनी सेवाएं देनी होंगी।
- 1.4 वेतन : श्री राजीव भट्टाचार्य, दिनांक 09.02.2015 के प्रभाव से रु.65,000-रु.75,000/-के वेतनमान पर रु.65,000/- प्रतिमाह का मूल वेतन प्राप्त करेंगे।
- 1.5 मंहगाई भत्ता : लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26.11.2008 एवं 02.04.2009 में निहित नवीन औद्योगिक मंहगाई भत्ता योजना के अनुरूप उन्हें मंहगाई भत्ता प्रधान किया जाएगा।
- 1.6 वार्षिक वेतनवृद्धि : वेतनमान में नियुक्ति की वर्षगांठ की तिथि पर वे मूल वेतन के 3 प्रतिशत की राशि के वेतनवृद्धि के पात्र होंगे, एवं वेतनमान की उच्चतम सीमा पर पहुंचने तक इसी कम में प्रतिवर्ष उसी तिथि को वेतनवृद्धि प्राप्त करेंगे। वेतनमान की उच्चतम सीमा पर पहुंच जाने की अवस्था में वे, उच्चतम सीमा में पहुंचने की तिथि से दो वर्ष में एक बार पूर्व के वेतनवृद्धि की दर पर एक स्थैतिक वेतनवृद्धि के पात्र तब होंगे जब उनका कार्यनिष्पादन श्रेणी 'अच्छा' अथवा 'ऊपर' हो। उन्हें इस प्रकार अधिकतम तीन स्थैतिक वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी।
- 1.7 आवास किराया भत्ता : कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26.11.2008 में इंगित दरों पर वे आवास किराया भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।
- 1.8 आवासीय मकान एवं इस प्रकार प्रदत्त आवास की किराया वसूली
 - 1.8.1 कंपनी का स्वयं का आवास : जहां भी एफएसएनएल द्वारा औद्योगिक नगर में आवासीय फ्लैट का निर्माण किया गया है, अथवा शहरों में आवासीय फ्लैट खरीदे गए हैं, वहाँ उन्हें एक उपयुक्त आवास प्रदान करने की व्यवस्था एफएसएनएल द्वारा की जाएगी।
 - 1.8.2 पट्टे पर आवास : यदि एफएसएनएल नगर के आवास अथवा स्वयं द्वारा मुख्यालय में खरीदे गये फ्लैटों गये में से कोई भी फ्लैट उन्हें प्रदान नहीं कर पाता है, ऐसी अवस्था में कंपनी के मुख्यालय में एफएसएनएल द्वारा पट्टे पर आवास लेकर उन्हें प्रदान किया जा सकता है। लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 05.06.2003, 26.11.2008 एवं 02.04.2009 के प्रावधानों के तहत निदेशक मंडल द्वारा ऐसे आवासों के आकार, प्रकार एवं इलाके का निर्धारण किया जा सकता है। कंपनी की लागत (सीटीसी) के लिए, आवास पर खर्च हेतु मूल वेतन का 30 प्रतिशत नियत की जा सकती है।
 - 1.8.3 निजी-पट्टा आवास : यदि उनके पास पदस्थापना के स्थान (प्रधान कार्यालय) में स्वयं का आवास है, एवं उसे वे अपने आवास हेतु निजी-पट्टे के तौर पर लेना चाहते हैं, उन्हें एफएसएनएल द्वारा इसकी अनुमति प्रदान की जा सकती है, जिसके लिए उन्हें एफएसएनएल के नाम पट्टा विलेख प्रदान करना होगा। निदेशक मंडल द्वारा ऐसे आवासों के आकार, प्रकार एवं इलाके का निर्धारण किया जा सकेगा।
 - 1.8.4 पट्टे के आवास की मरम्मत/अनुरक्षण : पट्टे के आवास की मरम्मत/अनुरक्षण की जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी। पट्टा किराया एक वर्ष में केवल 12 महीने की अवधि के लिए मंजूर की जाएगी तथा मरम्मत/अनुरक्षण के मद पर कोई अतिरिक्त राशि प्रदान नहीं की जाएगी।
 - 1.8.5 मौजूदा पट्टा विलेख : दिनांक 26.11.2008 के पूर्व एफएसएनएल द्वारा उनके निवास हेतु हस्ताक्षरित किसी भी पट्टा अनुबंध, यदि कोई हो, पर पट्टा अवधि के लंबित रहने तक पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, पट्टा अवधि की समाप्ति तक पट्टा राशि में कोई इजाफा नहीं किया जाना है। उनके द्वारा स्वयं के मकान को निजी-पट्टा के तौर पर लेने पर भी यही नियम प्रयुक्त होगी।



Annexure “A” to Report on Corporate Governance

TERMS OF APPOINTMENT & REMUNERATION –MANAGING DIRECTOR

- 1.1 Period : His appointment will be for a period of five years w. e. f. 09.02.2015 in the first instance or till the date of superannuation or until further orders, whichever event occurs earlier and in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956 as amended. The appointment may, however, be terminated even during this period by either side on 3 months notice or on payment of three months' salary in lieu thereof.
- 1.2 After the expiry of the first year, the performance of Shri Rajib Bhattacharya will be reviewed to enable the government to take a view regarding continuance or otherwise for the balance period of tenure.
- 1.3 Headquarters : His headquarters will be at Bhilai, Chhattisgarh where the registered office / headquarter of the FSNL is located. He will be liable to serve in any part of the country at the discretion of the FSNL.
- 1.4 Pay : Shri Rajib Bhattacharya will draw a basic pay of ₹ 65,000/- per month in the scale of ₹ 65,000-75,000/- w.e.f. 09.02.2015.
- 1.5 Dearness Allowance : He would be paid DA in accordance with the new IDA scheme as spelt out in the DPE's O.M. dated 26.11.2008 and 02.04.2009.
- 1.6 Annual Increment : He will be eligible to draw his annual increment @ 3 % of basic pay on the anniversary date of his appointment in the scale and further increment on the same date in subsequent year until the maximum of pay scale is reached. After reaching the maximum of the scale, one stagnation increment equal to the rate of last increment drawn will be granted after completion of every two year period from the date he reaches the maximum of his pay scale provided he gets a performance rating of “Good” or above. He will be granted a maximum of three such stagnation increments.
- 1.7 House Rent Allowance : He will be entitled to HRA as per the rates indicated in O.M. dated 26.11.2008.
- 1.8 Residential accommodation and recovery of rent for the accommodation so provided.
- 1.8.1 Company's own accommodation : Wherever FSNL has built residential flats in the industrial township or purchased residential flats in the cities, arrangements would be made by the FSNL to provide a suitable residential accommodation to him.
- 1.8.2 Leased accommodation : if FSNL either in township or is not able to provide residential accommodation out of the residential flats & purchased by it in the Headquarter, suitable accommodation could be arranged by the FSNL by taking the premises on lease basis at headquarter of the company. The Board of Directors may decide the size, type and locality of such accommodations as per DPE O.Ms dated 05.06.2003, 26.11.2008 and 02.04.2009. For purpose of CTC, 30% of the basic pay may be considered as expenditure on Housing.
- 1.8.3 Self –lease : If he owns a house at the place of his posting (Headquarter) and is desirous of taking his own house on self-lease basis for his residential purposes, FSNL can permit him to do so provided he executes a lease-deed in favour of the FSNL. The Board of Directors may decide the size, type and locality of such accommodations.
- 1.8.4 Repair/maintenance of leased accommodation: The responsibility for repair and maintenance of lease accommodation is that of lessor, lease rent will be allowed only for 12 months in a year and no additional amount will be provided towards repair / maintenance of lease accommodation.
- 1.8.5 Existing lease deeds:- The lease agreement signed by FSNL, in respect of the accommodation taken on lease basis for him, if any, prior to 26.11.2008 would not be re-opened during the pendency of the lease period. The lease money, in other words, should not be hiked till the expiry of lease period. This proviso would be applicable even if he had been permitted to take his own house on self-lease basis.



1.8.6 आवासीय कार्यालय : उनके निवास में एफएसएनएल के खर्च पर किसी भी प्रकार के आवासीय कार्यालय उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

1.9 किराया वसूली :

1.9.1 एफएसएनएल आवासीय बस्ती/निजी-फ्लैट : एफएसएनएल द्वारा अपने आवासीय बस्ती उनके आवास प्रबंधन अथवा नगर/शहरों में क्रय किए गए फ्लैटों में से उन्हें आर्बिट्रट फ्लैट के लिए किराया, दिनांक 09.02.2015 के प्रभाव से मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से, अथवा कंपनी द्वारा निर्धारित मानक किराया, इनमें से जो भी कम हो, वसूला जाएगा। जहां एफएसएनएल द्वारा अपने आवासीय बस्ती में आवासों की श्रेणी के अनुसार किराया निर्धारित की गई हो, अर्थात् प्रत्येक वर्ग के आवास का समान किराया निर्धारित हो तो, वे एफएसएनएल के उसी निर्धारित किराए का भुगतान करेंगे।

1.9.2 पट्टे पर आवास : एफएसएनएल द्वारा पट्टे के तहत प्रदत्त आवास के लिए उनसे दिनांक 09.02.2015 के प्रभाव से मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक किराया, इनमें से जो भी कम हो, वसूला जाएगा।

1.10 आवागमन : निजी प्रयोजन के लिए कार्यालयीन वाहन के सुविधा की पात्रता निम्नानुसार होगी:-

<u>शहर का नाम</u>	<u>निजी प्रयोजन यात्रा की सीमा</u>
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलूरु, हैदराबाद	1000 कि.मी/प्रतिमाह
अन्य सभी शहरें	750 कि.मी/प्रतिमाह
निजी प्रयोजन यात्रा पर मासिक कटौती की दरें निम्नलिखित होंगी :-	
<u>अवातानुकूलित वाहन</u>	<u>रु.प्रतिमाह</u>
16 एचपी से कम	325/-
16 एचपी से अधिक	490/-

1.11 अवकाश : अवकाश सुविधा एफएसएनएल के नियमानुसार होंगी।

1.12 अन्य भत्ते/अनुलाभ: कार्यालय आदेश दिनांक 26.11.2008 एवं 02.04.2009 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा भत्ते एवं अनुलाभों का निर्धारण किया जाएगा जिसकी उच्चतम सीमा मूल वेतन के 50 प्रतिशत तक की होगी।

1.13 निष्पादन संबद्ध भुगतान: कार्यालय आदेश दिनांक 26.11.2008 एवं 02.04.2009 के प्रावधानों के अनुसार वे अनुमोदित निष्पादन संबद्ध भुगतान के हकदार होंगे।

1.14 सेवानिवृति लाभ: कार्यालय आदेश दिनांक 26.11.2008 एवं 02.04.2009 के अनुसार अनुमोदित स्कीम के तहत वे सेवानिवृति लाभों के पात्र होंगे।

1.15 आचरण, अनुशासन एवं अपील नियम:

1.15.1 एफएसएनएल द्वारा अपने गैर-श्रमिक वर्ग के कर्मचारियों के लिए प्रचलित आचरण, अनुशासन एवं अपील नियम यथोचित परिवर्तनों के साथ उन पर भी लागू होंगी जिसमें एक परिवर्तन यह होगा कि उनके लिए अनुशासन अधिकारी भारत के राष्ट्रपति होंगे।

1.15.2 वस्तुस्थिति की आवश्यकताओं के मद्देनजर, उनके त्यागपत्र को अस्वीकृत करने का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित है, अर्थात् ऐसी अवस्था में जब उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित हो, अथवा जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर आरोप पत्र दायर करने पर विचार किया जा रहा हो।

1.16. सेवानिवृति/त्यागपत्र के पश्चात निजी व्यावसायिक संस्थानों से जुड़ने पर प्रतिबंध: श्री आर.भट्टाचार्य, एफएसएनएल से अपनी सेवानिवृति/त्यागपत्र देने की तारीख के एक वर्ष की अवधि तक सरकार की पूर्वानुमति के बिना ऐसे किसी भी भारतीय अथवा विदेशी संस्थान में कोई नियुक्ति अथवा पद, चाहे परामर्शी या प्राशासनिक, ग्रहण नहीं करेंगे, जिसके साथ एफएसएनएल का व्यावसायिक संबंध हो या रहा हो।

2. उनसे संबद्ध किसी भी अन्य मद, जिसका उल्लेख पूर्ववर्ती पंक्तियों में न हुआ हो, के संदर्भ नियंत्रण, एफएसएनएल/सरकार के प्रासंगिक नियम/निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

3. यह वित्त अनुभाग की डायरी सं.25/आईपीसी/2015, दिनांक 19.03.2015 के माध्यम से दी गई सहमति से निर्गत किया जाता है।

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 10.09.2015

वास्ते, निदेशक मंडल

एस.के.त्रिपाठी

अध्यक्ष



1.8.6 Office accommodation: No office accommodation at the expense of FSNL would be provided or arranged by FSNL at his residence.

1.9 Rent Recovery :

1.9.1.FSNL's township / own flats : Recovery of rent for the accommodation arranged by the company in its own township or from the pool of flats purchased by it in cities and towns and so allotted to him would be made at the rate of 10% of basic pay from 09.02.2015 or the standard rent fixed by the company whichever is lower. Where FSNL has prescribed flat rates of recovery in respect of accommodation in its townships depending on each type of accommodation i.e. recovery of rent on uniform basis for each type of accommodation, then rent would be paid by him as prescribed by the FSNL.

1.9.2 Leased accommodation : In respect of lease accommodation arranged by the FSNL, rent would be recovered from him at the rate of 10% of basic pay from 09.02.2015 or the actual rent whichever is lower.

1.10 Conveyance : He will be entitled to the facility of staff car for private use indicated below:

<u>Name of City</u>	<u>Ceiling on non-duty journeys</u>
Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai Bangaluru, Hyderabad.	1000KM/ PM

All other cities 750KM/PM

Monthly rate of recovery for non-duty journeys would be as follows:

<u>Non-air conditioned car</u>	<u>Rupees per month</u>
Below 16 HP	325/-
Above 16 HP	490/-

1.11 Leave : He will remain subject to the leave Rules of FSNL.

1.12 Other Allowances / Perks : The Board of Directors will decide on the Allowances and perks subject to the maximum ceiling of 50% of his basic pay as indicated in O.M. dated 26.11.2008 and 02.04.2009.

1.13 Performance Related Payment : He shall be eligible for approved PRP as per O.M.s dated 26.11.2008, 09.02.2009 and 02.04.2009.

1.14 Superannuation Benefits : He shall be eligible for superannuation benefit based on approval scheme as per O.Ms dated 26.11.2008 and 02.04.2009.

1.15 Conduct, Discipline & Appeal Rules:

1.15.1 The Conduct, Discipline and Appeal Rules framed by FSNL limited in respect of their non-workmen category of staff would also mutatis mutandis apply to him with a modification that the Disciplinary Authority in his case would be the President of India.

1.15.2 The Government also reserves the right not to accept his resignation, if the circumstances so warrant i.e. the disciplinary proceedings are pending or a decision has been taken by the competent authority to issue a charge sheet to him.

1.16 Restriction on Joining Private Commercial Undertakings after Retirement / Resignation: Shri R. Bhattacharya after retirement / resignation from the service of FSNL shall not accept any appointment or post, whether, advisory or administrative, in any firm or company whether Indian or foreign, with which FSNL has or had business relations, within one year from the date of his retirement/ resignation, without prior approval of the Government.

2. In respect of any other item, concerning him which is not covered in preceding paras, he will be governed by the relevant Rules / Instructions of FSNL / Government.

3. This issues with the concurrence of the Finance Division vide their Dy. No. 25/ IPC/2015 dated 19.03.2015

Place : New Delhi
Date: 10/09/2015

For and on behalf of Board of Directors

S.K.Tripathi
Chairman



फैरो स्क्रेप निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2015 का तुलन पत्र

₹ लाख में

व्योरा	पत्री	सम्प्रति वर्ष 31/03/2015	गत वर्ष 31/03/2014
साम्य व देनदारियाँ			
अंशधारियों की निधि			
अंश पूंजी	2	200.00	200.00
आरक्षित व अधिशेष	3	15,716.45	14,426.39
शेयर वारंट के विरुद्ध प्राप्त रकम		-	-
शेयर आवेदन के पैसे आवंटन तक लंबित		-	-
गैर मौजूदा दायित्व			
दीर्घकालिक उधार		-	-
आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)		-	-
अन्य दीर्घकालिक दायित्व	4	346.40	369.76
दीर्घकालिक प्रावधान	5	4,398.60	3,042.98
सम्प्रति दायित्व			
अल्पावधिक उधार	6	2,023.20	1,054.00
देय व्यापार	7	2,344.90	1,552.82
अन्य मौजूदा दायित्व	8	1,960.52	1,686.66
अल्पावधिक प्रावधान	9	3,190.16	1,757.07
	योग	30,180.23	24,089.68
आस्तियाँ			
गैर मौजूदा आस्तियाँ			
स्थायी आस्तियाँ	10		
मूर्त आस्तियाँ	10.1	5,674.57	5,277.67
अमूर्त आस्तियाँ	10.2	5.08	7.22
कार्यानुगत पूंजी	10.3	124.13	83.58
विकास के अंतर्गत अमूर्त आस्तियाँ	10.3	67.25	67.25
गैर मौजूदा निवेश		-	-
आस्थगित कर आस्तियाँ (शुद्ध)	11	604.45	426.89
दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	12	674.31	1,030.19
अन्य गैर मौजूदा आस्तियाँ	13	214.62	320.80
वर्तमान आस्तियाँ			
मौजूदा आस्तियाँ			
वस्तु सूचियाँ	14	345.86	346.51
प्राप्य व्यापार	15	6,370.16	1,389.71
नकद एवं बैंक अधिशेष	16	11,333.11	10,052.32
लघुकालिक ऋण एवं अग्रिम	17	224.59	181.72
अन्य वर्तमान आस्तियाँ	18	4,542.10	4,905.82
	योग	30,180.23	24,089.68
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं खाताओं पर पत्रियाँ	1 से 48		

संगत पत्रियाँ वित्तीय विवरणियों का अभिन्न खंड है

सम तिथि के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार

वास्ते, अग्रवाल एवं पंसारी

सनदी लेखापाल

फर्म पंजीकरण क्र.003350 सी

सी.ए.व्ही.के.अडवानी

साझेदार

सदस्यता क्र.401080

स्थान : रायपुर

तिथि: 03/06/2015

वास्ते एवं निदेशक मंडल-फैरो स्क्रेप निगम लिमिटेड की ओर से

ए.पी.शर्मा
कंपनी सचिव

एस.के.चक्रवर्ती
उप-महाप्रबंधक वित्त व लेखा

बी.बी.सिंह
निदेशक

राजीब भट्टाचार्य
प्रबंध निदेशक

एस.के.त्रिपाठी
अध्यक्ष



FERRO SCRAP NIGAM LIMITED
BALANCE SHEET AS AT 31 ST MARCH'2015

₹ in lacs

Particulars	Note	Current Year 31.03.2015	Previous Year 31.03.2014
EQUITY AND LIABILITIES			
Shareholders' funds			
Share capital	2	200.00	200.00
Reserves and surplus	3	15,716.45	14,426.39
Money received against share warrants		-	-
Share application money pending allotment		-	-
Non-current liabilities			
Long term borrowings		-	-
Deferred tax liabilities (net)		-	-
Other Long term liabilities	4	346.40	369.76
Long-term provisions	5	4,398.60	3,042.98
Current liabilities			
Short-term borrowings	6	2,023.20	1,054.00
Trade payables	7	2,344.90	1,552.82
Other current liabilities	8	1,960.52	1,686.66
Short-term provisions	9	3,190.16	1,757.07
TOTAL		30,180.23	24,089.68
ASSETS			
Non-current assets			
Fixed assets	10		
Tangible assets	10.1	5,674.57	5,277.67
Intangible assets	10.2	5.08	7.22
Capital work-in-progress	10.3	124.13	83.58
Intangible assets under development	10.3	67.25	67.25
Non-current investments		-	-
Deferred tax assets (net)	11	604.45	426.89
Long-term loans and advances	12	674.31	1,030.19
Other non-current assets	13	214.62	320.80
Current assets			
Current investments			
Inventories	14	345.86	346.51
Trade receivables	15	6,370.16	1,389.71
Cash and Bank Balance	16	11,333.11	10,052.32
Short-term loans and advances	17	224.59	181.72
Other current assets	18	4,542.10	4,905.82
TOTAL		30,180.23	24,089.68
Significant Accounting Policies & Notes on Accounts	1 to 48		

The accompanying notes are integral part of the Financial Statements

As per our report of even date

For **Agrawal & Pansari**

Chartered Accountants

FRN . 003350C

CA V.K. Adwani

Partner

Membership No.: 401080

For and on behalf of the Board of Directors of Ferro Scrap Nigam Limited

A.P. Sharma
Company Secretary

S.K.Chakraborty
Deputy General Manager (F&A)

Place : Raipur
Date : 03/06/2015

B.B.Singh
Director

Rajib Bhattacharya
Managing Director

S.K. Tripathi
Chairman



फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता का विवरणी

₹ लाख में

व्यौरा	पत्री	सम्प्रति वर्ष 31/03/2015	गत वर्ष 31/03/2014
प्रचालनों से राजस्व			
सेवा की बिक्री	19	26,410.45	22,414.43
अन्य आय	20	1,167.93	1,373.24
कुल राजस्व		27,578.38	23,787.67
खर्च			
प्रयुक्त सामग्रियों की कीमत	21	3,002.70	3,177.40
कारोबार माल की खरीद		-	-
वस्तु सूचियों में परिवर्तन		-	-
कर्मचारी अनुलाभ खर्च	22	10,785.84	8,303.84
वित्त लागतें	23	123.79	122.63
मूल्यह्रास एवं परिशोधन खर्च	10	967.24	1,288.69
अन्य खर्च	24	10,145.28	9,595.78
कुल खर्च		25,024.85	22,488.34
असाधारण एवं खास मदें तथा कर के पूर्व लाभ		2,553.53	1,299.33
असाधारण मदें	25	15.33	48.76
पूर्वावधिक समायोजन एवं कर के पूर्व लाभ		2,538.20	1,250.57
खास मदें		-	-
खास मदें एवं कर पूर्व लाभ		2,538.20	1,250.57
जोड़ें पूर्वावधिक आय/(खर्च)	26	(1.80)	(7.74)
कर पूर्व लाभ		2,536.40	1,242.83
कर खर्च			
(1) सामयिक कर		1,004.44	399.44
(2) आस्थगित कर		(177.56)	1.11
सतत प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ (हानि)		1,709.52	842.28
बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि)		-	-
बंद प्रचालनों का कर खर्च		-	-
बंद प्रचालनों से लाभ /हानि (करोपरान्त)		-	-
अवधि के लिए लाभ/(घाटा)		1,709.52	842.28
बंदप्रचालनों:- प्रति सांम्यांश उपार्जन: (₹1000 प्रति अंकित मूल्य)			
(1) मौलिक	27	8,547.59	4,211.39
(2) तनूकृत	27	8,547.59	4,211.39
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं खाताओं पर पत्रिका	1 से 48		

संगत पत्रियाँ वित्तीय विवरणियों का अभिन्न खंड है
सम तिथि के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार

वास्ते, अग्रवाल एवं पंसारी
सनदी लेखापाल
फर्म पंजीकरण क्र.003350 सी
सी.ए.व्ही.के.अडवानी
साझेदार
सदस्यता क्र.401080
स्थान : रायपुर
तिथि: 03/06/2015

वास्ते एवं प्रबंध निदेशक-फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड की ओर से

ए.पी.शर्मा
कंपनी सचिव

एस.के.चक्रवर्ती
उप-महाप्रबंधक(वित्त व लेखा)

बी.बी.सिंह
निदेशक

राजीब भट्टाचार्य
प्रबंध निदेशक

एस.के.त्रिपाठी
अध्यक्ष



FERRO SCRAP NIGAM LIMITED

STATEMENT OF PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED 31 ST MARCH'2015

₹ in lacs

Particulars	Note	Current Year 31.03.2015	Previous Year 31.03.2014
Revenue From Operations			
Sale of Services	19	26,410.45	22,414.43
Other income	20	1,167.93	1,373.24
Total Revenue		27,578.38	23,787.67
Expenses:			
Cost of materials consumed	21	3,002.70	3,177.40
Purchase of Stock-in-Trade		-	-
Change in Inventories		-	-
Employee benefits expense	22	10,785.84	8,303.84
Finance costs	23	123.79	122.63
Depreciation & amortisation expenses	10	967.24	1,288.69
Other expenses	24	10,145.28	9,595.78
Total expenses		25,024.85	22,488.34
Profit before exceptional and extraordinary items and tax		2,553.53	1,299.33
Exceptional items	25	15.33	48.76
Profit before Prior Period Adjustments and tax		2,538.20	1,250.57
Extraordinary Items		-	-
Profit before extraordinary items & tax		2,538.20	1,250.57
Add: Prior Period Income/(Expense)	26	(1.80)	(7.74)
Profit Before Tax		2,536.40	1,242.83
Tax expense:			
(1) Current tax		1,004.44	399.44
(2) Deferred tax		(177.56)	1.11
Profit (Loss) for the period from continuing operations		1,709.52	842.28
Profit / (loss) from discontinuing operations		-	-
Tax expense of discontinuing operations		-	-
Profit / (loss) from discontinuing operations (after tax)		-	-
Profit / (loss) for the period		1,709.52	842.28
Earnings per equity share:(Face value ₹ 1,000 each)			
(1) Basic		8,547.59	4,211.39
(2) Diluted	27	8,547.59	4,211.39
	27		
Significant Accounting Policies & Notes on Accounts	1 to 48		

The accompanying notes are integral part of the Financial Statements
As per our report of even date

For Agrawal & Pansari
Chartered Accountants
FRN . 003350C
CA V.K. Adwani
Partner
Membership No.: 401080
Place : Raipur
Date : 03/06/2015

A.P. Sharma
Company Secretary

B.B.Singh
Director

**For and on behalf of the Board of Directors of
Ferro Scrap Nigam Limited**

S.K.Chakraborty
Deputy General Manager (F&A)

Rajib Bhattacharya
Managing Director

S.K. Tripathi
Chairman



फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड
2014-15 के लिए नकदी प्रवाह विवरणी

₹ लाख में

व्योरा	2014-15	2013-14
क. प्रचालन गतिविधियों से उत्पन्न नकदी प्रवाह		
लाभ व हानि के विवरणी के अनुसार कर तथा असाधारण मदों के पूर्व शुद्ध लाभ जोड़ें/(कटौती)	2,553.53	1,299.33
अवमूल्यन तथा परिशोधन खर्च	967.24	1,288.69
सावधि जमा प्राप्तियों से ब्याज आय	(970.96)	(977.74)
कार्यरत पूंजी परिवर्तनों के पूर्व परिचालित नकद लाभ जोड़ें/(कटौती)	2,549.81	310.95
अल्पावधि उधार (प्रतिभूत) में वृद्धि/(कमी)	969.20	178.92
देय व्यापार में वृद्धि/(कमी)	792.08	(287.04)
अन्य वर्तमान दायित्वों में वृद्धि/(कमी)	273.86	133.72
अल्पावधिक प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	1,433.09	817.66
वस्तु सूचियों में वृद्धि/(कमी)	0.65	91.53
प्राप्य व्यापार में वृद्धि/(कमी)	(4,980.45)	205.85
अल्पावधिक ऋणों एवं अप्रिमों में वृद्धि/(कमी)	(42.87)	68.39
अन्य वर्तमान आस्तियों में वृद्धि/(कमी)	(792.17)	(8,309.31)
प्रचालनों से उत्पन्न नकदी	203.20	(7,100.28)
प्रत्यक्ष कर	1,004.44	399.44
पूर्वावधिक समायोजनों के पूर्व नकदी प्रवाह जोड़ें: पूर्वावधिक आय	(801.24)	(5,889.44)
असाधारण मदों के पूर्व शुद्ध नकदी प्रवाह	(1.80)	(7.74)
घटावें: असाधारण मदें शुद्ध खर्च	(803.04)	(5,897.18)
असाधारण मदों के बाद प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह जोड़ें/(कटौती)	(818.37)	(5,945.94)
गैर चालित वस्तु सूचियों में वृद्धि/(कमी)		(8.08)
अन्य गैर वर्तमान आस्तियों में वृद्धि	419.26	4,061.30
अन्य दीर्घकालिक दायित्वों में वृद्धि/(कमी)	(23.36)	72.65
दीर्घकालिक प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	1,355.62	206.70
असाधारण मदों के उपरांत प्रचालन गतिविधियों के दौरान तथा अन्य गैर वर्तमान आस्तियों एवं दायित्वों के समायोजन के उपरांत शुद्ध नकदी प्रवाह (बहिर्वाह)	933.15	(1,613.37)
ख. निवेश गतिविधियों से उत्पन्न नकदी प्रवाह		
अन्तर्वाह:		
पूँजीगत परियोजनाओं के लिए वस्तु- सूची में कमी	83.47	-
स्थायी आस्तियों के बटटा-खाता सहित विक्रय प्राप्त ब्याज	123.22	118.24
प्राप्त ब्याज	970.96	977.74
बहिर्वाह:		
निपटान के इंतजार में मूर्त आस्तियों	57.96	44.83
कार्यानुगत पूंजी से शुद्ध अंतरण स्थायी आस्तियों का अर्जन	1,534.79	1,323.44
पूँजीगत परियोजनाओं के लिए वस्तु सूची में वृद्धि	(415.10)	(272.29)
निवेश गतिविधियों के दौरान शुद्ध नकदी अंतर्वाह/(बहिर्वाह)		
ग. वित्तीय गतिविधियों में उत्पन्न नकदी प्रवाह		
अन्तर्वाह		
बहिर्वाह		
अंतरिम लाभांश	300.00	
प्रस्तावित लाभांश	41.90	168.45
लाभांश वितरण कर	68.52	28.63
वित्तीय गतिविधियों में शुद्ध नकदी	(410.42)	(197.08)
नकदी एवं समतुल्य नकदी में शुद्ध वृद्धि (क+ ख+ ग)	107.63	(2,082.74)
नकदी एवं समतुल्य नकदी (आरंभिक)	502.32	2,585.06
नकदी एवं समतुल्य नकदी (अंतिम)	609.95	502.32

(सम तिथि के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार)

वास्ते एवं निदेशक मण्डल-फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड की ओर से

वास्ते, अग्रवाल एवं पंसारी

ए.पी.शर्मा
कंपनी सचिव
बी.बी.सिंह
निदेशक

एस.के.चक्रवर्ती

उप-महाप्रबंधक(वित्त व लेखा)

सनदी लेखापाल

फर्म पंजीकरण क्र.003350 सी

सी.ए.व्ही.के.अडवानी-साझेदार

सदस्यता क्र.401080

स्थान : रायपुर • तिथि: 03/06/2015

राजीब भट्टाचार्य
प्रबंध निदेशक

एस.के.त्रिपाठी
अध्यक्ष



FERRO SCRAP NIGAM LIMITED
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR 2014-15

₹ In lacs

Particulars	2014-15	2013-14
A. Cash flow arising from Operating Activities		
Net Profit before Tax and Exceptional items as per Statement of Profit and Loss:	2,553.53	1,299.33
Add / (Deduct) :		
Depreciation and Amortisation expenses	967.24	1,288.69
Interest Income from FDR	<u>(970.96)</u>	<u>(977.74)</u>
Operating cash profit before working capital changes	2,549.81	1,610.28
Add / (Deduct) :		
Increase / (Decrease) in Short Term Borrowing (secured)	969.20	178.92
Increase / (Decrease) in Trade Payables	792.08	(287.04)
Increase / (Decrease) in Other Current Liabilities	273.86	133.72
Increase / (Decrease) in Short Term Provisions	1,433.09	817.66
(Increase) / Decrease in Inventories	0.65	91.53
(Increase) / Decrease in Trade Receivable	(4,980.45)	205.85
(Increase) / Decrease in Short Term Loans & Advances	(42.87)	68.39
(Increase) / Decrease in Other Current Assets	<u>(792.17)</u>	<u>(8,309.31)</u>
Cash generated from operations	203.20	(5,490.00)
<i>Direct Taxes</i>	1,004.44	399.44
Cash flow before prior period adjustments	(801.24)	(5,889.44)
Add : Prior Period Income	(1.80)	(7.74)
Net Cash Flow before Exceptional Items	(803.04)	(5,897.18)
Less: Exceptional Items (Net Expenses)	(15.33)	(48.76)
Net Cash flow from operating activities after Exceptional Items	(818.37)	(5,945.94)
Add / (Deduct) :-		
(Increase) / Decrease in Non Moving Inventories	-	(8.08)
(Increase) / Decrease in Other Non Current Assets	419.26	4,061.30
Increase / (Decrease) in Other Long term liabilities	(23.36)	72.65
Increase / (Decrease) in Long-term provisions	<u>1,355.62</u>	<u>206.70</u>
Net Cash Inflow/(outflow) in the course of operating activities after exceptional items and after adjustment Of Other Non Current Assets & Liabilities	9 33.15	(1,613.37)
B. Cash flow arising from Investing Activities		
Inflow:		
Decrease in Inventory for Capital Projects	83.47	-
Sale including write off of Fixed Assets	123.22	118.24
Interest received	<u>970.96</u>	<u>977.74</u>
Outflow:		
Tangible Assets Awaiting Disposal	57.96	44.83
Acquisition of fixed assets net of transfer from CWIP	<u>1,534.79</u>	<u>1,323.44</u>
Net Cash inflow/ (Outflow) in the course of Investing Activities	(415.10)	(272.29)
C. Cash flow arising from Financing Activities		
Inflow:		
Outflow:		
Interim Dividend	300.00	
Proposed Dividend	41.90	168.45
Dividend Distribution tax	<u>68.52</u>	<u>28.63</u>
Net Cash from Financing Activities	(410.42)	(197.08)
Net increase in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)	107.63	(2,082.74)
Cash & Cash Equivalents (Opening)	502.32	2,585.06
Cash & Cash Equivalents (Closing)	609.95	502.32

As per our report of even date

For **Agrawal & Pansari**

Chartered Accountants

FRN . 003350C

CA V.K. Adwani

Partner

Membership No.: 401080

Place : Raipur ● Date : 03/06/2015

A.P. Sharma
Company Secretary

S.K.Chakraborty
Deputy General Manager (F&A)

B.B.Singh
Director

Rajib Bhattacharya
Managing Director

S.K. Tripathi
Chairman



फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड

निगमित जानकारी :

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र की एक कम्पनी है जो दि.28.03.1979 को निगमित हुई। वर्तमान में यह इस्पात मंत्रालय के अजीन 'मिनी रत्न II' सार्वजनिक क्षेत्र (आई.एम.एस. प्रमाणित) भारत सरकार की कम्पनी है। यह एम.एस.टी.सी. लिमिटेड की पूर्णतः स्वामित्व की सहायिका है। एफ.एस.एन.एल.इस्पात संयंत्रों में लौह एवं इस्पात निर्माण के दौरान जनित स्लैग तथा अपशिष्ट से स्क्रैप की रिकवरी और प्रक्रमण के कार्यों को करती है। फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार धमन भट्टियों एवं स्लैग बाडा में इस्पात गलन शाला स्लैग की खुदाई व ढुलाई, लौह व इस्पात स्कलों का प्रक्रमण, मिल अस्वीकृतों तथा स्क्रैप रख-रखाव के लिए विशेषीकृत सेवाएँ प्रदान करता है। एफ.एस.एन.एल.सिल्लियों का आच्छादन, सिन्टर संयंत्र, धमन भट्टी तथा रेल रोड़ी में प्रयुक्त किए जाने वाले एलडी स्लैग की पिसाई तथा छलावरण के कार्यों को भी करता है। यह गाद उपखंडों तथा राख कुण्डों से जमा गाद व राख हटाता है। कंपनी एम.एस.टी.सी. लिमिटेड, एस.टी.सी लिमिटेड तथा हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के पक्षकारों को गोदाम प्रबंधन सेवा भी प्रदान करती है।

1. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों :

1.1 लेखांकन का आधार:

कम्पनी अपने लेखाओं को कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जी ए ए पी) और केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनियों (लेखा मानक) नियम 2006 (संशोधन सहित लागू अनुभागों का नया कम्पनी अधिनियम 2013 के रूप में) के अनुसार पारंपरिक ऐतिहासिक लागत समागम पद्धति के तहत संभूति आधार पर निम्नलिखित रखता है।

1.2 प्राक्कलनों का उपयोग:

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए जरूरत है आंकलन एवं अनुमानों, जो आस्तियाँ और देयताओं के उल्लिखित राशि को तथा वित्तीय विवरणों की तिथि को संभावित आस्तियों और दायित्व से संबंधित उदधोषणाओं को तथा उल्लिखित आय और व्यय की उल्लिखित राशि को प्रभावित करता है। वास्तविक परिणाम एवं आंकलन के अंतर को उसी अवधि में स्वीकृत किया गया है, जिस अवधि में वह ज्ञात/कार्यान्वित हुआ है।

1.3 स्थायी आस्तियाँ:

स्थायी आस्तियों को पात्र मोडवैट/सैनवैट की शुद्ध लागत से संचित मूल्यहास एवं क्षति यदि कोई है, को धटाकर दिखाया गया है। लीज पर ली गई जमीन को लीज अवधि तक दिखाया गया है।

सॉफ्टवेयर को, जहां यह संभावित है कि वह भविष्य में आर्थिक लाभ देगा, पूंजी में परिणत किया गया है तथा उसे अमूर्त आस्तियों के रूप में दिखाया गया है।

कार्यानुगत् पूंजी का मूल्यांकन लागत पर है तथा जिसमें पारगमन में उपस्कर तथा स्थायी आस्तियों की लागत, जो कि वृत्तान्त तारीख में उसके आशयित उपयोग के लिए अब तक तैयार नहीं है, समाहित है। बेकार/फालतू स्थायी आस्तियाँ शुद्ध खाता मूल्य अनुमानित शुद्ध प्राप्य मूल्य के निम्नतर पर मूल्यांकित है।

'निपटान की प्रतिक्षा में स्थायी आस्तियाँ' अपने शुद्ध अवलेखित मूल्य पर 'अन्य गैर-मौजूदा आस्तियाँ' के तहत वर्गीकृत है क्योंकि इन आस्तियों को सामान्य सतत प्रचालनों से पहले ही सेवामुक्त कर दिया गया है तथा केवल विक्रय/नीलामी के लिए रखा हुआ है। हालाँकि, जहाँ प्रबंधन को उम्मीद है कि कथित आस्तियों का कोई भाग तुलन-पत्र तिथि पर एक वर्ष के दौरान निबटारा होना संभावित होता है तो उसे वर्तमान आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

1.4 विमूल्यन:

स्थायी आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-11 में निर्धारित प्रारूप में खड़ी रेखा विधि के आधार पर किया गया है।



FERRO SCRAP NIGAM LIMITED

Corporate Information:

Ferro Scrap Nigam Limited is a joint sector company, incorporated on 28-3-1979. Presently it is "Mini Ratna II PSU" (IMS Certified) a Government of India company under Ministry of Steel. It is a wholly owned subsidiary of MSTC Limited. FSNL undertakes the job of recovery and processing of scrap from slag and refuse generated during iron and steel making at Steel Plants. Ferro Scrap Nigam Limited Offers specialized services for Dig and haul of Blast Furnaces & Steel Melting Shop slag at slag yards, Processing of iron and steel skulls, mill rejects & maintenance scrap as per customer's requirement. FSNL also offers scarffing of slabs, crushing and screening of LD slag to be used in sinter plant, blast furnace and rail ballast. It removes sludge & ash deposit from sludge compartments & ash ponds. The company is also providing warehouse management service to the clients of MSTC Limited, STC Limited and Haldia Petrochemicals Limited.

1. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1.1 BASIS OF ACCOUNTING:

The Company maintains its accounts on accrual basis following the historical cost convention in accordance with generally accepted accounting principles ["GAAP"], in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and the Accounting Standards as specified in the Companies (Accounting Standard) Rules, 2006 (As amended including applicable sections of New Companies Act, 2013), prescribed by the Central Government.

1.2 USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires estimates and assumptions to be made that affect the reported amount of assets and liabilities on the date of the financial statements and the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. The difference between the actual results and estimates, if any, are recognised in the period in which the results are known / materialised.

1.3 FIXED ASSETS:

Fixed Assets are stated at cost net of eligible modvat / cenvat less accumulated depreciation and impairments, if any, Leasehold land is amortised over the lease period.

Software is capitalized where it is expected to provide future enduring economic benefits and same is shown under Intangible Assets.

Capital Work-in-Progress is valued at cost and includes equipment in transit and the cost of fixed assets that are not yet ready for their intended use at the reporting date.

The Scraped/redundant fixed assets are valued at lower of the net book value and estimated net realizable value.

"Fixed Assets Awaiting Disposal" is classified under "Other non-current Assets" at their net written down value since these assets have already been retired from normal continuing operations and is held only for sale/auction. Further, where the management expects that any part of said asset is likely to be disposed off within one year on the Balance Sheet date, the same are classified as current assets.

1.4 DEPRECIATION:

Depreciation on fixed assets has been provided on Straight-line method in the manner prescribed in Schedule II of Companies Act 2013.



जबकी प्रबंधन के निर्णय को निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विमूल्यन आस्तियों के निम्नलिखित श्रेणी पर तकनीकी मूल्यांकित अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर चार्ज किया जाता है जो कि इस प्रकार है:-

गरम स्लैग हैण्डलिंग हेतु प्रयुक्त संयंत्र एवं मशीनरी:	5 वर्ष
डोजर:	7 वर्ष
एक्सकाव्हेटर 1.2 से 5 घन मीटर:	7 वर्ष
क्रेन:	15 वर्ष
चुम्बकीय सेपरेटर:	15 वर्ष
उपरोक्त सभी आस्तियाँ संयंत्र एवं मशीनरी:	9.19 वर्ष
आस्तियों-जिनका मूल्य 5 हजार से कम है-	100 प्रतिशत
सौर संयंत्र:	10 वर्ष
अमूर्त आस्तियों के रूप में वर्गीकृत संगणक सॉफ्टवेयर:	6 वर्ष

1.5 आस्तियों को क्षति

प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर कंपनी द्वारा यह आंकलित किया जाता है कि क्या किसी आस्ति की क्षति का कोई संकेत है। यदि ऐसा कोई संकेत होता है तो क्षति की मात्रा ज्ञात करने के लिए आस्ति के प्राप्य मूल्य का अनुमान लगाया जाता है। आस्ति की उपयोगित मूल्य एवं शुद्ध विक्रय मूल्य में जो अधिक हो, आस्ति का प्राप्य मूल्य होता है। उपयोगित मूल्य का आंकलन, आस्ति के निरंतर उपयोग से प्राप्य भावी अनुमानित आय, एवं उसके विक्रय से होने वाले आय में से उसके वर्तमान मूल्य को एक कर-पूर्व कटौती दर काट कर किया जाता है, जो वर्तमान बाजार में रुपये के सामयिक मूल्य के आंकलन तथा आस्ति से संबद्ध जोखिम को परिलक्षित करता है। यदि आस्ति का ऐसा प्राप्य रकम अथवा आस्ति का रोकड़ उत्पादक अंग जिससे वह संबद्ध है, से प्राप्य रकम उसके अनुवर्ती मूल्य से कम है, तो अनुवर्ती मूल्य को उसके प्राप्य मूल्य तक गिरा दिया जाता है। इस घटाव को क्षतिगत नुकसान माना जाता है जिसे लाभ व हानि तालिका में परिलक्षित किया जाता है।

पूर्व के वर्षों की परिलक्षित क्षति हानियां, यदि कोई हों, को ऐसी स्थिति में उलटा दिया जाता है, जब ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं कि आस्ति की अब कोई परिलक्षित हानि नहीं है, अथवा हानि कम हो गई है। हालांकि, किसी आस्ति के क्षतिगत नुकसान को उलटने की वजह से अनुवर्ती रकम में हुई बढोतरी तब तक मान्य होती है जब तक उस आस्ति का, पूर्व के वर्षों में कोई क्षतिगत नुकसान न होने की अवस्था में जो अनुवर्ती मूल्य निर्धारित होता (शुद्ध मूल्य हास) से बढ न जाए।

1.6 वस्तु सूची:

वस्तु सूची अन्य अचल वस्तु सम्पत्तियों मूल्यांकन या प्राक्कलन निवल मूल्य से कम मूल्य को मान्य किया जाता है। लागत में क्रय कीमत तथा अन्य प्रत्यक्ष खर्चों को जोड़कर तथा उस सामग्री में से आबकारी शुल्क छोड़कर जहाँ पर कंपनी ने केन्द्रीय वैट नियम, 2004 के नियम 3(1) के अनुसार केन्द्रीय वैट की साख प्राप्त कर ली हो।

वस्तु सूची में वे मदें सम्मिलित है जो तीन वर्षों तक अचल है उन्हें अचल परिसम्पत्तियों में रखा गया है, अचल परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन वर्ष 2001-2002 से 10% हास लागत मूल्य में किया गया है।

स्क्रेप/अनावश्यक भंडारण की मदों का मूल्यांकन मूल्य या प्राक्कल्पित निवल मान्य मूल्य जो भी कम हो वह स्वीकार्य होगा।

1.7 प्रतिभूति/बंधक लागत:

- कार्यशील पूंजी पर उधार लेने की लागत को संबंधित वर्ष के लाभ/हानी खाते में प्रभारित किया जाता है।
- उधार लागतें जो कि अर्हकारी आस्तियों के अधिग्रहण, निर्माण से उसके आशयित उपयोग की तारीख तक प्रत्यक्ष रूप से आरोग्य है को परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत कर रहे है एवं अन्य उधार लागत को वर्ष के लाभ हानी खाते में प्रभारित किया जाता है।

1.8 कर्मचारी अनुलाभ:

क) भविष्य निधि:

भविष्य निधि शेष का संचालन आयकर प्राधिकरण द्वारा मान्य ट्रस्ट द्वारा किया जाता है तथा आरोपित अंशदायी कोष के राजस्व से पेंशनी हितलाभ से कर्मचारी को सुरक्षा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के माध्यम से प्राप्त है।



However, the following class of assets depreciation is determined and charged on the basis of technically assessed estimated useful life as decided by the Management and approved by the Board of Directors shown hereunder.

Plant and Machinery used for hot slag handling	–	5 years
Dozer	–	7 years
Excavators 1.2 to 5 Cum	–	7 Years
Cranes	–	15 Years
Magnetic Separators	–	15 Years

All assets under “Plant and Machinery” except assets mentioned above – 9.19 Years
Assets with value less than ₹ 5 Thousand – Hundred percent.

Solar Plant – 10 Years

Computer Software classified as Intangible Asset – 6 Years

1.5 IMPAIRMENT OF ASSETS:

At each balance sheet date, the Company assesses whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of impairment loss. Recoverable amount is the higher of an asset’s net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows expected from the continuing use of the asset and from its disposal are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects the current market assessments of time value of money and the risks specific to the asset. If such recoverable amount of the asset or the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs is less than its carrying amount, the carrying amount is reduced to its recoverable amount. The reduction is treated as an impairment loss and is recognized in the statement of profit and loss.

Impairment losses recognized in prior years, if any, are reversed when there is an indication that the recognized impairment losses for the asset, no longer exist or have decreased. However, the increase in carrying amount of an asset due to reversal of an impairment loss is recognized to the extent it does not exceed the carrying amount that would have been determined (net of depreciation) had no impairment loss been recognized for the asset in prior years.

1.6 INVENTORIES:

Inventories other than non-moving inventories are valued at cost or estimated net realizable value whichever is less. The cost includes purchase cost and other direct Expenses but exclude excise duty on such goods where the company is eligible to take cenvat credit in accordance with rule 3 (1) of the Cenvat Credit Rules’2004.

The inventory items, which have not moved for more than three years, are considered as non-moving inventories. Nonmoving inventories are valued at cost reduced by ten percent of cost every year from the year 2001-2002.

The scrapped / redundant stores items are valued at cost or estimated net realizable value whichever is lower.

1.7 BORROWING COSTS:

1. Borrowing costs on working capital is charged against the profit/loss for the year in which it is incurred.
2. Borrowing costs directly attributable to the acquisition or construction of fixed assets are capitalized as part of the cost of the assets up to the date the asset is put to use. Other borrowing costs are charged to the profit and loss account in the year in which they are incurred.

1.8 EMPLOYEE:

(a) Provident Fund :

Provident Fund is administered by a Trust recognized by Income Tax Authorities and contribution to this Fund is charged to revenue. Pensioners Benefits are secured through Employees’ Pension Scheme 1995.



ख) सेवा उपादान:

सेवा उपादान की देयता को जीवन बीमा उपदान समूल योजना के संरक्षण भारतीय जीवन बीमा निगम ने प्रदान किया है जिसका अलग से अविकल्पी ट्रस्ट का निर्माण कंपनी के द्वारा जीवन सुरक्षा उद्देश्य से किया गया है। राजस्व की प्राप्ति अंशदायी योजना में है।

ग) परिवार अनुलाभ योजना:

निःशक्त कर्मचारी/मृतक के कर्मचारी के विधिक उत्तराधिकारियों को भविष्य में परिवार अनुलाभ योजना प्रदाय किये जाने की व्यवस्था हेतु पारिवार अनुलाभ योजना के आधार पर वर्ष के अंत में जीवनांकिक मूल्यांकन करने के उपरांत लाभालाभ को लेख में से जीवनांकित अतिलाभ/हानियों का आरोपित किया जाता है।

घ) अन्य अनुलाभ:

प्रोद्भूत छुट्टी, दीर्घावधिक सेवा पुरस्कार, सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा तथा उपनिवेश अनुलाभों के लिए प्रावधान को वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर बनायी जाती है एवं वास्तविक नफाओं/नुकसानों के साथ लाभ एवं हानि खाता को प्रभारित किया जाता है।

1.9 पूर्वावधिक समायोजन:

पूर्व अवधि से संबंधित प्रत्येक मामले में दस हजार रुपये से अधिक नहीं के आय/व्यय को सम्प्रति वर्ष के आय/व्यय के रूप में माना जाता है।

1.10 राजस्व मान्यता:

आईसीएआई द्वारा जारी ए एस 9 में दी गई व्यवस्था के आधार पर प्रोदभित राजस्व को मान्य किया गया है। समयवधि में आनुपातिक आधार पर प्राप्त अनुप्रयोज्य दर के आधार पर, ब्याज को बकाया राशि के मद के तहत लेखा में दर्शाया गया है।

1.11 उपस्कर बीमा:

उपस्कर की प्रकृति तथा बीमा की भारी लागत, जिससे किसी भी बीमा अनुलाभ में परिणाम की संभावना नहीं है, को देखते हुए गरम पिट के दायरे में कार्यरत उपस्करों को छोड़कर कंपनी के स्वामित्व वाले संयंत्र तथा मशीनरी प्रबंधन की नीति के मामले के रूप में किसी भी तरह के जोखिम/क्षति के विरुद्ध बीमित नहीं है।

1.12 विदेशी मुद्रा संव्यवहार:

कल-पूर्जो तथा पूंजीगत मदों के आयात लिए अपेक्षित रकम का भुगतान मालों के आयात हेतु साख-पत्र के द्वारा दस्तावेजों की परक्रामण की तिथि पर विनियम दर पर परिवर्तित भारतीय मुद्रा में किया जाता है।

1.13 आय पर कर:

कर व्यय के अंतर्गत वर्तमान और आस्थगित कर शामिल है। वर्तमान आयकर की राशि आयकर अधिनियम, 1961 कर की दरों के अनुसार कर-अधिकारियों को दिये जाने की संभावना पर निर्धारित की जाती है। कर की दरों और कर-कानूनों जो कि समीक्षाधीन अवधि में अधिनियमित या कर संबंधित अधिनियमित लागू कानून के अन्तर्गत, कर-राशि का निर्धारण किया गया।

आस्थगित आय कर वर्तमान समीक्षाधीन अवधि और समय पहले रिपोर्टिंग अवधि के भिन्नताओं के उत्क्रमण के दौरान कर योग्य आय और लेखा आय के बीच कालमापन भिन्नताओं के प्रभाव को दर्शाते हैं। आस्थगित कर को संबंधित कर की दरों और कर-कानूनों जो की समीक्षाधीन अवधि में अधिनियमित था स्वतंत्र अधिनियमित है के अनुसार परिमित किया गया है।

आस्थगित कर की स्वीकृति, समय के अंतर के विवेचना से एक ही अवधि के कर योग्य आय और लेखा आय के भेद पर एवं एक या अधिक अवधि में पलटने में सक्षम है पर निर्भर करती है।

आस्थगित कर आस्तियों की आगे ले जाने वाली रकम की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को की जाती है।



(b) Service Gratuity :

Liability on account of service gratuity is covered under Group Gratuity Life Assurance Scheme of Life Insurance Corporation of India and is administered through a separate irrevocable trust created by the Company for this purpose. Contribution to the scheme is charged to revenue.

(c) Family Benefit Scheme:

The provision towards future payments to the disabled employee/ legal heirs of deceased employees under the Employees Family Benefit Scheme is made based on the actuarial valuation as at the end of the year and charged to the profit and loss account along with actuarial gains/losses.

(d) Other benefits :

The provision towards accrued leave, long term service award, post retirement medical and settlement benefits, are made based on the actuarial valuation as at the end of the year and charged to the profit and loss account along with actuarial gains/losses.

1.9 PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS:

Income/expenditure relating to prior period not exceeding rupees ten thousand in each case is treated as income /expenditure of the current year.

1.10 REVENUE RECOGNITION:

Revenue is recognized on accrual basis in accordance with the provisions of AS-9 issued by ICAI.

Interest income is recognised on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the interest rate applicable.

1.11 SERVICE CHARGES:

Service charges represent the income earned for processing of scrap and miscellaneous jobs done by the Company at the rates agreed with / offered to the respective Steel Plants.

1.12 FOREIGN CURRENCY TRANSACTION:

The amount required for import of spare parts and capital items are paid in Indian currency converted at the exchange rate on the date of negotiation of documents through Letter of Credit for import of goods.

1.13 TAXES ON INCOME:

Tax expense comprises of current and deferred tax. Current income tax is measured at the amount expected to be paid to the tax authorities in accordance with the Income Tax Act, 1961. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that are enacted or substantively enacted, at the reporting date.

Deferred income taxes reflect the impact of timing differences between taxable income and accounting income originating during the current reporting period and reversal of timing differences of earlier reporting periods. Deferred tax is measured based on the tax rates and the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax is recognized on timing differences between taxable and accounting income/expenditure that originates in one period and are capable of reversal in one or more subsequent period(s).

The Carrying amount of Deferred tax assets are reviewed at each Balance Sheet date.



1.14 खंड प्रतिवेदन:

खंडों की पहचान:

कम्पनी की प्रचालन कारोबार उत्पादों की प्रकृति तथा प्रत्येक खंडों के साथ प्रदान की गयी सेवाओं के अनुसार अलग से संयोजित व प्रबंधित है, एक सामरिक व्यापार इकाई का प्रतिनिधित्व करता है जो भिन्न उत्पादों एवं अन्य बाजारों की सेवाएँ प्रदान करता है। भौगोलिक खंडों का विश्लेषण क्षेत्रों पर आधारित है, जिसमें कम्पनी की प्रमुख प्रचालन खंडें संचालित है।

अंतः खंड अंतरण:

कम्पनी सामान्यतः अंतः खंड विक्रयों तथा अंतरणों के लिए गणना करती है कि यदि विक्रय अथवा अंतरणें सम्प्रति बाजार मूल्यों पर अन्य पक्षों को किए गए थे।

आम लागतों का आवंटन:

आम आवंटन लागतें कुल आम लागतों के लिए प्रत्येक खंड के सापेक्षिक योगदान के अनुसार आवंटित कर रहा है।

अनावंटित मर्दे:

समष्टिगत तथा अन्य खंड में सामान्य समष्टिगत आय एवं व्यय मर्दे शामिल है जिसे किसी व्यापार खंड को आवंटित नहीं किया गया है।

1.15 प्रावधान सांयोगिक देयताएं तथा सांयोगिक आस्तियाँ:

देनदारियाँ, जो भौतिक है तथा जिसके भविष्य परिणाम को यथोचित निर्धारित नहीं किया जा सकता है, को प्रासंगिक के रूप में माना गया है एवं खाता-पत्रियों के माध्यम से व्यवस्था तथा खुलासा नहीं किया गया। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को इसकी समीक्षा की जाती है तथा प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित योग्यता आधार पर संबंधित प्रकटवृत्त वर्तमान प्रबंधन प्राक्कलन प्रतिबिंबित करने समायोजित किया जाता है।

सांयोगिक आस्तियों वित्तीय विवरणियों में स्वीकार्य अथवा अनावृत नहीं है। प्रावधान स्वीकृत है जहाँ कम्पनी ने कोई रणों के अंतिम निपटान को ध्यान में रखते विधिक अथवा रचनात्मक कर्तव्य या जहाँ दायित्व की राशि के लिए विश्वसनीय प्राक्कलन को बनाया जा सकता है तथा अतीत की घटनाओं के परिणामस्वरूप, जिसके लिए यह संभाव्य है कि तुलन पत्र तिथि को दायित्व का निपटारा करने आर्थिक अनुलाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर इसकी समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान उत्तम प्राक्कलन प्रतिबिंबित करने समायोजित किए जाते हैं।

1.16 निवेश:

एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए किये गये निवेश या किये जाने हैं निवेशों को, लंबी अवधि के निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया तथा उसे लागत पर दर्शाया गया है। लंबी अवधि के निवेश पर लाभ या नुकसान बिक्री के वक्त आय/व्यय के रूप में माना जाता है। वर्तमान निवेश, लागत और अलग-अलग निवेश के आधार पर उचित निर्धारित मूल्य से कम पर आंका जाता है।

1.17 संदिग्ध ऋण/अग्रिम का प्रावधान:

दावों और अग्रिम जहाँ भी इस तरह का दावा/अग्रिम, प्रबंधन की राय में संदिग्ध माना जाता है के खिलाफ प्रावधान किया है। ऐसी देयता/प्रावधान जो प्रबंधन की राय में अब आवश्यक नहीं रहे, उन देनदारियों/प्रावधान को अपलिखित कर लिया जाता है।

1.18 प्रति शेयर आय:-

प्रति शेयर मूल आय की गणना, संबंधित अवधि का शुद्ध लाभ या हानि इक्विटी शेयरधारकों के लिये बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके परिकलित की जाती है।

तनूकृत आय प्रतिशेयर की गणना के प्रायोजन के लिए करने हेतु, संबंधित अवधि का शुद्ध लाभ या हानि इक्विटी शेयरधारकों के लिये और बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को संभावित तनूकृत इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिये समायोजित किया है।



1.14 SEGMENT REPORTING:

Identification of segments:

The Company's operating businesses are organised and managed separately according to the nature of products and services provided, with each segment representing a strategic business unit that offers different products and serves different markets. The analysis of geographical segments is based on the areas in which major operating divisions of the Company operate.

Inter segment Transfers:

The Company generally accounts for intersegment sales and transfers as if the sales or transfers were to third parties at current market prices.

Allocation of common costs:

Common allocable costs are allocated to each segment according to the relative contribution of each segment to the total common costs.

Unallocated items:

The Corporate and Other segment includes general corporate income and expense items which are not allocated to any business segment.

1.15 PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS:

Liabilities which are material and whose future outcome cannot be reasonably ascertained are treated as contingent and not provided for and disclosed by way of notes to the accounts. These are reviewed at each Balance Sheet date and are adjusted to reflect the current management estimate considering final disposal of respective cases on merit basis as assessed by the management.

Contingent assets are not recognized or disclosed in the financial statements.

Provisions are recognised, where the Company has any legal or constructive obligation or where reliable estimate can be made for the amount of the obligation and as a result of past events, for which it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation at the balance sheet date. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current best estimates.

1.16 INVESTMENTS:

Investments held / intended to be held for a period exceeding one year are classified as long term investments and the same are stated at cost. Gains / losses on long term investments are considered as income/expenditure at the time of sale only. Current investments are stated at lower of cost and fair value determined on an individual investment basis.

1.17 PROVISIONS FOR DOUBTFUL DEBTS/ADVANCES:

Provision is made against Claims and Advances wherever such claim / advance is considered doubtful in the opinion of management. Writing back of Liabilities / Provisions are made wherever such liability / provision considered no longer required in the opinion of management.

1.18 EARNINGS PER SHARE:

Basic earnings per share is computed by dividing net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding for the period.

For the purpose of calculating diluted earnings per share, the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders and the weighted average number of shares outstanding during the period are adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares.



खाताओं की पत्रियाँ

पत्री 2: अंश पूंजी

₹ लाख में

ब्यौरा	31 मार्च, 2015 को स्थिति		31 मार्च, 2014 को स्थिति	
	संख्या	रकम ₹	संख्या	रकम ₹
प्राधिकृत				
₹1000/-प्रत्येक का साम्यांश	20,000	200.00	20,000	200.00
निर्गत, समर्थित तथा प्रदत्त				
₹ 1000/-प्रत्येक का साम्यांश	20,000	200.00	20,000	200.00
योग	20,000	200.00	20,000	200.00

कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है तथा पूर्णतः एम.एस.टी.सी.लिमिटेड के स्वामित्व है।

कंपनी के साम्यांश के रूप में उल्लिखित अंशों का केवल एक वर्ग है जिसका अंकित मूल्य ₹.1000/- है। साम्यांश का प्रत्येक धारक लाभांश तथा प्रति अंश एक मत के हकदार हैं।

कंपनी भारतीय रूपयों में लाभांश की घोषणाएं तथा भुगतान करती है। लाभांश की मात्रा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लागू लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों पर आधारित है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में अंशधारियों के अनुमोदन के अधीन है।

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, साम्यांशों के धारक समस्त अधिमान्य रकमों के वितरण पश्चात् कंपनी की बची आस्थियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे। जबकि वर्तमान में ऐसी कोई अधिमान्य रकम मौजूद नहीं है। वितरण अंश धारकों द्वारा धारित साम्यांशों की संख्या के अनुपात में होगा।

31 मार्च, 2015 वर्ष को समाप्ति पर कंपनी ने अंतरिम लाभांश की राशि ₹1500/- प्रति साम्य अंश एवं प्रस्तावित अंतिम लाभांश का 209.52 रूपये प्रति साम्य अंश है।

सकल लाभांश का विनियोजन 410.41 लाख रूपये है जो कि निगमित लाभांश कर में 68.51 लाख रूपये जुड़ा हुआ है।

बकाया अंशों की संख्या का समन्वय

₹ लाख में

ब्यौरा	साम्यांश		31 मार्च, 2014 को स्थिति	
	31 मार्च, 2015 को स्थिति		संख्या	रकम ₹
	संख्या	रकम ₹	संख्या	रकम ₹
वर्ष के आरंभ में बकाया अंश	20,000	200.00	20,000	200.00
वर्ष के दौरान निर्गत अंश	-	-	-	-
वर्ष के दौरान वापस लिए गए अंश	-	-	-	-
कोई अन्य गतिविधि (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
वर्ष का समाप्ति पर बकाया अंश	20,000	200.00	20,000	200.00

नियंत्रि कंपनी द्वारा धारित अंशों का ब्यौरा

ब्यौरा	संबंध की प्रकृति	31 मार्च, 2015 को स्थिति	31 मार्च, 2014 को स्थिति
एम.एस.टी.सी.लिमिटेड	नियंत्रि कंपनी	20,000	200.00


NOTES ON ACCOUNTS
Note 2 : SHARE CAPITAL

₹ in lacs

Particulars	As at 31 March 2015		As at 31 March 2014	
	Number	Amount ₹	Number	Amount ₹
Authorised				
Equity Shares of ₹1000 each	20,000	200.00	20,000	200.00
Issued, Subscribed & Paid Up				
Equity Shares of ₹1000 each	20,000	200.00	20,000	200.00
Total	20,000	200.00	20,000	200.00

The company is a public sector undertaking and a wholly owned subsidiary of MSTC Ltd.

The company has only one class of shares referred to as equity shares having a par value of ₹1000/-. Each holder of equity shares is entitled for dividend and one vote per share.

The company declares and pays dividend in Indian Rupees. The quantum of dividend is based on DPE guideline as applicable all CPSE. The dividend proposed by the Board of Directors is subject to the approval of the shareholders in the ensuing Annual General Meeting.

In the event of liquidation of the company, the holders of equity shares will be entitled to receive any of the remaining asset of the company, after distribution of all preferential amounts. However, no such preferential amounts exist currently. The distribution will be in proportion to the number of equity shares held by the shareholders.

During the year ended March 31, 2015, company has paid Interim dividend amounting to ₹1,500/- per equity share and Final Dividend proposed amounting to ₹ 209.52 per equity share.

Total dividend appropriation amounted to ₹ 410.41 lakhs which includes corporate dividend tax of ₹ 68.51 lakhs.

Reconciliation of the number of Shares Outstanding

₹ in lacs

Particulars	Equity Shares			
	As at 31 March 2015		As at 31 March 2014	
	Number	Amount ₹	Number	Amount ₹
Shares outstanding at the beginning of the year	20,000	200.00	20,000	200.00
Shares Issued during the year	-	-	-	-
Shares bought back during the year	-	-	-	-
Any other movement (please specify)	-	-	-	-
Shares outstanding at the end of the year	20,000	200.00	20,000	200.00

Details of Shares Held by Holding Company

Particulars	Nature of Relationship	As at 31 March 2015	As at 31 March 2014
		Number	Number
MSTC Limited	Holding Co	20,000	20,000



पत्री 3: आरक्षित एवं अधिशेष

₹ लाख में

ब्यौरा	सम्प्रति वर्ष 31/03/2015	गत वर्ष 31/03/2014
क. आरक्षित पंजी		
आरंभिक शेष	37.36	37.36
जोड़ : सम्प्रति वर्ष अंतरण	-	-
घटावें : सम्प्रति वर्ष में अपलिखित	-	-
अंतिम शेष	37.36	37.36
ख. सामान्य आरक्षिति		
आरंभिक शेष	14,388.25	13,743.25
जोड़: अधिशेष से सम्प्रति वर्ष अंतरण	1,299.00	645.00
घटावें: सम्प्रति वर्ष में अपलिखित	-	-
घटावें : नियत आस्तियाँ समायोजन रिलेशन (पत्री नं.43)	9.04	-
अंतिम शेष	15,678.21	14,388.25
ग. अधिशेष		
आरंभिक शेष	0.78	0.58
जोड़ : सम्प्रति वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/(शुद्ध हानि)	1,709.52	842.28
घटावें : अंतरिम लाभांश	300.00	-
घटावें : प्रस्तावित लाभांश	41.90	168.45
घटावें : लाभांश वितरण कर	68.52	28.63
घटावें : सामान्य आरक्षिति से अंतरण	1,299.00	645.00
अंतिम शेष	0.88	0.78
योग	15,716.45	14,426.39



Note 3 : RESERVES & SURPLUS

₹ in lacs

Particulars	Current Year 31.03.2015	Previous Year 31.03.2014
a. Capital Reserves		
Opening Balance	37.36	37.36
Add: Current Year Transfer	-	-
Less: Written Back in Current Year	-	-
Closing Balance	37.36	37.36
b. General Reserve		
Opening balance	14,388.25	13,743.25
Add: Current Year Transfer from Surplus	1,299.00	645.00
Less: Written Back in Current Year	-	-
Less: Adjustment relating to Fixed Assets (Refer Note no. 43)	9.04	-
Closing Balance	15,678.21	14,388.25
C. Surplus		
Opening balance	0.78	0.58
Add: Net Profit/(Net Loss) For the current year	1,709.52	842.28
Less: Interim Dividend	300.00	-
Less: Final Dividend	41.90	168.45
Less: Dividend Distribution Tax	68.52	28.63
Less: Transfer to General Reserve	1,299.00	645.00
Closing Balance	0.88	0.78
Total	15,716.45	14,426.39



पत्री 4: अन्य दीर्घकालिक दायित्व

₹ लाख में

व्यौरा	सम्प्रति वर्ष 31/03/2015	गत वर्ष 31/03/2014
अन्य		
कर्मचारी परिवार अनुलाभ योजना के तहत जमाएं	346.27	369.62
कर्मचारी संबंधित अन्य दायित्व	0.13	0.14
योग	346.40	369.76

पत्री 5: दीर्घकालिक प्रावधानें

₹ लाख में

व्यौरा	सम्प्रति वर्ष 31/03/2015	गत वर्ष 31/03/2014
कर्मचारी अनुलाभों के लिए प्रावधान		
अवकाश नकदीकरण (अपव्ययी)	1,951.63	1,555.63
सेवा निवृत्ति पश्चात् चिकित्सा अनुलाभ	1,882.63	902.83
दीर्घ सेवा पुरस्कार (अपव्ययी)	4.03	4.51
कर्मचारी परिवार अनुलाभ योजना (अपव्ययी)	275.06	308.01
सेवा निवृत्ति (अपव्ययी)	38.69	36.45
अन्य		
वृद्धि दावाओं के विरुद्ध विक्रेता को देय दावा	246.56	235.55
योग	4,398.60	3,042.98

पत्री 6: अल्पावधिक उधार

₹ लाख में

व्यौरा	सम्प्रति वर्ष 31/03/2015	गत वर्ष 31/03/2014
प्रतिभूत		
कार्यरत् पूंजी ऋण		
बैंकों से		
इंडियन बैंक, भिलाई के पास अधिकर्ष सीमा (उक्त ऋणों को बैंकों के पास जमा कंपनी की सावधि जमाओं पर बन्धक द्वारा प्रतिभूत किया गया है। सावधि जमा की परिपक्वता अवधि तुलन पत्र तिथि को एक वर्ष से कम है।	2,023.20	1,054.00
योग	2,023.20	1,054.00

**Note 4: OTHER LONG TERM LIABILITIES**

₹ in lacs

Particulars	Current Year 31.03.2015	Previous Year 31.03.2014
Others		
Deposits under EFBS Scheme	346.27	369.62
Other Employee Related Liabilities	0.13	0.14
Total	346.40	369.76

Note 5: LONG TERM PROVISIONS

₹ in lacs

Particulars	Current Year 31.03.2015	Previous Year 31.03.2014
Provision for employee benefits		
Leave Encashment (unfunded)	1,951.63	1,555.63
Post Retirement Medical Benefit	1,882.63	902.83
Long Service Award (unfunded)	4.03	4.51
Employee Family Benefit Scheme (unfunded)	275.06	308.01
Superannuation (unfunded)	38.69	36.45
Others		
Claim payable to vendor against escalation claim	246.56	235.55
Total	4,398.60	3,042.98

Note 6 : SHORT TERM BORROWINGS

₹ in lacs

Particulars	Current Year 31.03.2015	Previous Year 31.03.2014
Secured Working Capital Loan From banks		
Overdraft limit with Indian Bank, Bhilai <i>(The above loans are secured by pledge on fixed deposits of the company held with the banker. The maturity period of fixed deposit is less than one year as on the balance sheet date)</i>	2,023.20	1,054.00
Total	2,023.20	1,054.00



पत्री 7: व्यापारिक देनदारियां

₹ लाख में

ब्यौरा	सम्प्रति वर्ष 31/03/2015	गत वर्ष 31/03/2014
सूक्ष्म लघु मध्यम उधमों के कारण	0.14	3.41
अन्य के कारण	<u>2,344.76</u>	<u>1,549.41</u>
योग	<u>2,344.90</u>	<u>1,552.82</u>

पत्री 8: अन्य सम्प्रति आस्तियाँ

₹ लाख में

ब्यौरा	सम्प्रति वर्ष 31/03/2015	गत वर्ष 31/03/2014
अन्य देनदारियाँ		
कर्मचारी से संबंधित दायित्व	490.70	472.87
वैधानिक दातव्य	440.42	321.32
अन्य दायित्व	<u>1,029.40</u>	<u>892.47</u>
योग	<u>1,960.52</u>	<u>1,686.66</u>

पत्री 9: अल्पावधिक प्रावधानें

₹ लाख में

ब्यौरा	सम्प्रति वर्ष 31/03/2015	गत वर्ष 31/03/2014
(क) कर्मचारी अनुलाभों के लिए प्रावधान		
वेतन पुनरीक्षण की दिशा में	2,644.58	1,187.58
अतिरिक्त संसाधन सृजन योजना की दिशा में	57.93	53.37
सेवानिवृत्ति पश्चात् अनुलाभ योजना की दिशा में		
अवकाश नकदीकरण (अपव्ययी)	124.74	53.52
सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा अनुलाभ (अपव्ययी)	49.64	29.56
दीर्घ सेवा पुरस्कार अपव्ययी	1.75	0.68
कर्मचारी परिवार अनुलाभ योजना (अपव्ययी)	75.88	78.39
सेवानिवृत्ति (अपव्ययी)	3.53	2.10
(ख) अन्य		
प्रस्तावित लाभांश	41.90	168.46
लाभांश वितरण कर	8.53	28.63
अन्य प्रावधान	<u>181.68</u>	<u>154.78</u>
योग	<u>3,190.16</u>	<u>1,757.07</u>

**Note 7: TRADE PAYABLES**

₹ in lacs

Particulars	Current Year	Previous Year
	31.03.2015	31.03.2014
Due to MSME's	0.14	3.41
Due to Others	2,344.76	1,549.41
Total	2,344.90	1,552.82

Note 8 : OTHER CURRENT LIABILITIES

₹ in lacs

Particulars	Current Year	Previous Year
	31.03.2015	31.03.2014
Other payables		
Employee Related Liabilities	490.70	472.87
Statutory Dues	440.42	321.32
Other Liabilities	1,029.40	892.47
Total	1,960.52	1,686.66

Note 9: SHORT TERM PROVISIONS

₹ In lacs

Particulars	Current Year	Previous Year
	31.03.2015	31.03.2014
(a) Provision for employee benefits		
Towards Wage Revision	2,644.58	1,187.58
Towards ARGS	57.93	53.37
Towards Post Retirement Benefit Scheme		
Leave Encashment (unfunded)	124.74	53.52
Post Retirement Medical Benefit (unfunded)	49.64	29.56
Long Service Award (unfunded)	1.75	0.68
Employee Family Benefit Scheme (unfunded)	75.88	78.39
Superannuation (unfunded)	3.53	2.10
(b) Others		
Proposed Dividend	41.90	168.46
Dividend Distribution Tax	8.53	28.63
Other Provision	181.68	154.78
Total	3,190.16	1,757.07



Note 10 : FIXED ASSETS
Note 10.1: Tangible Assets

₹ in lacs

Particulars	Gross Block			Depreciation / Amortisation			NET BLOCK				
	As at 01-04-2014	Additions	Deductions / Adjustments	As at 31-03-2015	As at 01-04-2014	For The Year	Additional Depreciation	Deductions / Adjustments	Upto 31-03-2015	As at 31-03-2015	As at 01-04-2014
Tangible Assets (Under Lease)											
Land	4.13	-	-	4.13	3.17	0.15	-	-	3.32	0.81	0.96
Total (i)	4.13	-	-	4.13	3.17	0.15	-	-	3.32	0.81	0.96
Previous Year (ii)	4.13	-	-	4.13	3.04	0.13	-	-	3.17	0.96	1.22
Tangible Assets											
Buildings	382.14	-	-	382.14	144.67	9.07	-	-	153.74	228.40	237.47
Plant and Equipment	17,509.32	1,443.83	1,995.43	16,957.72	12,692.49	895.52	-	1,873.49	11,714.52	5,243.20	4,816.83
Furniture and Fixtures	72.85	0.20	0.08	72.97	57.46	4.78	-	0.05	62.19	10.78	15.39
Vehicles #	374.56	36.18	19.94	390.80	278.79	17.59	-	17.54	278.84	111.96	95.77
Office equipment #	266.88	14.03	0.76	280.15	155.61	37.99	-	(7.13)	200.73	79.42	111.27
Total (ii)	18,605.75	1,494.24	2,016.21	18,083.78	13,329.02	964.95	-	1,883.95	12,410.02	5,673.76	5,276.73
Previous Year (ii)	18,759.66	1,411.51	1,565.42	18,605.75	13,489.73	995.63	290.85	1,447.17	13,329.04	5,276.71	5,269.92
Total (i+ii)	18,609.88	1,494.24	2,016.21	18,087.91	13,332.19	965.10	-	1,883.95	12,413.34	5,674.57	5,277.69
Previous Year (i+ii)	18,763.78	1,411.51	1,565.42	18,609.88	13,492.77	995.76	290.85	1,447.17	13,332.21	5,277.67	5,271.14

Note 10.2: Intangible Assets

Particulars	Gross Block			Amortisation			NET BLOCK		
	As at 01-04-2014	Additions	Deductions / Adjustments	As at 31-03-2015	As at 01-04-2014	For The Year	Upto 31-03-2015	As at 31-03-2015	As at 01-04-2014
Intangible Assets									
Computer software	16.45	-	-	16.45	9.23	2.14	11.37	5.08	7.22
Total	16.45	-	-	16.45	9.23	2.14	11.37	5.08	7.22
Previous Year	11.38	5.07	-	16.45	7.15	2.08	9.23	7.22	9.30

Note 10.3: Capital Work in Progress

Particulars	₹ in lacs	
	Balance as at 31st March 2015	Balance as at 31st March 2014
Capital Work in Progress	124.13	83.58
Intangible assets under Development	67.25	67.25
Grand Total	191.38	150.83

The land on which the plant and building of the company are situated at Rourkela, Burnpur, Bhillai, Bokaro, Vizag, Durgapur and Duburi are neither freehold nor leasehold. The company has acquired right of free use from landholders as a part of service agreement. The company has however, acquired leasehold land from SAIL - B.S.P., on perpetual lease of 33 years w.e.f. 29th December 1988 on which the Registered Office Building has been constructed, the lease hold land has been amortised over the lease period, however Registered office building constructed on the lease hold land has been depreciated at rate prescribed under Schedule II of Companies Act, 2013 considering that perpetual lease agreement shall be renewed for a further period of 33 years pursuant to clause 6 of lease deed referred above.



पत्री 11: आस्थगित कर

₹ लाख में

ब्यौरा	सम्प्रति वर्ष 31/03/2015	गत वर्ष 31/03/2014
आस्थगित कर दायित्व:	66.91	62.77
आस्थगित कर आस्तियों:		
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	2.12	2.12
संदिग्ध दावा के लिए प्रावधान	8.44	8.44
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	11.46	-
वृद्धि दावा के विरुद्ध विक्रेता को देय दावा के लिए प्रावधान	67.63	63.89
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	555.64	396.83
सेवाकर के लिए ब्याज के लिए प्रावधान	16.50	9.45
मोटर वाहन अधिनियम के तहत ब्याज के लिए प्रावधान	9.57	8.93
	671.36	489.66
योग	604.45	426.89

पत्री 12: दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम

₹ लाख में

ब्यौरा	सम्प्रति वर्ष 31/03/2015	गत वर्ष 31/03/2014
क. प्रतिभूति जमाएँ		
असुरक्षित, उपयुक्त माने गए		
शासकीय विभागों तथा पक्षों के पास प्रतिभूति जमाएँ	88.42	92.71
ख. अग्रिम कर		
आयकर एवं स्रोत पर कर कटौती (शुद्ध प्रावधान)	585.89	937.48
योग	674.31	1,030.19



Note 11: DEFERRED TAXES

₹ in lacs

Particulars	Current Year 31.03.2015	Previous Year 31.03.2014
Deferred Tax Liabilities:	66.91	62.77
Deferred Tax Assets:		
Provision for doubtful advances	2.12	2.12
Provision for doubtful claim	8.44	8.44
Provision for doubtful debts	11.46	-
Provision for claim payable to vendor against escalation claim	67.63	63.89
Provision for leave encashment	555.64	396.83
Provision for Interest on Service Tax	16.50	9.45
Provision for Interest under Motor Vehicle Act	9.57	8.93
	671.36	489.66
Total	604.45	426.89

Note 12 : LONG TERM LOANS & ADVANCES

₹ in lacs

Particulars	Current Year 31.03.2015	Previous Year 31.03.2014
a. Security Deposits		
Unsecured, considered good		
Security deposit with government departments and other parties	88.42	92.71
b. Advance Tax		
Income Tax & TDS (net of provision)	585.89	937.48
Total:	674.31	1,030.19



पत्री 13: अन्य गैर सम्प्रति आस्तियों

₹ लाख में

ब्यौरा	सम्प्रति वर्ष 31/03/2015	गत वर्ष 31/03/2014
गैर चलित वस्तु सूची का संग्रह (3 वर्षों से अधिक अवधि के लिए धारित) घटावें : गैर चलित वस्तु-सूचियों के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान	265.01 131.95	343.19 152.41
	133.06	190.78
अप्रचलित वस्तु सूचि का संग्रह	23.42	23.42
घटावें : प्रचलित परियोजनाओं के लिए वस्तु सूची	15.34	15.34
पूँजी परियोजनाओं के लिए वस्तु सूची	-	83.47
निपटान के प्रत्याश में स्थायी आस्तियों	56.29	15.62
वसूली योग्य दावा तथा अन्य अग्रिमें	17.19	9.50
अन्य बैंक अधिशेष		
दीर्घकालिक बैंक जमाएं*	-	13.16
(बाहर महीनों से अधिक की वास्तविक परिपक्वता के साथ)		
प्रोद्भूत ब्याज किन्तु दीर्घकालिक बैंक जमाओं पर प्राप्य नहीं	-	0.19
योग	214.62	320.80

*उपरोक्त जमाओं में ₹.13.16 लाख तक बैंक प्रत्याभूति व अधिविकर्षण के विरुद्ध इंडियन बैंकों के पास गिरवी शामिल है

पत्री 14: वस्तु सूचियाँ

₹ लाख में

ब्यौरा	सम्प्रति वर्ष 31/03/2015	गत वर्ष 31/03/2014
भंडारण तथा पूर्ण (लागत पर मूल्यांकित अथवा शुद्ध प्राप्य मूल्य, जो भी कम हो)		
खुले औजारों सहित भंडारण व कल पूर्ण	269.05	319.18
जोड़ : पारगमन में माल	48.84	1.41
जोड़ : समायोजन हेतु लंबित शुद्ध कमी	12.70	12.70
	330.59	333.29
मुद्रण एवं लेखन सामग्री मदें	11.39	9.35
स्क्रेप (निपटान के लिए लंबित)	3.88	3.87
योग	345.86	346.51

समायोजन के लिए लंबित वस्तु सूचि कमी के विरुद्ध प्रावधान पत्री सं.9 में "अन्य प्रावधान" में शामिल है।



Note 13 : OTHER NON CURRENT ASSETS

₹ in lacs

Particulars	Current Year 31.03.2015	Previous Year 31.03.2014
Stock of non-moving inventory (held for period more than 3 years)	265.01	343.19
Less: Provision for Diminution in the Value of Non-Moving Inventory	<u>131.95</u>	<u>152.41</u>
	133.06	190.78
Stock of Obsolete Inventory	23.42	23.42
Less: Provision for Obsolete Inventory	<u>15.34</u>	<u>15.34</u>
	8.08	8.08
Inventory for Capital Projects	-	83.47
Fixed Assets Awaiting Disposal	56.29	15.62
Claim Recoverable & Other Advances	17.19	9.50
Other Bank Balances:		
Long Term Bank Deposits* (with Original Maturity of more than twelve months)	-	13.16
Interest Accrued But Not Due on Long Term Bank Deposits	-	0.19
Total:	<u>214.62</u>	<u>320.80</u>

* The above deposits includes Rs. Nil (PY Rs. 13.16 lacs) pledged with Indian banks against Bank Guarantee and overdraft facilities.

NOTE 14 : INVENTORIES

₹ in lacs

Particulars	Current Year 31.03.2015	Previous Year 31.03.2014
Stores and spares (Valued at Cost or Net Realizable value whichever is lower)		
Stores & Spare parts including loose tools	269.05	319.18
Add: Goods in transit	48.84	1.41
Add: Net shortage pending adjustments*	<u>12.70</u>	<u>12.70</u>
	330.59	333.29
Printing & stationery items	11.39	9.35
Scrap (pending for disposal)	<u>3.88</u>	<u>3.87</u>
Total:	<u>345.86</u>	<u>346.51</u>

* Provision against inventory shortage pending adjustment is included in 'Other Provision' in Note no.9



पत्री 15: प्राप्य व्यापार

₹ लाख में

ब्यौरा	सम्प्रति वर्ष 31/03/2015	गत वर्ष 31/03/2014
छः माह से कम अवधि के लिए बकाया प्राप्य व्यापार, जब से वह भुगतान के लिए प्राप्य है		
असुरक्षित, उपयुक्त माना गया	6,297.88	1,297.54
भुगतान के लिए देय की तिथि से छः माह से अधिक अवधि के लिए बकाया प्राप्य व्यापार जब से वह भुगतान के लिए प्राप्य है		
असुरक्षित, उपयुक्त माना गया	72.28	92.17
असुरक्षित, संदिग्ध माना गया	33.72	-
घटावें :संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	33.72	-
	<u>72.28</u>	<u>92.17</u>
योग	6,370.16	1,389.71

समय-समय पर कंपनी संग्रहण के लिए कंपनी की सभी ग्राहक बकायों का मूल्यांकन करती है। प्रावधान के लिए जरूरत का आकलन विनिर्दिष्ट बकायों का संकलन, उद्योग के जोखिम धारणा सहित विविध कारकों पर आधारित है, जिसमें ग्राहक सामान्य आर्थिक कारकों को संचालित करता है जो व्यवस्थित करने के लिए ग्राहकों की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। कंपनी नियतकालिक रूप से भाग या व्याप्त में बकाया राशि की वसूली करती है। कंपनी सामान्य रूप से तुलन-पत्र तिथि को बीजक तिथि से तीन वर्षों या लंबे समय के लिए बकाया देनदार देय राशि के लिए उपबंधित करती है।

पत्री 16: नकदी एवं बैंक अधिशेष

₹ लाख में

ब्यौरा	सम्प्रति वर्ष 31/03/2015	गत वर्ष 31/03/2014
नकदी एवं समतुल्य नकदी		
रोकड़ शेष	3.96	3.17
धनादेश शेष	-	-
बैंकों के पास जमा रकम		
बैंकों के पास चालु खाता में जमा रकम	605.99	50.15
तीन महीने से कम का मूल परिपक्वता के साथ जमा	-	449.00
योग	609.95	502.32
अन्य बैंक अधिशेष		
तीन महीने से अधिक किन्तु बारह माह से कम का मूल परिपक्वता के साथ जमा #	<u>10,723.16</u>	<u>9,550.00</u>
योग	10,723.16	9,550.00
योग	11,333.11	10,052.32

उक्त जमाओं में बैंक प्रत्याभूति एवं अधिविकर्षण सुविधा के विरुद्ध विविध बैंकों के पास गिरवी ₹.3715.16 लाख (गत वर्ष ₹ निरंक) शामिल है।

पत्री 17: अल्पावधिक ऋण एवं अग्रिम

₹ लाख में

ब्यौरा	सम्प्रति वर्ष 31/03/2015	गत वर्ष 31/03/2014
क.अन्य		
कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम		
नकद में वसूली अग्रिम एवं अन्य	118.53	97.93
1.प्रदायकों का अग्रिम		
असुरक्षित उपयुक्त माना गया	<u>106.06</u>	<u>83.79</u>
योग	224.59	181.72

**NOTE 15 : TRADE RECEIVABLES**

₹ in lacs

Particulars	Current Year 31.03.2015	Previous Year 31.03.2014
Trade receivables outstanding for a period less than six months from the date they are due for payment		
Unsecured, considered good	6,297.88	1,297.54
Trade receivables outstanding for a period exceeding six months from the date they are due for payment		
Unsecured, considered good	72.28	92.17
Unsecured, considered doubtful	33.72	-
Less: Provision for doubtful debts	33.72	-
	<u>72.28</u>	<u>92.17</u>
Total:	6,370.16	1,389.71

Periodically the company evaluates all customer dues to the company for collectability. The need for provision is assessed based on various factors including collectability of specific dues, risk perception of the industry in which the customer operates, general economic factors which could affect the customers ability to settle. The company pursues the recovery of the dues, in part or full. The company normally provides for debtors dues outstanding for three years or longer from the invoice date, as at the Balance Sheet date.

Note 16 : CASH & BANK BALANCES

₹ in lacs

Particulars	Current Year 31.03.2015	Previous Year 31.03.2014
Cash and cash equivalents		
Cash in Hand	3.96	3.17
Cheque in Hand	-	-
Balances with Banks		
Balances with banks in Current Accounts	605.99	50.15
Deposits with Original Maturity of less than three months	-	449.00
Total:	609.95	502.32
Other Bank Balances		
Deposits with Original Maturity of more than three months but less than twelve months #	10,723.16	9,550.00
Total:	10,723.16	9,550.00
Total:	11,333.11	10,052.32

The above deposits includes ₹.3715.16 lakhs (PY ₹ Nil) pledged with various banks against Bank Guarantee & Overdraft facility.

Note 17 : SHORT TERM LOANS & ADVANCES

₹ in lacs

Particulars	Current Year 31.03.2015	Previous Year 31.03.2014
a. Others		
Loans & Advances To Employees		
Advance & other recoverable in cash	118.53	97.93
1. Advance to Suppliers		
Unsecured, considered good	106.06	83.79
Total:	224.59	181.72



पत्री 18: अन्य मौजूदा आस्तियाँ।

₹ लाख में

ब्यौरा	सम्प्रति वर्ष 31/03/2015	गत वर्ष 31/03/2014
निपटान के प्रत्याश में स्थायी आस्तियाँ	217.04	199.75
अप्राप्यक राजस्व	3,338.89	3,557.67
वसूली योग्य दावा व अन्य अग्रिम		
अप्राप्यक राजस्व		
असुरक्षित उपयुक्त माना गया	80.87	60.58
असुरक्षित संदिग्ध माना गया	-	-
घटावें: संदिग्ध माना गया	33.72	-
	47.15	60.58
सावधि जमा पर प्रोदभूत ब्याज	410.14	812.13
सेवा कर संभजन	235.76	244.06
इस्पात संयंत्रों तथा अन्य पक्षों के पास प्रतिभूति जमा	293.12	31.63
योग	4,542.10	4,905.82

पत्री 19: प्रचालनों से राजस्व

₹ लाख में

ब्यौरा	सम्प्रति वर्ष 31/03/2015	गत वर्ष 31/03/2014
स्क्रेप से प्रक्रमण तथा अन्य फुटकर कार्यों से सेवा प्रभार	26,096.98	22,100.95
गोदाम प्रबंधन सेवा से आय	313.47	313.48
योग	26,410.45	22,414.43

पत्री 20: अन्य आय

₹ लाख में

ब्यौरा	सम्प्रति वर्ष 31/03/2015	गत वर्ष 31/03/2014
ब्याज आय		
आवर्ति सावधि जमा पर ब्याज	970.96	977.74
अन्य ब्याज	0.87	0.59
अन्य		
परिनिर्धारित क्षति-मूल्य एवं अन्य वसूलियाँ	19.12	11.11
कर्मचारियों को निर्गत सामग्रियों से प्राप्ति	0.03	0.33
प्रावधान अब जरूरी नहीं अपलिखित	142.68	362.49
विविध आय	34.27	20.98
योग	1,167.93	1,373.24

**Note 18 : OTHER CURRENT ASSETS**

₹ in lacs

Particulars	Current Year 31.03.2015	Previous Year 31.03.2014
Fixed Assets Awaiting Disposal	217.04	199.75
Unbilled revenue	3,338.89	3,557.67
Claim Recoverable & Other Advance		
Unbilled revenue		
Unsecured, Considered Good	80.87	60.58
Unsecured, Considered Doubtful	-	-
Less: Considered Doubtful	33.72	-
	47.15	60.58
Interest Accrued on Term Deposit	410.14	812.13
Service Tax Set Off	235.76	244.06
Security deposit with steel plants & Other parties	293.12	31.63
Total:	4,542.10	4,905.82

Note 19 : REVENUE FROM OPERATIONS

₹ in lacs

Particulars	Current Year 31.03.2015	Previous Year 31.03.2014
Service charges from processing of Scrap & other miscellaneous jobs	26,096.98	22,100.95
Income from Custodian Services for Warehouse Management	313.47	313.48
Total:	26,410.45	22,414.43

Note 20 : OTHER INCOME

₹ in lacs

Particulars	Current Year 31.03.2015	Previous Year 31.03.2014
Interest Income		
Interest on FDR	970.96	977.74
Other Interest	0.87	0.59
Others		
Liquidated damages and other recoveries	19.12	11.11
Receipt from materials issued to employees	0.03	0.33
Provision no longer required written back	142.68	362.49
Miscellaneous Income	34.27	20.98
Total:	1,167.93	1,373.24



पत्री 21: उपभोगित सामग्री की लागत

₹ लाख में

व्यौरा	प्रारंभिक माल	खरीद	शेष मॉल	सम्प्रति वर्ष	गत वर्ष
				31/03/2015	31/03/2014
				उपभोग	उपभोग
लांसिंग ट्यूब	13.65	46.93	12.21	48.37	50.86
ऑक्सीजन तथा एसीटिलिन	0.29	39.22	0.37	39.14	52.85
स्नेहक	38.68	185.03	23.67	200.04	206.76
डीजल तथा गैसोलीन	35.78	1,902.16	34.45	1,903.49	1,984.24
भण्डारण तथा कल-पूर्जे	657.44	617.58	463.36	811.66	882.69
योग	745.84	2,790.92	534.06	3,002.70	3,177.40

पत्री 22: कर्मचारी अनुलाभ व्यय

₹ लाख में

व्यौरा	सम्प्रति वर्ष	गत वर्ष
	31/03/2015	31/03/2014
क. वेतन एवं प्रोत्साहन		
बोनस	-	0.02
श्रम उपाहार	87.72	81.10
वेतन एवं मजदूरी	6,029.62	5,874.48
ख. अंशदान		
(i) भविष्य निधि तथा अन्य निधि में	602.99	590.19
(ii) उपदान निधि अंशदान में	500.00	400.00
ग. कर्मचारी कल्याण खर्च	3,565.51	1,358.05
योग	10,785.84	8,303.84

पत्री 23: वित्त लागतें

₹ लाख में

व्यौरा	सम्प्रति वर्ष	गत वर्ष
	31/03/2015	31/03/2014
ब्याज खर्च	121.89	121.27
बैंक प्रभार	1.90	1.36
योग	123.79	122.63

पत्री 24: अन्य व्यय

₹ लाख में

व्यौरा	सम्प्रति वर्ष		गत वर्ष	
	31/03/2015		31/03/2014	
जल बिजली एवं ऑक्सीजन	361.70		294.90	
ठेकेदार के माध्यम से सेवाओं की लागत	1,993.69		1,943.14	
उपस्कर एवं अन्य किराया	6,477.40		5,803.56	
बीमा	37.76		35.60	
दर एवं कर	99.84		22.44	
भत्तों सहित यात्रा	107.76		110.66	
सुरक्षा सेवाएं	362.33		351.08	
अमान्य ऋण बट्टा खाता	-		220.16	
मरम्मत एवं अनुरक्षण				
मशीनरी की मरम्मत	273.52		247.92	
अन्य की मरम्मत	54.60	328.12	52.79	300.71
फुटकर खर्च	374.18		511.03	
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक				
वैधानिक लेखा परीक्षण शुल्क	1.00		1.00	
बाहरी खर्च	1.25		1.25	
कर लेखा परीक्षण शुल्क	0.20		0.20	
प्रमाणन शुल्क	0.05	2.50	0.05	2.50
योग	10,145.28		9,595.78	

**Note 21 : COST OF MATERIAL CONSUMED**

₹ in lacs

Particulars	Opening Stock	Purchase	Closing Stock	Current Year 31.03.2015 Consumption	Previous Year 31.03.2014 Consumption
Lancing Tubes	13.65	46.93	12.21	48.37	50.86
Oxygen & Acetylene	0.29	39.22	0.37	39.14	52.85
Lubricants	38.68	185.03	23.67	200.04	206.76
Diesel & Gasolene	35.78	1,902.16	34.45	1,903.49	1,984.24
Stores & Spare Parts	657.44	617.58	463.36	811.66	882.69
Total:	745.84	2,790.92	534.06	3,002.70	3,177.40

Note 22 : EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES

₹ in lacs

Particulars	Current Year 31.03.2015	Previous Year 31.03.2014
(a) Salaries and incentives		
Bonus	-	0.02
Labour Refreshment	87.72	81.10
Salary & Wages	6,029.62	5,874.48
(b) Contributions to -		
(i) Provident and other fund	602.99	590.19
(ii) Gratuity fund contributions	500.00	400.00
(c) Staff welfare expenses	3,565.51	1,358.05
Total:	10,785.84	8,303.84

Note 23 : FINANCE COSTS

₹ in lacs

Particulars	Current Year 31.03.2015	Previous Year 31.03.2014
Interest expense	121.89	121.27
Bank Charges	1.90	1.36
Total:	123.79	122.63

Note 24 : OTHER EXPENSES

₹ in lacs

Particulars	Current Year 31.03.2015	Previous Year 31.03.2014
Water, Power & Oxygen	361.70	294.90
Cost of Services Through Contractor	1,993.69	1,943.14
Equipment & Other Rent	6,477.40	5,803.56
Insurance	37.76	35.60
Rates & Taxes	99.84	22.44
Travelling including allowances	107.76	110.66
Security Services	362.33	351.08
Bad Debts Written off	-	220.16
Repair And Maintenance		
Repairs to Machinery	273.52	247.92
Repairs to Others	54.60	52.79
	328.12	300.71
Miscellaneous Expenses	374.18	511.03
Auditors Remuneration		
Statutory Audit Fees	1.00	1.00
Out of Pocket Expenses	1.25	1.25
Tax Audit Fees	0.20	0.20
Certification Fees	0.05	0.05
	2.50	2.50
Total	10,145.28	9,595.78



पत्री 25: असाधारण तथा असामान्य प्रकृति के मदों का ब्यौरा

₹ लाख में

ब्यौरा	सम्प्रति वर्ष 31/03/2015	गत वर्ष 31/03/2014
1. अवधारणा मदें		
क. व्यय		
क.संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (3 वर्षों से अधिक के लिए बकाया ऋणों हेतु)	33.72	-
ख. वृद्धि दावा के विरुद्ध विक्रेता को देय दावा के लिए प्रावधान	12.89	11.00
ग. अन्य पक्षों को देय दावा के लिए प्रावधान	60.99	54.80
घ. स्थायी आस्तियों के विक्रय/निपटान पर शुद्ध हानि	(28.13)	15.43
ख. आय		
क. प्रावधान अब जरूरी नहीं	2.81	2.43
ख. प्रयुक्त एवं अनुपयोगी कल पूजों का विक्रय	61.33	30.04
योग (क-ख)	15.33	48.76

पत्री 26: पूर्वावधिक मदों का ब्यौरा

₹ लाख में

ब्यौरा	सम्प्रति वर्ष 31/03/2015	गत वर्ष 31/03/2014
आय/खर्च		
वस्तु सूची	(1.80)	
प्रतिलिखित आस्ति	-	-
सेवा प्रभार	-	(7.74)
योग	(1.80)	(7.74)

पत्री 27: प्रति अंश उपार्जन

₹ लाख में

ब्यौरा	सम्प्रति वर्ष 31/03/2015	गत वर्ष 31/03/2014
साभ्यांश धारकों के लिए उपलब्ध लाभ एवं हानि खाता के अनुसार शुद्ध लाभ/(हानि)	1,709.52	842.28
प्रति अंश उपार्जन अभिकलन के लिए साम्यांशों का भारित औसत संख्या		
1.प्रति अंश मौलिक उपार्जन के लिए	20 000.00	20,000.00
2.प्रति अंश तनुकृत उपार्जन के लिए	20 000.00	20,000.00
प्रति अंश उपार्जन		
मौलिक	8,547.59	4211.39
तनुकृत	8,547.59	4211.39

**Note 25 : DETAILS OF ITEMS OF EXCEPTIONAL AND EXTRAORDINARY NATURE**

₹ in lacs

Particulars	Current Year 31.03.2015	Previous Year 31.03.2014
1. Exceptional Items:		
A. Expenditure		
a. Provision for Doubtful Debt (For debt outstanding for more than 3 years)	33.72	-
b. Provision for claim payable to vendor against escalation claim	12.89	11.00
c. Provision for claim payable to other parties	60.99	54.80
d. Net Loss on Sale / Disposal of Fixed Assets	(28.13)	15.43
B. Income		
a. Provision No Longer Required	2.81	2.43
b. Sale of used & unserviceable spares	61.33	30.04
Total (A-B)	<u>15.33</u>	<u>48.76</u>

Note 26 : DETAILS OF PRIOR PERIOD ITEMS

₹ in lacs

Particulars	Current Year 31.03.2015	Previous Year 31.03.2014
Income / (Expenses)		
Depreciation	(1.80)	
Inventory		
Asset Write Back	-	-
Service Charge	-	(7.74)
Total	<u>(1.80)</u>	<u>(7.74)</u>

Note 27 : EARNINGS PER SHARE

₹ in lacs

Particulars	Current Year 31.03.2015	Previous Year 31.03.2014
Net Profit/(Loss) as per Profit & Loss Account available for Equity Shareholders	1,709.52	842.28
Weighted Average number of equity shares for Earnings per Share computation		
1. For Basic Earnings per Share	20,000.00	20,000.00
2. For Diluted Earnings per Share	20,000.00	20,000.00
Earnings per Share		
Basic	8,547.59	4,211.39
Diluted	8,547.59	4,211.39



पत्री 28: समाश्रित दायित्व एवं प्रतिबद्धताएँ

क्र.सं.	ब्यौरा	सम्प्रति वर्ष 31/03/2015	गत वर्ष 31/03/2014
1. समाश्रित दायित्व			
(क) कंपनी के विरुद्ध दावा ऋण के रूप में स्वीकार नहीं			
1.	अधिनिर्णित के तहत भूतपूर्व कर्मचारियों व अन्य को क्षतिपूर्ति के लिए अनुमान	62.51	60.85
2.	सिविल न्यायाधीश, अलीबाग के पास सिविलवाद के अनुसार आडम्बर इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा डोल्वी में मरम्मत कार्य के लिए	28.31	25.57
उपयोग:-		90.82	86.42
(ख) सेवा कर			
1.	सीईएसटीएटी, कोलकाता के समक्ष लंबित केन्द्रीय उत्पाद, जाजपुर के अधीक्षक की माँग के अनुसार डुबुरी इकाई में 'कार्गो हैण्डलिंग सेवाओं' पर सेवा कर	63.57	50.93
2.	बोकारो इकाई में 'व्यापार पूरक सेवाओं' पर सेवा कर, जैसे कि केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, राँची के आयुक्त ने आदेश दिया है, आयुक्त राँची तथा सीईएसटीएटी, कोलकाता के समक्ष लंबित है।	1,699.25	1,600.27
3.	बर्नपुर इकाई में 'व्यापार पूरक सेवाओं' पर सेवा कर, जैसे कि अतिरिक्त आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, बोलपुर तथा सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, आसनसोल ने आदेश दिया है, आयुक्त (अपील), कोलकाता के समक्ष लंबित है।	211.96	195.04
4.	भिलाई इकाई में 'कार्गो हैण्डलिंग सेवाओं' पर सेवा कर, जैसे कि केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, रायपुर ने आदेश दिया है, सीईएसटीएटी, दिल्ली के समक्ष लंबित है।	259.48	242.84
5.	डुबुरी इकाई में 'कार्गो हैण्डलिंग सेवाओं' पर सेवाकर, जैसे कि आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद, भुवनेश्वर ने मई, 2004 से मार्च, 2007 का अवधि के लिए माँग की है, आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद, भुवनेश्वर के समक्ष लंबित है।	374.25	372.45
6.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र तथा एलाय इस्पात संयंत्र में क्रमशः अप्रैल, 2003 से मार्च, 2008 तथा अक्टूबर, 2003 से नवंबर, 2008 की अवधि के लिए 'व्यापार पूरक सेवा' तथा 'कार्गो हैण्डलिंग सेवाओं' पर सेवा कर, सीईएसटीएटी, कोलकाता के समक्ष लंबित है।	2,362.50	2,219.14
7.	अप्रैल, 2008 से मई, 2009 तथा जून, 2009 से सितंबर, 2009 की अवधि के लिए क्रमशः 'व्यापार पूरक सेवा' तथा 'कार्गो हैण्डलिंग सेवाओं' पर सेवा कर, सीईएसटीएटी, कोलकाता तथा आयुक्त, कोलकाता के समक्ष लंबित है।	690.48	557.56
8.	डुबुरी इकाई में 'कार्गो हैण्डलिंग सेवाओं' पर सेवाकर, जैसे कि अप्रैल, 2009 से मार्च, 2010 की अवधि के लिए आयुक्त, भुवनेश्वर ने माँग की है सीईएसटीएटी, कोलकाता के समक्ष लंबित है।	163.09	96.09
9.	दुर्गापुर इकाई में 'व्यापार पूरक सेवा' पर सेवाकर, जैसे कि अक्टूबर, 2009 से मार्च, 2010 की अवधि के लिए आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद, बोलपुर से माँग की है, सीईएसटीएटी, कोलकाता के समक्ष लंबित है।	178.30	103.16
10.	डुबुरी इकाई में 'कार्गो हैण्डलिंग सेवाओं' हेतु आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद, भुवनेश्वर द्वारा अप्रैल, 2007 से मार्च, 2009 की अवधि के लिए माँग की गई है, आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद, भुवनेश्वर के समक्ष लंबित है।	226.06	209.63
उप योग		6,228.94	5,647.11



₹ in lacs

Note 28 : CONTINGENT LIABILITIES & COMMITMENTS

SI No.	Particulars	Current Year 31.03.2015	Previous Year 31.03.2014
(i) Contingent Liabilities			
A. Claims against the company not acknowledged as debt			
1	For compensation to ex-employees and others under adjudication estimated at	62.51	60.85
2	For repair job at Dolvi Unit claimed by M/s Audumber Engineering Works as per Civil Suit with Civil Judge, Alibag	28.31	25.57
	Sub Total:	90.82	86.42
B. Service Tax			
1	Service tax on "Cargo Handling Services" at Duburi unit as demanded by Suptd. of Central Excise, Jajpur.(net of payment made) pending before CESTAT, Kolkata.	63.57	50.93
2	Service Tax on "Business Auxiliary Services" at Bokaro unit as ordered by Commissioner Central Excise and Customs, Ranchi, pending before Commissioner, Ranchi and CESTAT, Kolkata	1,699.25	1,600.27
3	Service tax on "Business Auxiliary Services" at Burnpur unit as ordered by Additional Commissioner, Central Excise & Customs, Bolpur and Assistant Commissioner, Central Excise and Custom, Asansol pending before Commissioner (Appeal), Kolkata	211.96	195.04
4	Service tax on "Cargo Handling Services" at Bhilai unit as ordered by Commissioner of Central Excise and Customs, Raipur, pending before CESTAT, Delhi.	259.48	242.84
5	Service tax on "Cargo Handling Services" at Duburi unit Demanded by Commissioner, Central Excise, Bhubaneswar for the period from May 2004 to March 2007, pending before Commissioner, Central Excise, Bhubaneswar	374.25	372.45
6	Service tax on "Business Auxilliary Service" and "Cargo Handling Services" at Durgapur Steel Plant and Alloy Steel Plant for the period from April 2003 to March 2008 and October 2003 to November 2008 respectively, pending before CESTAT; Kolkata.	2,362.50	2,219.14
7	Service Tax on "Business Auxillary Service" and "Cargo Handling Services" at Durgapur Steel Plant for the period April'2008 to May'2009 and June'2009 to September'2009 respectively, pending before CESTAT, Kolkata and Commissioner, Kolkata.	690.48	557.56
8	Service Tax on "Cargo Handling Services" at Duburi unit as demanded by Commissioner, Bhubaneswar for the period April'2009 to March'2010 is pending before CESTAT, Kolkata.	163.09	96.09
9	Service Tax on "Business Auxillary Service" at Durgapur Unit as demanded by Commissioner, Central Excise, Bolpur for the period October 2009 to March 2010, is pending before CESTAT, Kolkata.	178.30	103.16
10	Service tax on "Cargo Handling Services" at Duburi unit Demanded by Commissioner, Central Excise, Bhubaneswar for the period from April 2007 to March 2009, pending before Commissioner, Central Excise, Bhubaneswar	226.06	209.63
	Sub Total:	6,228.94	5,647.11



पत्री 28: समाश्रित दायित्व एवं प्रतिबद्धता

₹ लाख में

क्र.सं.	व्यौरा	सम्प्रति वर्ष 31/03/2015	गत वर्ष 31/03/2014
(ग). विक्रय कर तथा अन्य कर			
1.	राउरकेला इकाई में विक्रय कर तथा प्रवेश कर के लिए ओडिशा विक्रय कर विभाग की माँग के रूप में विक्रय कर न्यायाधिकरण, कटक के समक्ष लंबित है।	46.50	46.50
2.	अधिसूचित क्षेत्र परिषद, राउरकेला (इस्पात नगरी) द्वारा डम्परो, डोजरो आदि जैसे-भारी भू-उपस्करणों पर चुंगी के लिए ओडिशा उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।	3.24	3.24
	उप योग	49.74	49.74
(घ). बकाया बैंक प्रत्याभू			
	उप योग	58.88	48.82
	सकल योग	6,428.38	5,832.09
(2) प्रतिबद्धता			
(क).	पूँजीगत लेखा पर निष्पादित किये जाने हेतु शेष ठेके की अनुमानित रकम तथा जिसके लिए व्यवस्था नहीं की गई (भुगतान का शुद्ध)	89.80	270.02

पत्री 29: विदेशी मुद्रा में खर्च

₹ लाख में

क्र.सं.	व्यौरा	सम्प्रति वर्ष 31/03/2015	गत वर्ष 31/03/2014
1.	अपव्यय एवं पूर्ण (एफओबी आधारित मूल्य)	-	7.36
2.	यात्रा खर्च के परिप्रेक्ष्य में	-	2.28
	योग	-	9.64

पत्री 30: संबंधित पक्ष संव्यवहार

संबंधित पक्षों की सूची, जहाँ नियंत्रण मौजूद है तथा संबंधित पक्षों, जिसके साथ संव्यवहार तथा संबंध बनाए गए हैं:-

₹ लाख में

क्र.सं.	संबंधित पक्ष का नाम	संबंधित पक्ष संबंध की प्रकृति	संव्यवहार की प्रकृति	सम्प्रति वर्ष 31/03/2015	गत वर्ष 31/03/2014
1.	एम.एस.टी.सी.लिमिटेड	नियंत्रणी कंपनी	अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक के लिये किये गये खर्च का आंशिक वहन	7.34	-
2.	श्री राजीव भट्टाचार्य (9 फरवरी, 2015 को प्रभार ग्रहण किया)	प्रबंध निदेशक	पारिश्रमिक	3.06	-

पत्री 31

गत वर्षों के ऑकड़ों को जहाँ, आवश्यक हो, विभाजित तथा पूनर्समूहीकृत किया गया ताकि सम्प्रति वर्ष के ऑकड़ों के अनुरूप हो सके।

पत्री 32

वर्तमान आस्तियाँ, ऋणों एवं अग्रिमों उत्तम एवं वसूली योग्य है तथा मूल्यों के करीब-करीब है यदि जब तक व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में कार्यान्वित होता है एवं लेखाओं में एक सीमा तक अन्यथा न कहा गया। भुगतये व्यापार, प्राप्य व्यापार, ऋणों एवं अग्रिमों का अधिशेष समाधान तथा पुष्टि करने के अधीन है।

पत्री 33

तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि खाता उसके साथ उपाबद्ध पठित टिप्पणियाँ तैयार करता है ताकि कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत अपेक्षित सूचना के साथ-साथ वर्ष की समाप्ति को कंपनी की स्थिति का विवरण तथा समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी के परिणामों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण का खुलासा हो।

**Note 28 : CONTINGENT LIABILITIES & COMMITMENTS**

		₹ in lacs	
Sl No.	Particulars	Current Year 31.03.2015	Previous Year 31.03.2014
C. Sales Tax and Other Taxes			
1	For Sales Tax and Entry Tax at Rourkela unit as demanded by Orissa Sales Tax Department, pending before Sales Tax Tribunal, Cuttack.	46.50	46.50
2	For Octroi on heavy earthmoving equipment like Dumpers, Dozers etc. by Notified Area Council, Rourkela (Steel Township), pending before Orissa High Court	3.24	3.24
	Sub Total:	<u>49.74</u>	<u>49.74</u>
D. Outstanding Bank Guarantees			
		<u>58.88</u>	<u>48.82</u>
	Sub Total:	<u>58.88</u>	<u>48.82</u>
	Grand Total:	<u>6,428.38</u>	<u>5,832.09</u>
(ii) Commitments			
A.	Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advance)	89.80	270.02

Note 29: EXPENDITURE IN FOREIGN CURRENCY

		₹ in lacs	
Sl No.	Particulars	Current Year 31.03.2015	Previous Year 31.03.2014
1	Components & Spares (Value on FOB basis)	-	7.36
2	Towards Travel Expenses	-	2.28
	Total:	<u>-</u>	<u>9.64</u>

Note 30: RELATED PARTY TRANSACTIONS

List of related parties where control exists and related parties with whom transaction has taken place and Relationships:

				₹ in lacs	
Sl. No.	Name of Related Party	Nature of Related Party Relationship	Nature of Transaction	Current Year 31.03.2015	Previous Year 31.03.2014
		Holding Company	Sharing of Expense for CMD	7.34	-
1	MSTC Ltd				
2	Shri Rajib Bhattacharya (Taken over charge on 9th February 2015)	Managing Director	Remuneration	3.06	-

Note 31

Figures of Previous Years have been split up and regrouped wherever necessary so as to correspond to current year's figures.

Note 32

The current assets, loans and advances are good and recoverable and are approximately of the values, if realized in the ordinary course of business unless and to the extent stated otherwise in the accounts. Balances of trade payables, trade receivables, loans and advances are subject to reconciliation and confirmation.

Note 33

Balance Sheet and Profit & Loss Account read together with the notes thereon, are drawn up so as to disclose the information required under The Companies Act, 1956 as well as give a true and fair view of the statement of affairs of the Company as at the end of the year and results of the Company for the year under review.



- 34.क) रायपुर के आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद ने अप्रैल,08 से सितंबर,08 की अवधि के लिए भिलाई इकाई में स्क्रेप की रिकवरी एवं प्रक्रमण के कार्यों हेतु 'कार्गो हैंडलिंग सेवाओं' पर सेवा कर के परिप्रेक्ष्य में ₹152.05 लाख का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कंपनी द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया है तथा मामले में व्यक्तिगत सुनवाई की जा रही है एवं अब आदेश प्राप्त की जानी है।
- ख) रायपुर के आयुक्त, केन्द्रीय आबकारी ने अक्टूबर 2009 से मार्च, 2010 की अवधि के लिए भिलाई इकाई में स्क्रेप की रिकवरी एवं प्रक्रमण के कार्यों के लिए 'कार्गो हैंडलिंग सेवाओं' पर सेवा कर के परिप्रेक्ष्य में ₹181.68 लाख का कारण बताओ नोटिस जारी की है। कारण बताओ नोटिस का जवाब आयुक्त, केन्द्रीय आबकारी, रायपुर को प्रस्तुत कर दिया गया है तथा जबकि व्यक्तिगत सुनवाई लंबित है।
- ग) रायपुर के आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद ने अक्टूबर 2008 से सितंबर 2009 की अवधि के लिए भिलाई इकाई में स्क्रेप की रिकवरी एवं प्रक्रमण के कार्यों के लिए 'कार्गो हैंडलिंग सेवाओं' पर सेवा कर के परिप्रेक्ष्य में ₹245.72 लाख का कारण बताओ नोटिस जारी की है। कंपनी द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया है तथा मामले में व्यक्तिगत सुनवाई की जा रही है एवं अब आदेश प्राप्त की जानी है।
- घ) राँची के आयुक्त, केन्द्रीय आबकारी ने फरवरी 2008 से मार्च, 2010 की अवधि के लिए बोकारो इकाई में स्क्रेप की रिकवरी एवं प्रक्रमण के कार्यों के लिए 'व्यापार पूरक सेवाओं' पर सेवा कर के परिप्रेक्ष्य में ₹146.96 लाख का कारण बताओ नोटिस जारी की है। कंपनी द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया है जबकि व्यक्तिगत सुनवाई लंबित है।
- ड.) बोलपुर के अतिरिक्त आयुक्त, केन्द्रीय आबकारी ने अक्टूबर 2008 से सितंबर 2009 की अवधि के लिए दुर्गापुर इकाई में स्क्रेप की रिकवरी एवं प्रक्रमण के कार्यों के लिए 'व्यापार पूरक सेवाओं' पर सेवा कर के परिप्रेक्ष्य में ₹22.20 लाख का कारण बताओ नोटिस जारी की है। कंपनी द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया है जबकि व्यक्तिगत सुनवाई लंबित है।
- च.) अतिरिक्त आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद और सेवाकर रायगढ़ आयुक्तालय ने वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2012-13 के लिए डोलवी इकाई में स्क्रेप की रिकवरी एवं प्रक्रमण के कार्यों के लिये व्यापार पूरक सेवाओं पर सेवा कर के परिप्रेक्ष्य में ₹44.40 लाख का कारण बताओ नोटिस जारी की है। कम्पनी द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया है जबकि व्यक्तिगत सुनवाई लंबित है।
35. कंपनी अपनी स्थायी आस्तियों की अग्रेषित राशियों को पूरी कंपनी का मानते हुए रोकड़ उत्सर्जक इकाई (सीजीयू) के रूप में पुनर्विलोकन करती है। अतएवं, कंपनी (रोकड़ उत्सर्जक इकाई होने से) ने अपनी स्थायी आस्तियों की अग्रेषित राशियों को भावी नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य से तुलना की है तथा यह किसी भी क्षीणता को परिलक्षित नहीं करता है।
36. एम एस एम ई को देय रकम (जैसा कि पत्री 7 में प्रकटित है) की सीमा ऐसे परिचिन्हित संस्थानों के अनुरूप है। कम्पनी ने सामान्यतः एम एस एम ई इकाइयों को नियत समय में भुगतान करती है एवं यहाँ ब्याज अथवा अतिशोध्य भुगतान के लिए पक्षों द्वारा कोई दावा नहीं किया गया है।
37. हरिद्वार इकाई की अनंतिम आय रूपये निरंक मानी गयी है। (गत वर्ष की आय ₹6.01 लाख थी)
38. गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण का अनुबंध 31 दिसंबर, 2011 को समाप्त हो गया है। 1 जनवरी, 2012 के प्रभाव से नया अनुबंध का निर्णय लंबित है, वेतन पुनरीक्षण के परिप्रेक्ष्य में वर्ष के लिए अनुमानित ₹969.51 लाख का प्रावधान मुहैया कराया गया है।
39. राईएनएल विशाखापट्टणम के साथ दीर्घकालिक अनुबंध दिनांक 31 अक्टूबर 2014 को समाप्त हो गई है। समाप्त अनुबंध में नवम्बर 2014 से मार्च 2015 की अवधि के लिए सेवा दर दिनांक 31.10.2014 के प्रचलित दर के अनुसार मानी गई है।
40. प्रबंधन द्वारा गठित आंतरिक तकनीकी समीक्षा समिति के द्वारा अप्रचलित वस्तु सूची मदों को चिन्हित किया गया है। समिति सभी इकाइयों के लिए वर्ष 2013-14 में प्रतिवेदन प्रस्तुत की है। समिति ने कंपनी की कुल वस्तु सूचियों के अलावे रकम ₹23.42 लाख का अप्रचलित वस्तु सूची चिन्हित की है। इसके आगे समिति ने इन अप्रचलित वस्तु सूचियों के विरुद्ध ₹8.08 लाख शुद्ध प्राप्य मूल्य प्राक्कलित की है।



34. a) The Commissioner, Central Excise of Raipur has issued show cause notice for ₹ 152.05 lakhs towards service tax on "Cargo Handling Services" for the jobs of recovery and processing of scrap at Bhilai unit for the period April '08 to September'08. The reply of above show cause notice is already submitted by the company, personal hearing in the matter is being conducted however order is yet to be received.
- b) The Commissioner, Central Excise of Raipur has issued show cause notice of ₹ 181.68 lakhs towards service tax on "Cargo Handling Services" for the job of recovery and processing of scrap at Bhilai unit for the period Oct'2009 to March'2010. The reply to the show cause notice has been submitted to Commissioner, Central Excise, Raipur, however personal hearing is pending.
- c) The Commissioner, Central Excise of Raipur has issued show cause notice of ₹ 245.72 lakhs towards service tax on "Cargo Handling Services" for the job of recovery and processing of scrap at Bhilai unit for the period Oct'2008 to September'2009. The reply of above show cause notice is already submitted by the company, personal hearing in the matter is being conducted however order is yet to be received.
- d) The Commissioner, Central Excise of Ranchi has issued show cause notice of ₹ 146.96 lakhs towards service tax on "Business Auxiliary Services" for the job of recovery and processing of scrap at Bokaro unit for the period February'2008 to March'2010. The reply of above show cause notice is already submitted by the company, however personal hearing is pending.
- e) The Addl. Commissioner, Central Excise of Bolpur has issued show cause notice of ₹ 22.20 lakhs towards service tax on "Business Auxiliary Services" for the job of recovery and processing of scrap at Durgapur unit for the period October'2008 to September'2009. The reply of above show cause notice is already submitted by the company, however personal hearing is pending.
- f) The Addl. Commissioner, Central Excise & Service Tax, Raigad Commissionerate issued show cause notice of ₹ 44.40 lakhs towards service tax on "Business Support Service" for the job of recovery and processing of scrap at Dolvi unit for the year 2009-10, 2010-11 and 2012-13. The reply of the above show cause notice already submitted by the company, however personal hearing is pending.
35. The company reviews the carrying amount of its fixed assets treating the entire company as a Cash Generating Unit (CGU). Hence, the company (being a CGU) has compared the carrying amount of its fixed assets with present value of future cash flows and it does not show any impairment.
36. The amount due to MSME (as disclosed in Note 7) is to the extent such undertakings have been identified. The company has normally made payment to MSME units in due time and there are no claim from the parties for interest or overdue payment.
37. Provisional income at Haridwar Unit has been considered as ₹ Nil (Previous Year ₹ 6.01 Lakhs)
38. The Agreement for Wage revision of Non executive employees expired on 31st December 2011. Pending finalization of the fresh agreement w.e.f. 1st January 2012, a provision of ₹ 969.51 lakhs for the year towards wage revision has been estimated and provided.
39. Long term agreement with RINL, Vizag has been expired on 31st October 2014. The service charges for the period Nov'2014 to March'2015 has been considered with the rate prevailing as on 31.10.2014 in the expired agreement.
40. Obsolete inventory items are identified by internal technical review committee duly constituted by the management. The committee submitted the report in the FY 2013-14 for all the units. The committee has identified obsolete inventory amounting to ₹.23.42 lacs out of the total inventory of the company. Further committee has estimated net realizable value of ₹8.08 lacs against these obsolete inventories.



41. कंपनी भारत में विभिन्न इस्पात संयंत्रों, आर डब्ल्यू एफ-बंगलूरु, भेल-हरिद्वार में स्क्रैप रिकवरी एवं सहबद्ध कार्यों के व्यवसाय में लगी है जो कंपनी का प्रमुख व्यापार क्रिया-कलाप है। स्क्रैप रिकवरी एवं सहबद्ध कार्यों के अलावे, कंपनी ने 'गोदाम प्रबंधन' की सेवाएँ प्रतिपादित की है। हालाँकि, लेखा मानक 17 के अनुच्छेद 27 (ए) के अनुसार, जैसे 'खंडीय प्रतिवेदन', व्यापार खंड प्रतिवेद्य खंड के रूप में चिह्नित किया जाएगा यदि बाहरी ग्राहकों को विक्रय से इसका राजस्व तथा अन्य खंडों के साथ लेन-देन संव्यवहारें कुल राजस्व का 10 प्रतिशत या अधिक है। गोदाम प्रबंधन के विरुद्ध प्राप्त कुल सेवा प्रभारें अर्जित राजस्व का दस प्रतिशत से कम है, अतएवं पुराना प्रतिवेद्य खंड गठित नहीं करता है।

इसके आगे भौगोलिक खंड के संबंध में, लेखांकन मानक में परिकल्पित प्राथमिक मापदंड को माना जा रहा है जिसका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है:

- * आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों की समानता
- * विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में संचालनों के बीच संबंध
- * संचालनों की निकटता
- * विशेष क्षेत्र में संचालनों के साथ शामिल विशेष जोखिम
- * विनिमय नियंत्रण विनियमावलियों
- * अंतर्निहित मुद्रा जोखिमें

चूंकि कंपनी इकाईयों में सेवाएं प्रतिपादन कर रही है जो कि एक आर्थिक और राजनीतिक शर्तों के अधीन है एवं इसलिए एक ही परिचालन जोखिमों को उजागर कर रहा है, जैसे-विनियम नियंत्रण विनियमावलियों, अंतर्निहित मुद्रा जोखिमें, संचालनों की निकटता आदि। तदनुसार विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में संचालनों के बीच संबंध कंपनी या प्रबंधन के लिए प्रासंगिक नहीं है।

42. सेल-ब्लै आई एस एल भद्रावती के साथ दिनांक 04 नवम्बर, 2014 को 3 वर्षों के लिए एक दीर्घकालिक अनुबंध के तहत कम्पनी द्वारा एक नई ईकाई की शुरुआत की गई है जिसकी परिचालन गतिविधियाँ, जनवरी 2015 में प्रारम्भ हुईं।
43. कंपनी अधिनियम 2013 व्यवस्थापन के अनुसरण में कंपनी द्वारा, हास/ऋणमुक्ति के संबंध में लेखा नीति में प्रकटित कुछ आस्तियों को छोड़कर, शेड्यूल-2 में दर्शाए गए विनिर्दिष्ट अनुमानित उपयोगिता आयु का प्रयोग किया गया है। तदनुसार, संशोधित/शेष उपयोगिता आयु से अपरिशोधित वहन मूल्य को हासित/ऋणमुक्त किया जाता है। हासित अचल आस्ति, जिसका अस्तित्व दिनांक 1 अप्रैल 2014 को समाप्त हो चुका है, की राशि ₹9.04 लाख रुपये को लाभ व हानि खाते के रोकड़ शेष में समायोजित किया गया है।
44. डोज़र, एक्स्केवेटर, क्रेन एवं मैग्नेटिक सेपरेटर के अपरिशोधनीय हासित राशि, जिनकी उपयोगिता आयु को कंपनी द्वारा संशोधित किया गया था, का वित्तीय वर्ष 2013-14 में एएस-5 के अनुसार आस्ति के संशोधित आयु के स्थान पर आस्ति की कमीशनिंग की तिथि के प्रभाव से मूल्यांकन किया गया, जिन पर एएस-6 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 में उन आस्तियों के मूल्य हास की गणना के साथ इसके प्रभाव को लेखा पुस्तिकाओं में पूर्वावधि आयु ₹92.60 लाख एवं पूर्वावधि व्यय ₹94.40 लाख के रूप में लिया गया।
45. 01.10.2014 से 31.03.2015 की अवधि के लिए गैर-कार्यपालक वर्ग के कर्मचारियों को प्रदाय 9 प्रतिशत एमजीबी पर वित्तीय निहितार्थ ₹310.12 लाख एवं 01.10.2014 से 31.03.2015 की अवधि के लिए कार्यपालक वर्ग के 20 प्रतिशत एमजीबी ₹138.82 लाख की राशि प्राक्कलित कर प्रदान की गई।



41. Company is engaged in the business of Scrap Recovery and Allied Jobs in various Steel Plants in India, RWF – Bengaluru and BHEL – Haridwar, which is the principal business activity of the company. Beside scrap recovery and allied jobs, company has rendered services of warehouse management. However, as per Para 27 (a) of AS 17 i.e. “Segmental Reporting”, a business segment should be identified as a reportable segment if it’s revenue from sales to external customers and from transactions with other segments is 10 percent or more of the total revenue, external and internal, of all segments. Total service charges received against warehouse management is less than ten percent of the revenue earned; hence the former does not constitute a reportable segment.

Further as regards to geographical segment, the primary criteria as envisaged in the accounting standard are being considered of which details are as follows:

- Similarity of economic and political conditions
- Relationship between operations in different geographical areas
- Proximity of operations
- Special risks associated with operations in particular area
- Exchange control regulations
- Underlying currency risks.

Since the company is rendering services to units that are subject to same economical and political conditions and are therefore exposed to same operational risks viz. exchange control regulations, underlying currency risks, proximity of operations etc. Accordingly relationship between operations in different geographical areas does not differ from each other and therefore is not relevant for the company or the management.

42. The company has started a new business for scrap recovery with SAIL, VISL at Bhadravati under long term agreement made on 04th November 2014 valid for 3 years and commenced its operational activities from January’2015.
43. Pursuant to the enactment of Companies Act 2013, the company has applied the estimated useful lives as specified in Schedule II, except in respect of certain assets as disclosed in Accounting Policy on Depreciation / Amortization. Accordingly the unamortized carrying value is being depreciated / amortized over the revised / remaining useful lives. The depreciated value of Fixed Assets whose lives have expired as at 1st April 2014 have been adjusted in the opening balance of Profit and Loss Account amounting to ₹ 9.04 lakhs.
44. The unamortized depreciable amount of Dozer, Excavator, Crane and Magnetic Separator which company revised its useful life, was evaluated in FY 2013-14 from date of commissioning of the assets instead of revised remaining life of assets as per AS-6. In the FY 2014-15, the depreciation calculated for those assets as per AS-6 and the impact considered in the books of account as Prior Period Inome of ₹ 92.60 lakhs and Prior Period Expenditure of ₹ 94.40 Lakhs.
45. The financial implication of 9% MGB for Non-Executive employees for the period 01.10.2014 to 31.03.2015 amounting to ₹ 310.12 lakhs and 20% MGB for Executive for the period 01.10.2014 to 31.03.2015 amounting to ₹138.82 lakhs has been estimated and provided.



46. कर्मचारी अनुलाभ :

46.1 परिभाषित अनुलाभ योजना का संक्षिप्त चित्रण :

- क) अवकाश नकदीकरण - पात्र कर्मचारियों को वियोजन पर देय को 300 दिनों (संयोजित अर्जित अवकाश व अर्धवैतनिक अवकाश) तक सीमित किया जाएगा, तथा अर्धवैतनिक अवकाश को सीमित 300 दिनों की गणना के लिए लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार रूपान्तरित नहीं किया जाएगा। संचित अर्जित अवकाश का नकदीकरण भी एक कैलेण्डर वर्ष में एक बार 30 दिनों तक स्वीकृत है।
- ख) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा अनुलाभ-मेडीक्लेम इन्श्यूरेन्स पॉलिसी के तहत किसी भी चिकित्सालय में सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के लिए उपलब्ध।
- ग) सेवानिवृत्ति पश्चात् निपटारा अनुलाभ-सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों को उनके द्वारा घोषित गृह नगर में बसने हेतु देय।
- ध) दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार-वस्तु के रूप में न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा प्रतिपादित करने एवं सेवानिवृत्ति होने पर भी देय।
- ड) कर्मचारी परिवार अनुलाभ योजना-निर्धारित जमा के एवज में सेवा से अलग विकलांग कर्मचारियों/दिवंगत कर्मचारियों के कानूनी वारिसों को दिवंगत/विकलांग कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तिथि तक मासिक भुगतान।
- च) भविष्य निधि-कंपनी द्वारा भविष्य निधि न्यास को मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते का 12 प्रतिशत अंशदान।
- छ) उपादान-पात्र कर्मचारियों, जो न्यूनतम 5 वर्षों तथा 30 वर्षों तक की अवधि के लिए निरंतर सेवा प्रतिपादित करते हैं, को सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन की दर से सेवानिवृत्ति पर देय है। उपादान की संगणना सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए कर्मचारी द्वारा आहरित अंतिम एक माह के वेतन की दर से अधिक से अधिक 30 वर्षों के लिए की जाती है। कर्मचारियों को देय उपादान की अधिकतम राशि ₹10 लाख है।

47. परिभाषित अनुलाभ दायित्वों के परिप्रेक्ष्य में कर्मचारी अनुलाभ पर लेखाकंन मानक (ए एस) 15(2005 संसोधित) के तहत यथोपेक्षित प्रकटीकरण निम्न है:-



46. Employee Benefits

46.1 Brief Description of Defined Benefit Scheme:

- (a) Leave Encashment - Payable on separation to eligible employees, shall be limited to 300 days (Earned leave and Half-Pay leave combined), and HPL shall not be commuted as per DPE guidelines for calculation of 300 days limit. Encashment of accumulated earned leave is also allowed upto 30 days once in a calendar year.
- (b) Post Retirement Medical benefit - Available to retired employees at any hospital under the Mediclaim Insurance Policy
- (c) Post retirement settlement benefit – Payable to retiring employees for settlement at their declared home town.
- (d) Long Term Service Award-Payable in kind for rendering minimum 25 years of service and also on Superannuation.
- (e) Employees Family Benefit Scheme – Monthly payment to disabled separated employees/legal heirs of deceased employees in lieu of prescribed deposit till the date of superannuation of deceased employees.
- (f) Provident Fund: 12% of Basic pay and Dearness allowance contributed to the Provident Fund Trust by the company.
- (g) Gratuity: Payable on separation at the rate of 15 days pay for each completed year of service to eligible employees who render continuous service for a minimum period of 5 years and upto 30 years. The Gratuity is calculated at the rate of one month's wages last drawn by the employee for every completed year of service in excess of 30 years. The maximum amount of Gratuity payable to employee is ₹10 lakhs.

47. Disclosures as required under Accounting Standard (AS) 15 (revised 2005) on “Employee Benefits” in respect of Defined benefit obligations are:



क) प्रक्षेपित अनुलाभ दायित्वों के सम्प्रति मूल्य का समन्वय

(₹ लाख में)

क्र.सं.	ब्यौरा	अवकाश त्रकदीकरण	सेवानिवृति पश्चात् चिकित्सा अनुलाभ	सेवानिवृति पश्चात् निपटारा अनुलाभ	दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार	कर्मचारी परिवार अनुलाभ योजना	योग
i.	1 अप्रैल, 2014 की स्थिति में योजित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	1609.15	932.39	38.55	5.19	386.40	2971.68
ii.	सेवा लागत	210.34	65.09	1.69	0.25	0.00	277.37
iii.	ब्याज लागत	136.45	84.59	3.22	0.46	32.23	256.95
iv.	बीमांकिक (लाभ) (प्राप्ति)/हानि	388.56	886.11	6.15	0.35	8.19	1289.36
v.	अतीत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
vi.	हितलाभ प्रदत्त	(268.13)	(35.91)	(7.39)	(0.47)	(75.88)	(387.78)
vii.	अर्जन लागत/(ऋण)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
viii.	31,मार्च, 2015 की स्थिति में योजित हितलाभ का वर्तमान मूल्य (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(vii)	2076.37	1932.27	42.22	5.78	350.94	4407.58

ख) 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता की विवरणी में स्वीकृत व्यय:-

(₹ लाख में)

क्र.सं.	ब्यौरा	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृति पश्चात् चिकित्सा अनुलाभ	सेवानिवृति पश्चात् निपटारा अनुलाभ	दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार	कर्मचारी परिवार अनुलाभ योजना
i .	सेवा लागत	210.34	65.09	1.69	0.25	0.00
ii .	ब्याज लागत	136.45	84.59	3.22	0.46	32.23
iii.	बीमांकिक (लाभ) (प्राप्ति)/हानि	388.56	886.11	6.15	0.35	8.19
iv.	अतीत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v.	प्रत्याशित प्रतिलाभ परिसंपत्ति योजना पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
vi.	(टीप 22 के तहत) कर्मचारी अनुलाभ पर व्यय आरोपित राशि	735.35	1035.79	11.06	1.06	40.42



a) Reconciliation of present value of projected benefit obligations:-

(₹ in lakhs)

Sl No.	Particulars	Leave Encashment	Post retirement Medical Benefit	Post retirement Settlement Benefit	Long Term Service Award	Employees' Family Benefit Scheme	Total
i.	Present value of projected benefit obligation as at 1st April 2014	1609.15	932.39	38.55	5.19	386.40	2971.68
ii.	Service cost	210.34	65.09	1.69	0.25	0.00	277.37
iii.	Interest cost	136.45	84.59	3.22	0.46	32.23	256.95
iv.	Actuarial (Gain)/ Losses	388.56	886.11	6.15	0.35	8.19	1289.36
v.	Past Service cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
vi.	Benefit paid	(268.13)	(35.91)	(7.39)	(0.47)	(75.88)	(387.78)
vii.	Acquisition Cost/ (credit)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
viii.	Present value of projected benefit obligation as on 31st March 2015. (i)+(ii)+(iii)+(iv)- (v)+(vi)+(vii)	2076.37	1932.27	42.22	5.78	350.94	4407.58

b) Expenses recognized in the statement of Profit and Loss Account for the year ended 31st March 2015

(₹ in lakhs)

Sl No.	Particulars	Leave Encashment	Post retirement Medical Benefit	Post retirement Settlement Benefit	Long Term Service Award	Employees' Family Benefit Scheme
i.	Service cost	210.34	65.09	1.69	0.25	0.00
ii.	Interest cost	136.45	84.59	3.22	0.46	32.23
iii.	Actuarial (Gain)/ Loss	388.56	886.11	6.15	0.35	8.19
iv.	Past service cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v.	Expected return on plan asset	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
vi.	Amount charged to Employee Benefit Expenses(Note - 22)	735.35	1035.79	11.06	1.06	40.42



ग) 31/03/2015 को 5.00% की दर से चिकित्सा स्फीति की अभिगृहित को पुष्टि करते हुए पूर्व में सेवा निवृत्ति प्राप्त कर्मियों को मेडिकलेम नीति के तहत चिकित्सा हितलाभ प्रदान किया गया है।

ध) बीमाकिक द्वारा विचारित मान्यता

क्र.सं.	ब्यौरा	31 मार्च, 2015 की स्थिति में
i.	छूट दर	7.80%
ii.	वेतन एवं मजदूरी में वृद्धि दर	गैर-कार्यपालक-10.00% पहले वर्ष में शेष 6.00% आने वाले वर्ष में कार्यपालक -10.00% पहले वर्ष में शेष 5.00% अगले वर्ष में
iii.	मृत्यु दर तथा प्रत्याहरण	भारतीय जीवन बीमा मृत्यु दर (2006-08) (परिष्कृत) अंततः
iv.	भविष्य की वेतन वृद्धि का प्राक्कलन मुद्रास्फीति, वरिष्ठता पदोन्नति तथा अन्य संबंधित पहलुओ को लेकर बीमाकिक मूल्यांकन में माना गया है।	

48. वित्तीय वर्ष 2014-15 में कम्पनी द्वारा एम एस टी सी लिमिटेड को ई-नीलामी हेतु ₹4.22 लाख सेवा शुल्क का भुगतान किया गया है (गत वर्ष ₹6.99 लाख) तथा कम्पनी द्वारा एम एस टी सी लिमिटेड के गोदाम प्रबंधन की अभिरक्षण सेवा के लिए ₹310.13 लाख प्राप्त किया गया (गतवर्ष ₹ 290.78 लाख)

49. वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान कम्पनी द्वारा ₹ 300 लाख का अंतरिम लाभांश घोषित कर भुगतान किया गया जो अंशधारको के लिये प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 150 % है। ₹59.98 लाख की राशि लाभांश वितरण कर के रूप में जमा की गई।

वास्ते-अग्रवाल एवं पंसारी

सनदी लेखापाल

फर्म पंजीकरण क्रमांक 000203C

अग्रवाल एवं पंसारी

सनदी लेखापाल

साझेदार: सीए व्ही के अडवानी

सदस्यता क्रमांक: 401080

स्थान : रायपुर

तिथि: 03/06/2015

ए.पी.शर्मा
कंपनी सचिव

बी.बी.सिंह
निदेशक

वास्ते एवं प्रबंध निदेशक-फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड की ओर से

एस.के.चक्रवर्ती
उप-महाप्रबंधक(वित्त व लेखा)

राजीव भट्टाचार्य
प्रबंध निदेशक

एस.के.त्रिपाठी
अध्यक्ष



c) The medical inflation assumed @5.00% as on 31.03.2015 as confirmed by actuary since the post retirement medical benefit scheme is covered by Mediclaim Policy.

d) Assumption considered by Actuary

Sl. No.	Description	As at 31st March 2015
I.	Discount Rate	7.80%
ii.	Rate of Escalation in Salaries & Wages	Non-Executive – 10.00% for first year & 6.00% thereafter Executives – 10.00% for first year & 5.00% thereafter
iii.	Mortality and withdrawal	Indian Assured Lives Mortality (2006-08) (modified) ultimate
iv.	The estimate of future salary increase is considered in actuarial valuation taking account of inflation, seniority promotion and other relevant factors.	

48. The company has paid service charges for e-auction to MSTC Ltd in the FY 2014-15 ₹ 4.22 lakhs (PY ₹6.99 lakhs) and the company has received ₹310.13 lakhs (PY ₹290.78 lakhs) towards custodian services for the warehouse management of MSTC Ltd.

49. During the FY 2014-15, the company has declared and paid Interim Dividend of ₹300.00 lakhs i.e. 150.00% of paid-up equity share capital to the shareholders. The Dividend Distribution Tax amounting to ₹ 59.98 lakhs has been deposited.

For **Agrawal & Pansari**
Chartered Accountants
FRN No. 000203C

Agrawal & Pansari
Chartered Accountants
Partner : CA V.K. Adwani
Membership No.: 401080

For and on behalf of the Board of Directors of
Ferro Scrap Nigam Limited

A.P. Sharma
Company Secretary

S.K.Chakraborty
Deputy General Manager (F&A)

Place :Raipur
Date :03/06/2015

B.B.Singh
Director

S.K. Tripathi
Chairman

Rajib Bhattacharya
Managing Director